खण्ड-244, अंक-4
सोमवार, 2 पौष, शक संवत् 1885
(23 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 244 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..४४७–४५१
प्रश्नोत्तर	..४५१–४६१
प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति ..	..४६१–४६२
रिहन्द विद्युत् उत्पादक संयंत्र ठेका जांच समिति का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	४६२
आश्वासन समिति का २२वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	..४६२–४६३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४६३
सरकार द्वारा चावल कम मूल्य पर खरीद कर अधिक दाम पर बेचने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४६३
प्रयाग महिला विद्यापीठ की बैठक में मार-पीट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	..४६४–४६६
प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य	..५००–५०२
२६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २४–२६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	..५०२–५०३
नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	५०३
प्रदेश से अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने के संबंध में संकल्प (जारी)	..५०३–५१२
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर शीघ्र विचार करने के लिए प्रार्थना	५१२
प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	..५१२–५२१
शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना के संबंध में संकल्प (जारी) ..	..५२७–५४१
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्ता का भुगतान) नियमावली, १९६३ पर विचार	..५४२–५४७
प्राइमरी स्कूलों में कक्षा ३, ४ व ५ के विद्यार्थियों से अंग्रेजी पढ़ाने के लिये शुल्क लिये जाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा ..	..५४८–५५६
नत्थियां	..५५७–५६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६१

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री

खुप्तारसिंह, श्री
खेदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नार्यसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखन्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री

बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री

माधोनारायण मुदगल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामग्रधार कनौजिया, श्री

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)

सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह यादव, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, श्री रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३ दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़ जिले से संदिग्ध तिब्बतियों का भाग जाना

**१—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि नवम्बर, दिसम्बर, १९६३ में पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत की सीमा पर क्या कुछ चीनी जासूस पुलिस द्वारा पकड़े गये थे ? यदि हां, तो क्या वे पुलिस को चरका देकर चले गये ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

नवम्बर, दिसम्बर, १९६३ में कोई ऐसे व्यक्ति पिथौरागढ़ जिले में नहीं पकड़े गये। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि इसी प्रकार के प्रश्न लोकसभा में भी हुए थे और सुरक्षा मंत्री ने यह कहा था कि कुछ चाइनीज लोग पकड़े गये जो भाग गये और उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा से उनका कोई संबंध नहीं था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन वे दोनों तिब्बतन थे, चाइनीज नहीं थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जो दो तिब्बतन पकड़े गये थे वे जासूसी करते हुए पकड़े गये थे अथवा संदिग्ध अवस्था में पकड़े गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बिना पार पत्र के वे हिन्दुस्तान में चले आये थे। उनके साथ उनके दो खच्चड़ भी थे और ऐसा खयाल किया जाता है कि वे जासूसी के खयाल से नहीं आये थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उनकी तलाशी ली गयी, या नहीं और अगर ली गयी थी, तो कुछ जासूसी का सामान उनके पास प्राप्त हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो सूचना मेरे पास है उसमें तलाशी की बात नहीं है लेकिन वे तीन चार दिन तक कस्टडी में रहे और उनके पास से कोई ऐसा सामान नहीं निकला जिससे यह समझा जाय कि वे जासूस थे।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

जिस समय वे संदिग्ध अवस्था में पकड़े गये थे उस समय कोई तलाशी नहीं ली गयी और क्या कोई ऐसा सामान नहीं निकला जो जासूसी करने के लिये आवश्यक होता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने कहा कि संदिग्ध अवस्था में नही पकड़े गये। बिना पर्मिशन के हमारी सरहद के अन्दर चले आये थे, लिहाजा पुलिस ने पकड़ लिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उनकी तलाशी ली गयी या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो मेरे पास सूचना है उसमें तलाशी का जिक्र नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

जब वे बिना पार-पत्र के हमारी सीमा के अन्दर आ गये जो कानूनन जुर्म था फिर सरकार ने क्यों नहीं मुनासिब समझा कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उनके खिलाफ कार्यवाही होने वाली थी इसीलिये वह एक जगह रात में रखे गये थे लेकिन रात ही में वे वहां से भाग गये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

वे लोग पुलिस कस्टडी से भाग गये, तो क्या इसकी जांच कराई गयी कि यह पुलिस की इंकाम्पीटेंसी थी अथवा पुलिस ने घूस खाकर उनको भाग जाने दिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

न्काम्पीटेंसी जरूर कहना चाहिये। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

हमारी सरहद से मिला हुआ जो तिब्बत का हिस्सा है वहां बहुत से चीनी आते रहते हैं, जो जासूसी करते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र के खिलाफ बहुत कुछ बाधायें समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं, तो क्या माननीय मंत्री सदन को स्पष्ट रूप से आश्वस्त करेंगे कि सुरक्षात्मक कार्यवाही के लिये उन्होंने क्या-क्या उपाय किये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सेन्टर करेगी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनायें इसके पहले भी हो चुकी हैं और हमारी सीमा पर पुलिस को इन्काम्पीटेन्स कहिये, अपात्रता कहिये, कुछ कहिये, इतनी बढ़ गयी है कि इस तरह लोग भाग जाते हैं, तिब्बत से लोग आते हैं, वे रोके नहीं जा पा रहे हैं । तो इसके अन्दर एक भय है कि स्पाइज आयेंगे और ऐसे फ्री मूवमेन्ट होगा तो देश और प्रदेश की सुरक्षा को खतरा है । तो इस सरहदी इलाके में जो पुलिस की व्यवस्था है, उसको और उचित करने के लिये और इनकाम्पीटेन्ट आफिसर्स को दन्ड देने के लिये, गृह मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उसमें जो कुछ भी हो सकता है वह किया जा रहा है। वहां कोई जेल तो है नहीं, चेक-पोस्ट्स हैं । वहां ये आदमी आ गये और पकड़े गये । वे पिथौरागढ़ भेजे जा रहे थे । चूंकि उसमें गलती यह हुई कि उनकी आंखें नहीं बन्द की गयी थी इस वजह से वे रास्ता देखे हुए थे और रात को पोनी से भाग गये ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि जैसा आपने फरमाया कि कुछ इनकाम्पीटेन्सी जरूर थी तो आफिसर्स को ताकीद हो कि यह इनकाम्पीटेन्सी वहां न होने पाये । इस किस्म का कोई कदम आप उठायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चार पांच आदमियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वे चेक-पोस्ट पर लाये जा रहे थे, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको हैन्डकफ किया गया था, या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हैन्डकफ तो जहां तक खयाल है नहीं किया गया क्योंकि मेरे पास यह इत्तला है कि वे रास्ते में अपने पोनी पर चढ़ भी जाते थे । ४–५ उनके साथ एस्कोर्ट थे, तो दो वे थे और उनके पोनी ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

इस बात को देखते हुए कि सुरक्षात्मक कार्य के लिये पुलिस का बढ़ाया जाना इन सरहदी इलाकों पर अत्यन्त आवश्यक है, जिससे ऐसी घटनायें न हो सकें, माननीय गृह मंत्री ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसा तो है नहीं कि वहां हर एक जगह से आदमी आ जाय । वहां पासेज हैं उनसे आदमी आ सकता है । उन पर जितना जरूरी है पहरा लगाया गया है कि कोई आ न सके और वह चेक-पोस्ट्स उन्हीं पासेज पर गार्ड किया करती हैं । जिसको हम लोग बाराहोती कहते हैं उसी से वे दोनों आये थे । वे पकड़ लिये गये और पिथौरागढ़ को ट्रांसमिशन में यह बात हो गयी ।

रामपुर फाइनेन्शर्स

**२—बेगम किशवर आरा (जिला रामपुर)—

क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने रामपुर फाइनेंशर्स के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने के लिये १७ दिसम्बर, १९६३ को सूचना दी थी, जिसको माननीय अध्यक्ष ने तुरन्त उचित कार्यार्थ माननीय मंत्री को भेज दिया था ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, यह सूचना मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुई थी ।

इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

बेगम किशवर आरा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-सा आदेश है जो जारी कर दिया गया है ? और क्या उस फर्म को बन्द करने के लिये जारी किया गया है ? क्या उसको उसी तरह रखने के लिये किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो आदेश दिये गये हैं उनको बताना जनहित में नहीं है ।

बेगम किशवर आरा—

अगर माननीय मंत्री जी का उसे बन्द करने का इरादा है तो क्या पब्लिक का रुपया जो इस वक्त गैर महफूज है और एक बेईमान आदमी ने ४२० करके जमा कर लिया है उसे वापस करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो उचित आदेश समझा गया वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायतों की जांच करने के लिये किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रामपुर को किया गया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आदेश दिये गये हैं उनके देने के बाद भी कोई शिकायत मिली है कि इस तरह की वसूली अभी भी जारी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

बेगम किशवर आरा—

क्या सरकार बतायेगी कि रामपुर फाइनेंशियर्स के अलावा दूसरी स्कीमें भी चल रही हैं, गवर्नमेन्ट उनके लिये भी कार्यवाही करेगी या उनको फिर से चलने दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

उनकी कोई शिकायत आपने नहीं की है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अल्मोड़े में ईंधन का भाव, स्टार पेपर मिल्स को लकड़ी

*१—श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि अल्मोड़े में सितम्बर-अक्तूबर, १९६३ में लकड़ी का भाव बढ़ा कर १.१९ रुपया मन कर दिया गया है जबकि इससे अच्छी लकड़ी को सरकार स्टार पेपर मिल्स को दो आने मन देती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह सही है कि अल्मोड़ा शहर में जलाने की लकड़ी का भाव १ सितम्बर,१९६३ से १.१९ रु० प्रति मन कर दिया गया है। यह कहना सही नहीं है कि इस से अच्छी लकड़ी स्टार पेपर मिल्स को २ आना प्रतिमन दी जाती है।

*२—श्री मन्नालाल (अनुपस्थित)—

क्या भूतपूर्व वन मंत्री श्री अली जहीर ने तथा श्री अलगू राय शास्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर को केवल चीड़ की पँचदार लकड़ी का (Slush) दिया जा रहा है तथा दिया जावेगा ? क्या यह सही है कि इन आश्वासनों के विरुद्ध उक्त किस्म की बिन्सर आदि के जंगलों में खड़े सीधे चीड़ के वृक्ष दिये गये जिनसे टिम्बर इमारती लकड़ी भी बन सकती थी ?

श्री चरणसिंह—

ऐसा कोई आश्वासन दिया गया प्रतीत नहीं होता। बिसर आदि के जंगलों से ऐसे कोई भी खड़े पेड़ उक्त मिल्स को नहीं दिये गये जो इमारती टिम्बर के काम आ सकें।

खीरी-पीलीभीत उपनिवेशन योजनान्तर्गत भूमि-वितरण

*३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री उपनिवेश योजना खीरी, पीलीभीत के अन्तर्गत भूमि जिन-जिन व्यक्तियों को कृषि के लिए दी गयी है, उनकी सूची मय जमीन के आंकड़े के सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

खीरी-पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत अब तक कुल १,१४८ व्यक्तियों को भूमि दी गई है।

सूची बहुत बड़ी है और इसकी प्रतियां बनाने में काफी समय लगेगा, माननीय सदस्य इसको कृपया मेरे कार्यालय में देखने का कष्ट करें।

*४—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि कुछ व्यक्ति स्वयं परिवार सहित खेती न करके मजदूरों पर ही निर्भर रह कर खेती कराते हैं और स्वयं विभिन्न नौकरियां तथा रोजगार में लगे हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी खुली जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां । सरकार तथा पुनर्वासितों के बीच निष्पन्न अनुदान मानक-पत्र के अनुसार पुनर्वासितों पर उपनिवेशन क्षेत्र के अन्दर रहते हुये अन्य व्यवसाय अथवा मजदूरों द्वारा खेती कराने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

कुछ शिकायतें ऐसी भी प्राप्त हुई हैं कि पुनर्वासित उपनिवेशन क्षेत्र में स्थाई रूप से न रहते हुए अन्य स्थानों पर दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं और अनुदत्त जमीन पर मजदूरों द्वारा खेती कराते हैं। ऐसे कई मामलों में पुनर्वासितों की जमीन पर सरकार द्वारा पुनः प्रवेश की आज्ञा जारी हो चुकी है तथा कुछ मामले विचाराधीन हैं ।

श्री मंगलदेव —

जितनी सूचनायें आयी हैं क्या मंत्री जी उनको बताने की कृपा करेंगे, कितने मामलों पर विचार हो चुका है और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

शिकायतों की कोई सूची इस समय मेरे पास नहीं है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री मंगलदेव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नियम है कि जिनको जमीन एलाट होगी उनको क्वार्टर्स भी जरूर दिये जायेंगे ? क्या यह सही है कि ११४८ आदमियों में से बहुत से आदमियों को जमीन दे दी गई है लेकिन क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, एक कमरे के मकान देने का जरूर प्राविधान है, किन्तु सबको क्वार्टर मिल सका या नहीं, इसकी पूरी सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ व्यक्तियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और कुछ के मामले विच राधीन हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनों की जमीन पर कब्जा हुआ है और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य —

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो खेतिहर मजदूर काम करते हैं, उनकी जमीन उनको ही एलाट करेंगे जिनकी जमीन ली गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे उन्हीं को जमीन दी गयी है । उसमें प्राविधान यह है कि जिसके पास एक एकड़ जमीन पहले से है उसको भी खेतिहर मजदूर मान लिया गया है । ऐसे खेतिहर मजदूरों को १ हजार २५ को भूमि दी गयी है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि खीरी और पीलीभीत जिले में कृषि योग्य परती जमीन प्रार्थियों को दी जाती है उसमें किन-किन मुख्य बातों पर विचार किया जाता है और किस अधिकारी द्वारा भूमि दी जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह देखा जाता है कि यह भूमिहीन है या नहीं है। दूसरे यह भी देखा जाता है कि यह अनएम्प्लायड एडूकेटेड है। इन चीजों को देखते हुए जमीन दी जाती है।

श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जब किसी को भूमि दी जाती है तो उसके साथ के उपकरण और अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है तो क्या सरकार बतायेगी कि उन लोगों को जिनको भूमि दी गयी है उनको खेती के उपकरण और साधन भी उपलब्ध करवाये हैं या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, भूमि के साथ-साथ बैलों के लिये तकावी, रहने के लिये एक कमरे का मकान, खाद और बीज के लिये भी सुविधा दी जाती है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खीरी जिले में जो सम्पूर्णानन्द कालोनी बसायी गयी है उसमें जो जमीन काश्तकारों को दी गयी है अधिकांश उसमें पानी भरा रहता है और जो कालोनी बसायी गयी है उसमें ९६ मकान ऐसे हैं जो पानी से भरे रहते हैं ?

श्री चरणसिंह—

यह बात सही है कि कुछ जमीन में पानी आ जाता है। यह इलाका बिलकुल नैपाल की तलहटी में है और नैपाल की तरफ से बहुत पानी आता है। हमने नहर विभाग से कहा है कि यह देखा जाय कोई बांध वगैरह बनाने से काम चल जायगा या नहीं। लेकिन बहुत बड़ा खर्चा उस सिलसिले में वह बतलाते हैं। अब गवर्नमेन्ट इस बात पर विचार कर रही है कि बाकी जो और जमीन तोड़नी है उसको तोड़ कर बसाया जाय या न बसाया जाये क्योंकि ११ हजार रुपया एक सेटलर को बसाने में खर्च करना पड़ता है और फिर बसाने के बाद यह समस्या खरीद लें पानी भरने की, तो यह सोचना है कि यह बुद्धिमानी का काम है या नहीं।

जिलाधीश, रायबरेली को सोशलिस्ट पार्टी का मांग-पत्र

*५—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति विभाग, रायबरेली के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक ९ अगस्त, १९६३ को जिला सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जिलाधीश महोदय, रायबरेली द्वारा खुफिया विभाग द्वारा जांच कराने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

रायबरेली जिला सोशलिस्ट पार्टी ने दिनांक ९ अगस्त, १९६३ को एक छपा हुआ मांग पत्र जिलाधीश, रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें ९ मुख्य मांगे थीं। इनके अतिरिक्त जिला पूर्ति विभाग में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो आम तरीके से लिखा था और कोई विशिष्ट बात या विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी थी। मांग प्रस्तुत कर्त्ताओं ने जिलाधीश को विशिष्ट मामले देने को कहा था। चूंकि जिलाधीश को अब तक कोई भी विशिष्ट मामला नहीं प्राप्त हुआ है अतएव गोपनीय या सामान्य जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतीपाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ति विभाग के अधिकारियों के सम्बन्ध में जो वहां शिकायत-पत्र दिया गया है उसकी जिलाधीश महोदय ने सही जांच की है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इसका उत्तर तो इसमें दिया गया है। कोई विशिष्ट प्रकार का स्पेसिफिक केस नहीं दिया गया, इसलिए कुछ नहीं हुआ ?

श्री रतीपाल—

क्या १२ अगस्त को जिलाधीश के यहां सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने अपने मांग-पत्र में, जो विशेष मांग रखी थी कि वहां के सप्लाई अफसर ने लाखों रुपया सुरक्षा के नाम से लिया है, उसकी रसीद अब तक नहीं दी और उसकी रसीद बाद में जिलाधीश ने दिलवायी, जिसमें १०० रुपये अगर लिए तो १० रुपये की रसीद दिया, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १२ अगस्त को जिलाधीश को सारी सूचना इसकी मिल गई फिर भी उन्होंने जांच करके सही रिपोर्ट सदन को क्यों नहीं दी ? इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ अगस्त को जो जिला सोशलिस्ट पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उसमें जो मांग-पत्र दिया गया, उसमें ९ मांगे कौन-कौन सी हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, एक लम्बा चौड़ा परचा है, इजाजत हो तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री लखीसिंह से) मांगें तो आप जानते हैं, आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्री लखीसिंह—

हम लोग दूसरे जिले के हैं ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री से) कितनी मांगें हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

९ मांगें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, तो पढ़ दीजिए ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

पहली मांग तो यह है कि हमारी मान्यता है कि संकटकालीन स्थिति का वर्तमान शासन ने स्पष्टतः अनुचित लाभ उठाया है और संकटकाल की ओट में जनतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है । संकटकालीन नियमों का उपयोग राष्ट्रद्रोही तत्वों यथा चोरबाजारियों, मुनाफाखोरों एवं पंचमांगियों का शमन करने के लिये न हो कर विभिन्न राष्ट्रीय दलों और नेताओं के दमन में किया है । अतः इस नियम को समाप्त कर जार्ज फर्नांडिस कृष्ण पटनायक प्रभृति विशिष्ट नेताओं को जेलों से तत्काल मुक्त करके इस विषम परिस्थिति में उनकी योग्यताओं और सेवाओं का लाभ उठाकर सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाय ।

दूसरी मांग है– अमरोहा और फर्रुखाबाद का चुनाव जो केन्द्रीय सरकार की नीतियों को चुनौती देकर लड़ गया था अतः अब जनमत को शिरोधार्य कर के केन्द्रीय सरकार तत्काल भंग हो साथ ही उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की अकर्मण्यता और अयोग्यता भी शीशे की तरह साफ हो चुकी है इत्यादि ।

तीसरी मांग—वर्तमान केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के आकार को तत्काल लघुतम करके एवं प्रशासन के असीमित व्यय को सीमित कर देश के सम्मुख सरकार स्वयं आदर्श उपस्थित करे और जनता का मनोबल ऊंचा उठाये ।

चौथी मांग है—जनसाधारण की रोजमर्रा की चीजों पर उनके उत्पादन मूल्य से भी अधिक कर लगाकर उनका जीवन दूभर कर दिया गया है, इसे समाप्त कर एवं उच्च वर्ग पर कर भार बढ़ाकर राष्ट्र की आवश्यकता पूर्ति की जाय ।

अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग खत्म हो ।

आय में १ और १० से अधिक का अन्तर समाप्त हो ।

खेत और कारखानों के उत्पादन पर दाम बांधो नीति लागू की जाय ।

बिना मुनाफे की खेती पर लगान माफ हो ।

और नवीं मांग है–अनिवार्य बचत और आपात कर के नाम पर जनता का शोषण बन्द किया जाय ।

घोसी तहसील में पशु सेवा केन्द्र

*६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी पशु चिकित्सालय, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कहां-कहां पशु सेवा केन्द्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये हैं और कहां कहां पशु-सेवक नियुक्त किये जा सके हैं और कुछ स्थानों पर नियुक्त न करने का कारण क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

घोसी पशु चिकित्सालय, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कोई भी पशु सेवा केन्द्र सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बना । उक्त चिकित्सालय के अन्तर्गत कल्यानपुर, लाला की छावनी सिपाह, मधुवन, लुधई, नदवा सराय तथा मरजादपुर (ढिलई) में पशु सेवा केन्द्र हैं, जिनपर पशु सेवक नियुक्त हैं । केवल एक पशु सेवा केन्द्र में जो कि ग्राम मझवारा में बनाया जा चुका है प्रशिक्षित पशु सेवक की कमी के कारण अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है ।

*७—श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुबारी देहात, जिला आजमगढ़ जिसकी आबादी लगभग ५० हजार की है कोई पशु-सेवा केन्द्र न खोलने का कारण क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

दुबारी देहात विकास क्षेत्र फतेहपुर मंडाव के अन्तर्गत है तथा ग्राम मधुवन से लगभग ५ मील की दूरी पर है जहां एक पशु-सेवा केन्द्र स्थापित है । ग्राम दुबारी में पशु-सेवा केन्द्र खोलने के विषय में सम्बन्धित क्षेत्र विकास समिति से कोई प्रस्ताव अथवा संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पशु-सेवा केन्द्रों के स्थानों के नियत करने का आधार क्या होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पशु पालन विभाग की ओर से घोसी में को-विलेज स्कीम चल रही है, उसमें यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र में पशुओं की तादाद कितनी है, वहां पर लोगों में पशु पालन के लिए कितना बड़ा उत्साह है और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए यह पशु सेवा केन्द्र की स्थापना की जाती है और दूसरे यह देखा जाता है कि वहां पर पशुओं की बीमारी रोग आदि कितना प्रचलित है, उनकी रोकथाम के लिये यह केन्द्र स्थापित किये जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन पशु सेवा केन्द्रों के खोलने के लिये क्षेत्र विकास समिति से राय ली गई थी ? यदि नहीं ली गई तो, यह किस आधार पर खोले गये, और क्या फतेहपुर मडांव ब्लाक के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति से राय ली गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है कि क्षेत्रीय विकास समिति की राय से यह स्थापित किये गये हैं या नहीं । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार के पास कोई ऐसा साधन है जो समय-समय पर सूचना दिया करता है कि अमुक जगह पर इतने अधिक पशु हैं और वे लोग पशु-पालन में उत्साह रखते हैं, तो वहां केन्द्र बनना चाहिये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिले के पशु अधिकारी समय-समय पर इसकी रिपोर्ट देते रहते हैं कि वहां पर पशु सेवा केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है और पहले कहां खुलना चाहिये और बाद को कहां खुलना चाहिये । इसकी वह बराबर रिपोर्ट देते रहते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दुवारी देहात जहां पर ५० हजार की आबादी है, वहां पर अभी तक पशु सेवा केन्द्र न खुलने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वहां पर २ पहले से हैं । एक तो मधुबन में और दूसरा मरयादपुर (ढिलई) में जो इसी विकास क्षेत्र में हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि दुवारी देहात जहां पर ५० हजार की आबादी है, वहां पर क्यों नहीं खोला गया ? वहां से मधुबन ५ मील की दूरी पर है फिर भी वहां नहीं खोला गया ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतला दिया कि वह ५ मील की दूरी पर है और वहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जिन स्थानों पर खोला गया है वहां पर क्षेत्र विकास समिति ने राय नहीं दी लेकिन जहां के बारे में उसने अपनी राय दी वहां नहीं खोला जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उन स्थानों पर तो आपने बगैर राय लिये खोल दिया लेकिन जहां पर समिति ने राय दी वहां की क्यों उपेक्षा की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

यह गांव दुवारी देहात फतेहपुर मंडाव ब्लाक के अन्दर पड़ता है। इस ब्लाक के अन्दर मधुवन और ढिलई दो जगह सेन्टर मौजूद हैं और बल्कि यह है कि हर एक ब्लाक में दो स्टाकमेन सेन्टर बनाये गये हैं और ये दो स्टाकमेन सेन्टर इस विकास क्षेत्र के अन्दर कायम हैं। यह जो आपने ५० हजार की आबादी बतलाई है यह आदमियों की आपने बतलाई हैं।

नैनी जेल के लिए खरीदे गये गल्ले में हानि

*८—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे १९५७–१९५८ में नैनी सेन्ट्रल जेल के लिये जो ५ लाख का गल्ला खरीदा गया उसमें सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ा ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

१९५७–५८ में जो गल्ला खरीदा गया उसमें धूल व मिट्टी की अतिरिक्त मात्रा के कारण ३१८५ रु० ९३ न० पै० की हानि हुई।

*९—श्री हिम्मतसिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साल भर १९५७–५८ में कितने मूल्य का गल्ला अधिक (Excess) में पाया गया और जो हानि हुई यह उसमें मुजरा दिया जायगा अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१९५७–५८ में जो गल्ला अतिरिक्त मात्रा में पाया गया उसका मूल्य २११८ रु० ४५ न० पै० होता है। इसे मुजरा देने अथवा न देने का मामला विचाराधीन है।

*१०—श्री हिम्मतसिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल मैनुअल, पैराग्राफ १३ से १६ के अन्तर्गत जेल में ७ १/२ प्रतिशत घाटा मान कर लिया जाता है ? यदि हां तो उसकी स्वीकृति कारागार महानिरीक्षक ने दिया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में ३,१८५ रुपये ९३ नये पैसे की जो हानि हुई यह किस अधिकारी के शासन में हुआ और जो २,११८ रुपये ४५ नये पैसे का एक्सेस दिखाया तो उस एक्सेस का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

यह वहां के जेलर थे। नियमों के अनुसार ठेकेदार ने जो गल्ला सप्लाई किया उसकी जांच परचेजिंग कमेटी को करनी चाहिये थी, लेकिन खुद उन जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसकी जांच पड़ताल करके उस गल्ले को ले लिया था और अब उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। उन से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट की खरीदफरोख्त कमेटी है उसने मिट्टी या धूल का कितना परसेंट करदा काट कर उसको लिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि दो किस्तों में यह गल्ला लिया गया था। पहली किस्त जो दी गयी उसमें सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर ने स्वयं उसको ले लिया। दूसरी किस्त जो गल्ले की आयी तो परचेजिंग कमेटी ने सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर को बुलाया और उन्होंने एनालाइज कर के जितनी धूल वगैरह थी उसको निकाल कर उसी क हिसाब से दूसरी बार का पेमेंट हुआ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो एक्सेस गल्ला मिला वह कौन-सा था और एक्सेस होने का कारण क्या था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह गल्ला गेहूं और चना था और कारण यह था कि मिट्टी उसमें ज्यादा थी और घटिया किस्म का गेहूं था।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

जो ३१८५ रुपये की हानि हुई है उसका उत्तरदायित्व जो वहां की परचेजिंग स्टाफ है उस पर नहीं छोड़ा गया है। यह ठेकेदार पर छोड़ा गया है, क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो हानि हुई है उसमें फिलहाल परचेजिंग कमेटी का दोष नहीं है। दोष सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर का है। इसलिए उन से पूछा गया है और कोशिश की जा रही है कि उन से ही यह क्यों न वसूल किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि नैनी जेल के जो सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं वह जेल मैनुअल के अनुसार जितना खाना कैदियों को दिया जाना चाहिये उसमें से कटौती कर लेते हैं और इस तरह से गल्ला बचा कर चोर बाजारी करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अब यह सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां से बदल गये हैं। दूसरे आये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि धूल और मिट्टी की वजह से घाटा हुआ और उसके बाद उसी सन् में कुछ एक्सेस हो गयी। तो क्या कारण है कि एक जगह घाटा दिखाया गया और दूसरी जगह वह गल्ला एक्सेस हो जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

असल में, यह घाटा एक ठेकेदार ने खराब गल्ला सप्लाई किया था उसके कारण है और जो एक्सेस हुआ है वह जब गल्ला खत्तियों में रख दिया जाता है तो कुछ बढ़ जाता है, उस कारण से हुआ है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब यह मामला १९५७-५८ का है तो उसके बाद आज १९६३ हो रहा है, अब तक जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह गल्ला १९५७-५८ में सप्लाई किया गया था । फिर उसकी जांच की गयी और अब नोटिस दिया गया है । जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना परसेंट मिट्टी वगैरह मान करके गल्ला लिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह तो कंट्रैक्ट में होता है कि इतने परसेंट मिट्टी अलाव की जायगी, उसके अनुसार सुपरिन्टेन्डेन्ट या कमेटी खुद कर लेती है, लेकिन अगर ज्यादा मिट्टी हो और इनफीरियर क्वालिटी का ग्रेन हो तो इंस्पेक्टर जनरल से उसकी परमीशन लेनी पड़ती है, कोई खास परसेंटेज नहीं है ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी गोलमाल और नुकसान से बचने के लिये बजाय सालाना खरीदारी के क्वार्टरली खरीदारी की प्रथा डालने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस पर विचार किया जायगा । अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यह जो ५ लाख रुपये का गल्ला खरीदा गया और उसमें मिट्टी और धूल के कारण ३,१८५ रुपय का नुकसान हुआ तो वह कौन-सी एजेंसी थी जिसने इस नुकसान का तखमीना किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा कि मैंने अर्ज किया मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने, जो दूसरी किस्त का गल्ला था और नमूने के गल्ले की, दोनों की जांच की और निकाला कि इतना घाटा हुआ है, उसी की रिपोर्ट के अनुसार यह घाटा है ।

मुरादाबाद जिले में सीमेंट कमेटी

*११—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री लोकपालसिंह, श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित) तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र, बहजोई, जिला मुरादाबाद में कोई सीमेंट कमेटी है ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन व्यक्ति सदस्य हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२—श्री राजेन्द्रसिंह श्री लोकपाल सिंह, श्रीबेदराम (अनुपस्थित) तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि देहाती क्षेत्रों के लिये सीमेंट नियमानुसार केवल बी० डी० ओ० ही दे सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमेटी को भंग करके सीमेंट वितरण का सम्पूर्ण कार्य बी० डी० ओ० को ही सौंपने का कष्ट करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हिम्मतसिंह—

यह प्रश्न ९-१२-६३ को स्थगित हुये थे, अब सूचना एकत्र करने में क्या कठिनाई पड़ रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सीमेंट का कोटा और विकास का सब मिला हुआ जाता है, तो अभी प्लानिंग कमीशन से मालूम कर रहा हूं कि उनके यहां कोई ऐसी कमेटी है या नहीं, इसलिये इसमें देरी हुई ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसमें जी० ओ० जो है वह आपको बता दूं कि सरकार के यहां से आदेश हैं जिले में सप्लाई आफिसर को, बी० डी० ओ० को, कोई भी इसके अलावा सीमेंट कमेटी नहीं बननी चाहिये । हां, अगर वह व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी रखते हैं कहीं तो दूसरी बात है, वह हमें बतलावें, उसमें पूछने की क्या जरूरत है ? मुरादाबाद में सीमेंट कमेटी बनी कैसे, यह समझ में नहीं आया, गवर्नमेंट के आर्डर्स के मुताबिक तो यह गलत है ?

श्री अध्यक्ष—

अब दोबारा जब मौका मिलेगा तो पूछ लीजियेगा ।

महापालिकाओं में मुलाजिम मेहतर

*१३—श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ५ नगर महापालिकाओं में प्रत्येक अलग-अलग मेहतर मुलाजिमों की क्या संख्या है और किन-किन में वे होल टाइम का वेतन पाते हैं और किन-किन में पार्ट टाइम के हिसाब से वेतन दिया जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सूचना इस प्रकार है :—

नगर महापालिका	मेहतर मुलाजिमों की संख्या
कानपुर	३२१६
इलाहाबाद	२०४२
वाराणसी	२४५०
आगरा	१९९१
लखनऊ	२३९३

कानपुर, इलाहाबाद तथा आगरा नगर महापालिकाओं में सभी मेहतर मुलाजिमों को होल टाइम का वेतन मिलता है तथा वाराणसी और लखनऊ नगरमहापालिकाओं में क्रमशः १६२ तथा ५ मेहतर मुलाजिमों को पार्ट टाइम के हिसाब से वेतन दिया जाता है ।

श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेहतरों को हाफ टाइम वेतन देने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उनके कार्य के घंटे कम हैं ।

श्री चिरंजीलाल जाटव—

उनको पूरे घंटे का वेतन देने क प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कारण तो बता दिया ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार मेहतरों की आर्थिक दयनीय दशा को तथा आजकल की महंगाई को देखते हुये उनके वेतन को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

महंगाई तो काफी बढ़ा दी गयी है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जिन मेहतरों को हाफ टाइम वेतन दिया जाता है, उनसे काफी अधिक समय तक काम लिया जाता है, क्या ऐसी सूचना सरकार को है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश के मेहतरों के वेतन-क्रम को तय करन क लिय किसी वतन मण्डल की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती ।

पोल्ट्री सुपरवाइजरों की अपील

*१४—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत फरवरी, १९६३ में कुछ पोल्ट्री सुपरवाइजरों की जो पदोन्नति की गई है वह किस आधार पर की गई ?

श्री चरणसिंह—

कनिष्ठ कुक्कुट निरीक्षक के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति के लिये पोल्ट्री सुपरवाइजरों में से उनकी पिछले तीन वर्षों की चरित्र पंजी (Charactor Roll) प्रविष्टि के आधार पर चुनाव किया गया था ।

*१५—श्री रघुवीर (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि इस पदोन्नति के खिलाफ कुछ सुपरवाइजरों ने डायरक्टरों क नाम अपील की लेकिन उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । कुछ सुपरवाइजरों ने डायरेक्टर को अपील की थी और उन पर विचार किया गया । चूंकि उनकी चरित्र पंजी प्रविष्टियां सन्तोषजनक नहीं थीं, अतः उनकी अपील अस्वीकार कर दी गई ।

बन्दियों से चक्की चलवाना

*१६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार २३ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न १२ के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि जिन १७ जेलों में कैदियों से चक्की पिसाना रोक दिया गया है, उन जेलों के नाम क्या हैं और इन्हीं १७ जेलों में ही कैदियों से चक्की पिसाना रोका गया, उसके कौन-कौन से कारण है ? जिन जेलों में कैदियों से चक्की पिसाई जाती है वह कितनी उम्र के कैदियों से पिसाई जाती है और उन्हें कितना गल्ला पीसना पड़ता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१७ जेलों के नाम जिनमें कैदियों से चक्की नहीं पिसाई जाती संलग्न तालिका में दिये हैं । इनमें से अधिकांश में बिजली की चक्कियां लगी हैं । रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ तथा किशोर सदन, बरेली में लड़कों से चक्की नहीं चलवाई जाती । विचाराधीन बन्दी जो सदर लाकअप गोरखपुर में रहते हैं, चक्की नहीं चलाते । डाक्टरी निरीक्षण के फलस्वरूप सभी वयस्क समर्थ कैदियों से चक्की पिसाई जाती है । प्रत्येक कैदी से साढ़े १२ सेर गल्ला पिसाया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में बिजली है वहां की जेलों में बिजली की चक्कियां कब तक हो जायेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी कोशिश की जा रही है और जहां बिजली उपलब्ध होगी वहां यह कोशिश की जायेगी कि यह कार्य जल्दी हो जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

सन् १९४७ से पहले कितना पिसवाया जाता था और १२।। सेर का नियम कब से लागू किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

३ पंसेरी, १५ सेर, पहले था । अब १२।। सेर है ।

श्री लखीसिंह—

क्या मथुरा जिले की जेल में कैदियों से चक्की पिसवाई जाती है, क्योंकि वहां बिजली नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जहां तक मुझे मालूम है मथुरा जेल में अभी बिजली नहीं है ।

स्टेट फार्म्स के अस्थायी कर्मचारी

*१७—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के स्टेट फार्म्स में १० वर्षों से निरन्तर सेवारत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है और इस उपेक्षा का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—

उत्तर प्रदेश के स्टेट फार्म्स में १० वर्षों से निरन्तर सेवारत ऐसे २२८ कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है । इनका स्थायीकरण विभिन्न कारणवश जैसे आवश्यक

प्रक्रिया की पूर्ति। (Completion by requisite formalities) कर्मचारियों का असन्तोषजनक कार्य, कतिपय कर्मचारियों का निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करना, आदि न हो सका ।

*१८—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के स्टेट फार्म्स में सेवारत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको इनके इन्क्रीमेंट का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है और इस प्रकार के एरियर अधिकतम कितने वर्षों से बकाया चले आ रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

उत्तर प्रदेश के स्टेट फार्म्स में सेवारत ऐसे १९ कर्मचारी हैं जिनको उनके इन्क्रीमेंट के एरियर अभी तक नहीं दिये गये हैं इस प्रकार के एरियर अधिकतम १० वर्षों से बकाया चले आ रहे हैं।

स्टेट फार्म हेमपुर में २ अक्तूबर की छुट्टी

*१९—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेटफार्म, हेमपुर (नैनीताल) में २ अक्तूबर, १९६३ को गांधी जयन्ती की राजपत्रित छुट्टी मैकेनिकल स्टाफ को नहीं दी गई ? यदि हां, तो उपरोक्त छुट्टी के दिन काम करने के लिये कर्मचारियों को क्या ओवरटाइम वेतन दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

स्टेट फार्म हेमपुर (नैनीताल) पर २ अक्तूबर, १९६३ को गांधी जयन्ती की छुट्टी मैकेनिकल स्टाफ के कर्मचारियों को भी दी गई थी, किन्तु कुछ अत्यावश्यक कृषि कार्य के कारण ट्रैक्टर स्टाफ के कुछ कर्मचारियों को ३ घंटे कार्य करने के लिये बुला लिया गया था। उसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया गया।

वाराणसी जिले में सीमेंट वितरण

*२०—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के अन्तर्गत सब-डिवीजन वाराणसी दक्षिणी के परगनाधीश के इजलास से पिछले ४ महीने में किन-किन व्यक्तियों को २५ बोरी से अधिक सीमेंट की परमिट दी गई और किस काम के लिये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५८ पर)

*२१—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार इन २५ बोरी सीमेंट से अधिक परमिट वालों ने उक्त सीमेंट का क्या प्रयोग किया इसकी जांच करायेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यदि शासन को उक्त परमिटों के दुरुपयोग की सूचना प्राप्त होगी तो जांच अवश्य करायी जावेगी।

श्री गयाप्रसाद—

क्या मन्त्री जी को पता है कि संलग्न सूचना में जो ४ परमिटें रामनगर की हैं वे एक ही व्यक्ति की है और उसने कोई मकान बनवाने या मरम्मत वगैरह का काम नहीं किया है और सारे सीमेंट का उसने ब्लक किया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री दयाप्रसाद—

मेरे कहे को सूचना मानकर मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना उनके पास भेज दें।

कानपुर जिले में टीन के परमिट

*२२—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर द्वारा १ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक किस-किस को टीन के परमिट दिये गय, उनके नाम व पते क्या ह ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

वांछित सूचना की तालिका ४२ पन्नों में है जिनकी प्रतियां प्रस्तुत करने में कठिनाई थी। इसलिये सदस्य महोदय को यदि कोई आपत्ति न हो तो वे कृपया यह तालिका मेरे कमरे में देख लें, या वे कहें तो इसको अध्यक्ष महोदय के कमरे में भेज दिया जाय जहां वे इसको देख सकते हैं।

बाराबंकी जिले में शक्कर का वितरण

*२३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार ने मुख्य-मुख्य अवसरों व धार्मिक कृत्यों के लिये चीनी वितरण के सम्बन्ध में आदेश समय-समय पर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर बाराबंकी के पास भेजे ? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की सरकार कृपा करेगी और क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बाराबंकी जिले में होलसेल व रिटेल डीलर शुगर के कहां-कहां और कितने-कितने हैं और जुलाई, १९६३ से अक्तूबर, १९६३ तक हर माह कितनी-कितनी शक्कर बाराबंकी के लिये आई और हर-माह में अलग-अलग हर दुकानदार को कितनी-कितनी शक्कर मिली ?

श्री जगमोहनसिंह नगी—

जी हां। अन्य जिलों की तरह बाराबंकी को भी धार्मिक उत्सवों और पर्वों के लिये अतिरिक्त कोटा दिया गया है। बाराबंकी को निम्नलिखित कोटे विशेष धार्मिक पर्वों पर दिये गये हैं :—

(१) रक्षा बन्धन, जन्माष्टमी	३०० बोरी	परिपत्र ३०/६३	दिनांक २७-८-६३।
(२) देवा मेला ..	४०० बोरी	सेविग्राम, दिनांक	२८-९-६३।
(३) दशहरा ३६०, १६० देवा मेला।	५२० बोरी	परिपत्र ३१/६३,	दिनांक २८-९-६३।
(४) दीपावली ..	३०० बोरी	परिपत्र ३२/६३,	दिनांक १९-१०-६३।

उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(अ) बाराबंकी जिले में इस समय २९ होल सेल और २८१ रिटेल डीलर हैं। वे कहां-कहां हैं उनको हर माह जुलाई से अक्तूबर, १९६३ तक कितनी-कितनी चीनी मिली, संलग्न †सूची में दी है। जुलाई से अक्तूबर, १९६३ के बीच निम्नलिखित चीनी बाराबंकी को मिली :—

	बोरी
जुलाई, १९६३	३,२५०
अगस्त, १९६३	३,५००
सितम्बर, १९६३	३,२६०
अक्तूबर, १९६३	३,८६०

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर नगरपालिका अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६३ के आखिरी सप्ताह में श्रीमती तारा अग्रवाल, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, स्वायत्त शासन ने सहारनपुर का दौरा किया और उन्हें वहां के लोगों तथा नगरपालिका के सदस्यों ने नगरपालिका के अधिकारियों तथा अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिया? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां।

२३ अगस्त, १९६३ को दिये गये शिकायती-पत्र में कुल ९ आरोप लगाये गये थे जिनमें से ६ आरोपों पर पहले से जांच हो रही थी और ३ आरोप जो नये थे वे भी जांच के लिये भेजे गये।

*२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नगरपालिका, सहारनपुर के अध्यक्ष तथा अधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होने पर भी सरकार ने नगरपालिका को भंग करने या अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सत्य है कि नगरपालिका सहारनपुर तथा उसके अध्यक्ष और अधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश ऐसी थीं जो कि जांच करने पर गलत पाई गयीं। आधे से भी कम शिकायतें सही मिलीं उनमें से कुछ तो दूर कर दी गईं और कुछ ऐसी अनियमिततायें थीं जो ठीक प्रबन्ध न होने के कारण हो गई थीं। शेष शिकायतें जो सही मिली थीं वे इतनी गंभीर नहीं थीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि वह स्वयं सहारनपुर नगरपालिका की बनाई हुई कालोनीज को देखने के लिये गयीं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की जिस जांच के लिये भेजा गया। उस पर जिलाधिकारियों ने जो जांच करके भेजी है उससे आप सन्तुष्ट हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। मैं गई थी और जो शिकायतें बताई गयीं या मैंने स्वयं देखीं उनके आधार पर ही कार्यवाही की गई। प्लास्टर का सीमेंट अवश्य निम्न स्तर का था। उसकी जांच और कार्यवाही हो रही है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

वहां के अध्यक्ष और नगरपालिका के विरुद्ध भिन्न-भिन्न शिकायतें जो सरकार को प्राप्त हुई हैं, उनमें ऐसी शिकायतें भी हैं कि अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से ३ लाख के बजाय ५।। लाख रुपया कालोनी पर खर्च किया, २ लाख के बजाय ३।। लाख किया, फायर ब्रिगेड का दफ्तर बनाने के लिये १८ हजार की जगह १ लाख २९ हजार बगैर बोर्ड की मंजूरी के खर्च किया ? इस प्रकार करीब ५।। लाख रुपया बिना बोर्ड की मंजूरी के खर्च कर दिया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

शिकायतों की संख्या तो ६६ है लेकिन बोर्ड की बिना मंजूरी के खर्च को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

सहारनपुर नगरपालिका में सब-कमेटीज का चुनाव पिछले ६ वर्षों में केवल दो बार हुआ है जबकि कानून से हर वर्ष होना चाहिये था, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही नगरपालिका या अध्यक्ष के विरुद्ध की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नोटिस चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सही शिकायतों के लिये सरकार ने अध्यक्ष के विरुद्ध क्या किया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कार्य की अनियमितताओं के लिये उन्हें आदेश दिये गये। कोई दण्ड देने वाली शिकायत नहीं थी और न किसी ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता थी।

श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को पता है कि वहां की स्वीपर कालोनी की छत कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देने से पहले ही गिर गई थी, जिसकी जांच एक पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर को दी गई जो वहां के एक्जीक्यूटिव अफसर के रिश्तेदार थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी जानकारी नहीं है।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि म्युनिसिपल बोर्ड, सहारनपुर में यह रिवाज रहा है कि जिन ठेकों और कामों में चेयरमैन को दिलचस्पी होती है वह २।। सौ रुपये की अपनी अथारिटी के मातहत बिल पास कराके चला देता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सूचना नहीं है।

श्री अहमद बख्श—

जो ५।। लाख रुपया जायद खर्च किया गया है उसक लिय बोर्ड की मंजूरी ली गई या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उन्होंने कुछ रुपया वह खर्च किया जिसका उनको अधिकार था, बाकी बोर्ड से पास करा के किया। जो रुपया एक्सेस खर्च हो गया था उसकी बोर्ड से सैंक्शन ले ली, क्योंकि वे काम करा चुके थे इसलिये उनको सैंक्शन दे दी गयी।

श्री अहमद बख्श—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो साढ़े पांच लाख रुपया बिना बोर्ड की मंजूरी के खर्च हुआ बताया जाता है वह बोर्ड की मंजूरी से हुआ था या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ५ अप्रैल, १९६३ को भूतपूर्व एल० एस० जी० मिनिस्टर, सहारनपुर गये थे वहां १४ सदस्यों ने ४७ के करीब शिकायतें की थीं जो एक पत्र के रूप में मन्त्री जी को भेजी गयीं थीं। क्या मन्त्री जी ने उसकी जांच करायी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जांच करायी गयी। उसकी रिपोर्ट आ गई है अब उस पर उनके उत्तर का इन्तजार है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

उनको २५० रुपया अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार है, लेकिन क्या उन्होंने बोर्ड की बिना मंजूरी के लम्बी-लम्बी रकमें खर्च कर दीं ? यदि हां, तो क्या इसके लिये सरकार ने उनको कोई वार्निंग दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि ऐसी कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं पायी गयी।

श्री जयगोपाल —

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि नगरपालिका एक टाउन हाल बनाना चाहती थी जिसकी लागत ७ लाख रुपया आंकी गयी थी ? गवर्नमेंट ने उसके बारे में क्या यह आदेश दिये थे कि वह न बने लेकिन उन आदेशों के बावजूद उसका निर्माण जारी है ? सरकार उस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसी तो सूचना नहीं है, लेकिन अगर वह बिना सैंक्शन के बना रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि २५० रुपया से ज्यादा खर्च करने की सूचना मैंने माननीय मन्त्री जी को शिकायत के रूप में और प्रश्नों द्वारा दी थी तथा हाल के बारे में भी उनको जानकारी लिखकर दी थी ? क्या माननीय मन्त्री को यह ज्ञान है कि नगरपालिका के अध्यक्ष एक भूतपूर्व मन्त्री जी के सम्बन्धी हैं और यही वजह है कि इन तमाम अनियमित कार्यवाहियों के होते हुए भी, जिला अधिकारी द्वारा जांच होने पर सारी कार्यवाही ठप हो जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन अध्यक्ष है और कौन उसका सम्बन्धी है ।

गोरखपुर, देवरिया व बस्ती जिले के लिए सीमेंट

*३--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलेवार सीमेंट का कोटा उसकी जन-संख्या तथा विकास व निर्माण-कार्य को देखते हुए दिया जाता है ? यदि हां, तो गोरखपुर, बस्ती व देवरिया जिले का कोटा उक्त नीति के अनुसार क्यों नहीं है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां। गोरखपुर, बस्ती तथा देवरिया जिलों को अन्य जिलों की भांति इसी आधार पर सीमेंट का कोटा दिया जाता है।

*४--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार इन जिलों में इस वर्ष अधिक सीमेंट देने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

वर्ष १९६४ में इन जिलों को अन्य जिलों की ही भांति कुछ अधिक सीमेंट मिलने की सम्भावना है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती, ये तीनों जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, फिर उनसे आधी जनसंख्या वाले जिलों को दुगना सीमेंट क्यों दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कन्सट्रक्शन वर्क पर भी विचार किया जाता है। फिर उनको रिएलोट करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायगे कि देवरिया जिले में सैकड़ों घर अब भी गिरे हुए हैं और लोग पेड़ों पर रह रहे हैं। वे चाहते हैं कि सीमेंट मिल जाय तो घर बनवा लें। इसलिये क्या मन्त्री जी उन जिलों को अधिक कोटा देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, थोड़ा-सा बढ़ाया जा रहा है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी उसी रेशियो से कोटा बढ़ायेंगे जितना न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को दिया गया है ? आखिर कोटा बढ़ाने का आधार क्या होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसका दो आधार होता है, एक तो जनसंख्या और दूसरा काम। तो काम ज्यादा था उसे भी देख कर दिया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय मन्त्री जी ने इस आदरणीय सदन में बोलते हुए आश्वासन दिया था कि पूर्वी जिलों में जो बाढ़ के इलाके हैं वहां बाढ़ से पीड़ित लोगों को सीमेंट व कारगोरेटेड शीट्स (कर्कट)

का कोटा बढ़ाया जायगा और इसके लिये गवर्नमेंट का आदेश भी था, लेकिन अभी तक उन जिलों में उस आदेश को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर ऐसा आश्वासन रहा है तो आश्वासन समिति में उसका उत्तर दिया गया होगा। इस समय मुझे स्मरण नहीं है।

नदियों द्वारा कोयले का यातायात

*५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नदियों द्वारा प्रदेश को कोयले का यातायात बढ़ाने के सम्बन्ध में जो बैठक १७, १८ अगस्त, १९६२ को पटना में होने वाली थी उसमें भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने उसमें अपना क्या सुझाव रखा था तथा अब यह योजना किस प्रगति पर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१७ व १८ अगस्त, १९६२ को पटना में जो बैठक हुई थी समन्वेषी (explaratory) थी। उसमें राज्य सरकार द्वारा कोई सुझाव नहीं रखा गया था और न कोई अन्तिम निर्णय ही हुआ था। इस बैठक के बाद और छानबीन करने के उपरान्त यह योजना प्रयोगात्मक (experimental) रूप में लागू की गई। इस समय योजना निलम्बित कर दी गई है।

मैनपुरी जिले के लिए सीमेंट

*६--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के लिये गत जनवरी तथा फरवरी व मार्च, का पहले क्वार्टर का सीमेंट का कोटा और अप्रैल, व मई व जून का दूसरे क्वार्टर का सीमेंट का कोटा कितना सरकार से मुकर्रर हुआ था और अब तक कितना मैनपुरी में आया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सूचना निम्नलिखित है :--

क्वार्टर	एलाटमेंट	प्राप्त हुआ
	टन	टन
१ जनवरी–मार्च	१,२६५	९७८
२ अप्रैल–जून	१,४२६	१,१९१

लखनऊ में क्षत्रिय कालेज ट्रस्ट की जमीन

*७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्षत्रिय कालेज की जमीन जो आई० टी० कालेज, लखनऊ के पीछे है उस पर लखनऊ नजूल ने कब कब्जा किया और क्षत्रिय कालेज ट्रस्ट को नजूल ने नोटिस किस तारीख को दिया ?

नोट:--तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आई० टी० कालेज, लखनऊ के पीछे नजूल की जमीन है, जो क्षत्रिय कालेज ट्रस्ट को पट्टे पर १९२४ में दी गई थी उस पर ३ सितम्बर, सन् १९६० को नजूल ने पुनः अधिकार कर लिया था। इस सम्बन्ध में नजूल द्वारा क्षत्रिय कालेज ट्रस्ट को १ दिसम्बर ,सन् १९५९ को नोटिस दी गई थी।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या नजूल ने क्षत्रिय कालेज की जमीन पर कोई स्कीम चालू की है ? यदि हां, तो उसके लेआउट (lay out) की नकल सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त नजूल जमीन के लिये शासन ने एक स्कीम स्वीकृत की है जिसके लेआउट की एक †प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

लेवी के रूप में चावल

*९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेश की मिलों से ५० फीसदी चावल सरकार लेवी के रूप में लेती है ? यदि हां, तो आगरा जिले की मिलों से जुलाई और अगस्त सन् १९६३ ई० में केवल २५ परसेंट ही चावल लेवी के रूप में किस कारण से लिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। १९६२–६३ की फसल में मिलों से ५० प्रतिशत चावल श्रेणी २, २-ए, २ स्पेशल, ३, ३-ए, ४ और ५ का लेवी के रूप में लिया जाता था, परन्तु आगरा जिले में जुलाई और अगस्त सन् १९६३ में केवल २५ प्रतिशत ही चावल निम्नलिखित कारणों से लिया गया :

(१) धान के अभाव के कारण केवल एक मिल आगरे में चल रही थी।

(२) आगरा के व्यवसायियों को धान की खरीदारी ऊंचे भाव पर करनी पड़ रही थी, जिससे उनको अपनी मिलों को चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी।

(३) १९६१–६२ की अपेक्षा १९६२–६३ में आगरा में अधिक चावल की खरीदारी हो चुकी थी।

(४) चावल की फसल समाप्त हो चली थी, जिससे सरकारी खरीद की मात्रा में कोई विशेष कमी होने की सम्भावना नहीं थी।

मगरौल खुर्द के फार्म के लिए विज्ञप्ति

*१०—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार को पता है कि कैबिनेट के निर्णय (प्रेस नोट फरवरी सन् १९६२) के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि जिन फार्मों पर सरकार का कब्जा नहीं हुआ है किसानों की भूमि छोड़ दी जायेगी ?

श्री चरणसिंह—

जी हां।

---

† छापी नहीं गई।

*११—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—

यदि हां, तो हमीरपुर जिले के ग्राम मगरौल खुर्द में बनाये जा रहे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की जमीन का अभी तक क्यों डिनोटीफिकेशन नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह—

डिनोटिफिकेशन विज्ञप्ति संख्या-ए/३५४६/१२-ए०:६६१-६०, दिनांक २० जनवरी, १९६३ द्वारा कर दिया गया था।

बुढ़ाना तहसील में सीड स्टोर सुपरवाइजर, श्री सीताराम का निलम्बन

*१२—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार ४ दिसम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या १६, १७ और १८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि काश्तकारों के नाम अभी तक वसूलयाबी की सूची से काटे गये हैं, या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। तहसीलदार, बुढ़ाना को भेजी गई वसूलयाबी की सूची से सम्बन्धित काश्तकारों के नाम फिलहाल काट दिये गये हैं।

शाहजाबाद गौशाला की गायों की हत्या

*१३—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को पता है कि जिला बदायूं की तहसील गिन्नौर के ग्राम शाहजाबाद के गौशाले से सितम्बर, १९६२ में कुछ गायें दीवाल तोड़ कर गायब कर दी गई थीं, जिनकी सूचना पुलिस तथा जिलाधीश को दे दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी गायें गायब हुईं ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। इस गोशाला से दो गायें गायब हुई थीं।

*१४—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इन गायों की हत्या कर दी गई है और क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

इन गायों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच की, तथा तीन अपराधियों के विरुद्ध धारा ३८० भारतीय दण्ड विधान व ५/६ गो-बध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चार्जशीट दे दी । धारा ३८० का मुकदमा न्यायालय से छूट गया, किन्तु धारा ५/६ गो बध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।

ऊंचा गांव विकास खण्ड में किसानों को पौधे की सप्लाई

*१५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विकास खण्ड ऊंचा गांव, जिला बुलन्दशहर में जो पैबन्दी शरबती आड़ू की पौध हार्टीकल्चर विभाग द्वारा सहारनपुर से लाकर जनवरी सन् १९५९ ई० में कृषकों को दी गई थी वह अब फल आने पर बीज आड़ू की निकली जिससे कि पौध को लगाने वालों को जो विशेष कर ग्राम चन्दियाना में हैं अधिक हानि पहुंची है ?

श्री चरणसिंह—

इस समय पौधों पर फल नहीं हैं अतः गर्मियों में फल आने पर ही ठीक तरह से मालूम हो सकेगा कि किस किस्म के फल आ रहे हैं।

*१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है और इस नकसान की पूर्ति वह किस प्रकार करेगी ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

*१७—१९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[६३ सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

विकास केन्द्रों से खाद लेना

*२०—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री को इस बात का पता है कि अनेक विकास केन्द्रों द्वारा जब किसी प्रकार का अनुदान अथवा ऋण किसानों को दिया जाता है, तो ऐसे अवसरों पर विकास के कृषि अधिकारी से उन किसानों को विकास केन्द्र पर आई हुई खाद को विवश होकर खरीदना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। खाद के लिये कृषक स्वयं निर्धारित रूप (prescribed form) पर प्रार्थना-पत्र देता है। विवश करके खाद किसी हालत में नहीं दी जाती।

*२१—श्री रघुनाथसिंह—

क्या विकास केन्द्र के अधिकारियों द्वारा अपनी खाद की आवश्यकता और मांग उच्च अधिकारियों के पास रखी जाती है अथवा खाद की मन चाही मात्रा विकास केन्द्रों पर भेज दी जाती है ?

श्री चरणसिंह—

खाद की मात्रा विकास केन्द्रों पर अनुमानित मांग के अनुसार भेजी जाती है।

टाउन एरिया, नरैनी मे यातायात कर

*२२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि क्या टाउन एरिया नरैनी, जिला बादा में प्रति बैलगाड़ी राहगीरों के जो सड़क से गुजरते हैं और टाउन नरैनी में नहीं ठहरते, चार आना प्रति गाड़ी लिया जाता है और क्या इसके लिये सरकार से मन्जूरी हासिल कर ली गई है ? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही क्यों की जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये ट्रांजिट पास नियमों के अनुसार टाउन एरिया कमेटी नरैनी की सीमा से केवल गुजरने वाले, लदे हुए जानवरों व मोटर गाड़ियों तथा बैलगाड़ियों व अन्य यातायात के साधनों पर नियमानुसार एक आने से चार आने तक ट्रांजिट पास फीस ली जाती है ।

*२३—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो राहगीर ठेला तथा बैलगाड़ी द्वारा नरैनी से बाहरी सड़क द्वारा आते-जाते हैं और वह पक्की सड़क सिर्फ नरैनी ग्राम या बाजार न जाकर बाहर-बाहर जाती है ? तब क्या कारण है कि उनसे टोल-टैक्स लिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो लदे हुये जानवर व कुली तथा अन्य यातायात के साधन नरैनी टाउन एरिया कमेटी की सीमा में होकर केवल गुजरते हैं, वहां ठहरते नहीं, उन पर उक्त नियमों के अनुसार केवल ट्रांजिट पास फीस ली जाती है, टोल टैक्स नहीं। टाउन एरिया की सीमा से बाहर जाने वाले यातायात के साधनों पर टोल टैक्स अथवा ट्रांजिट पास की लेने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में ईंट के भट्ठे

*२४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को सफल बनाने के लिये इस समय ईंट की अधिक मांग है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक स्थायी भट्ठों के लाइसेंस देने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। अब चूंकि स्पेयर कैपेसिटी में काफी कोयला आ गया है इसलिये साधारणतः बहुत से अस्थायी भट्ठे जिला अधिकारीगण खोल रहे हैं। इससे ईंटों की कोई कमी नहीं है और सम्भवतः न होगी। चूंकि राज्य सरकार का स्थायी कोटा नहीं बढ़ा है और केवल आजकल स्पेयर कैपेसिटी में ही कोयला आ रहा है अतएव स्थायी भट्ठे अधिक संख्या में बढ़ाना उस समय तक उचित न होगा जब तक राज्य का स्थायी कोटा नहीं बढ़ता।

*२५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस वर्ष कोयले की हालत प्रदेश में सन्तोषजनक है ? यदि हां, तो क्या सरकार अस्थायी लाइसेंस वालों को कोयला देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। अस्थायी लाइसेंस वालों को कोयला देने के लिये जिलाधीशों को यथोचित आदेश दे दिये गये हैं।

*२६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में इस समय कितने भट्ठे ईंट पकाने के चल रहे हैं ? उनमें कितने स्थायी व कितने अस्थायी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

७०, जिनमें से ३४ स्थायी तथा ३६ अस्थायी हैं।

नगरपालिका सिकन्दराबाद में सड़कों का निर्माण

*२७—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ और १९६२-६३ में नगरपालिका सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर की सड़कों के लिये प्रान्तीय सरकार द्वारा कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया और राजकीय अनुदान के बराबर नगरपालिका सिकदराबाद ने अपने फण्ड से रुपया मिलाया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सन् १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में शासन द्वारा नगरपालिका सिकन्दराबाद की सड़कों के निमित्त कोई अनुदान नहीं दिया गया।

*२८—श्री जसरामसिंह—

सन् १९६१–६२ और १९६२–६२ में कौन-कौन सी सड़कें बनवाई गईं उसमें राजकीय अनुदान का और नगरपालिका के फण्ड का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सन् १९६१–६२ में राजकीय अनुदान से कोई सड़क नहीं बनाई गई । सन् १९६२–६३ में संलग्न तालिका में दी गई सड़कें बनाई गईं। इन पर रु० २८,३१४.१५ न० पै० पिछले वर्षों में दिये गये राजकीय अनुदानों से तथा इतनी ही धनराशि नगरपालिका के कोष से व्यय हुई ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५९ पर)

मथुरा जिले में अवैतनिक कारागार निरीक्षक

*२९—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले के लिये जो नवीन अवैतनिक कारागार निरीक्षक जुलाई अथवा अगस्त, १९६३ में नियुक्त किये गये हैं उन्हें प्रदेशीय सरकार द्वारा नियुक्त करने के पूर्व क्या जिला अधिकारियों एवं उक्त कार्य के लिये नियुक्त कमेटी से राय ली गई थी ? यदि हां, तो उन लोगों की क्या राय थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जी नहीं। नियमानुसार शासन को बिना जिला अधिकारी एवं नियुक्ति कमेटी की राय लिये हुये भी ऐसी नियुक्तियां करने का अधिकार है।

सुल्तानपुर जिले के कम्पाउन्डर, श्री वीरबहादुरसिंह के विरुद्ध आरोप

*३०—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पशु-चिकित्सालय, कूड़ेभार, जिला सुल्तानपुर के कम्पाउन्डर श्री बीर बहादुर सिंह के विरुद्ध सरकारी खुफिया बिभाग ने कोई रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह —

श्री बीर बहादुर सिंह, कम्पाउन्डर, पशु-चिकित्सालय, कूड़ेभार जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध श्री रामकरन सिंह, बैजापुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा दिया गया दिनांक १४ अक्तूबर, १९५९ का एक शिकायती पत्र जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित था तथा जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं स्त्रियों के अपहरण तथा विक्रय के आरोप लगाये गये थे । इस विभाग में प्राप्त हुआ जिसके प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधीश सुल्तानपुर को उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) के द्वारा जांच कराकर जांच रिपोर्ट भेजने के लिये प्रार्थना की गई। जिलाधीश सुल्तानपुर ने अपने पत्र दिनांक २२ दिसम्बर, १९५९ के साथ उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) की जांच रिपोर्ट निदेशक पशुपालन को भेजी तथा श्री बीर बहादुर सिंह के स्थानान्तरण के लिये संस्तुति की, जिसके अनुसार श्री बीर बहादुर सिंह का स्थानान्तरण उप निदेशक पशुपालन विभाग, फैजाबाद द्वारा कड़ेभार से लक्ष्मणपुर, जिला प्रतापगढ़ कर दिया गया था ।

*३१–३२—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३३—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गाजियाबाद में जमीन का नक्शा पास करने में गड़बड़ी

*३४—श्री तेजसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसी शिकायत पहुंची कि गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में प्रेसक्राइब्ड अथारिटी जब निजी कालोनियों के नक्शे पास करती है तो इस बात की तसदीक नहीं करती कि कालोनी की भूमि कानूनी मिलकियत है या नहीं, अर्थात् लैंड रिकार्ड्स में वह भूमि उसके नाम चढ़ी है या नहीं? अगर हां, तो इस गड़बड़ को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

इस प्रकार की शिकायत मिली है। अब नियत अधिकारी केवल उन्हीं जमीनों के नक्शे स्वीकृत करते हैं जो कालोनाइजर की कानूनी मिलकियत है।

*३५—श्री नेकराम शर्मा—

[हटा दिया गया।]

गुन्नौर ब्लाक से सीमेंट का वितरण

*३६—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार २३ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि कुल ३४१ परमिट दिये तो क्या कारण है कि एक ही ग्राम को २७ परमिट दिये गये, जबकि ब्लाक में कुल ग्राम ९० हैं? जबकि ब्लाक में बबराला से ज्यादा आबादी के गांव हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सीमेंट के परमिट केवल प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसकी जांच के पश्चात् दिये जाते हैं। प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्रों में ग्राम सभा बबराला के प्रार्थना-पत्रों की संख्या सबसे अधिक थी, अतः ग्राम सभा बबराला को दिये गये परमिटों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है।

डी० आई० जी० पद का सृजन

*३७—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या कारागार मन्त्री दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ के प्रश्न संख्या १ नत्थी (ग) के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय प्रिजंस ऐक्ट १९०० में बनाया गया था उस समय डी० आई० जी० का कोई पद था? यदि नहीं, तो इस ऐक्ट का संशोधन कब हुआ जिस आधार पर दो-दो डी० आई० जी० के पद बनाये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रिजन्स ऐक्ट १८९४ (एक्ट सं० ९ आफ १८९४) में डी० आई० जी० के पद का कोई जिक्र नहीं है। डी० आई० जी० की पोस्ट का सृजन करने हेतु इस ऐक्ट का संशोधन नहीं हुआ। इस ऐक्ट की धारा ५९ के अधीन शासन को कुछ अधिकार दिये गये हैं और उन अधिकारों का प्रयोग कर डी० आई० जी० के पद का सृजन किया जा सकता है।

गाजियाबाद विकास के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा

*३८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) —

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि किसानों की एक्वायर की गई है और किस-किस ग्राम की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद तथा यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवश्य विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत गाजियाबाद के विकास के लिये अब तक २० ग्रामों में २,८१४ एकड़ भूमि अर्जित की गई है। ग्रामों की सूची (क) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६० पर)

*३९—श्री रामचन्द्र विकल —

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कितनी भूमि का अब तक मुआवजा दिया जा चुका है और किस-किस दर से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

अब तक कुल ५१४ एकड़ भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। दरों की सूची (ख) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

*४०—श्री रामचन्द्र विकल —

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, सन् १९६३ में गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कुछ भूमि नीलाम की है ? यदि हां, तो कितनी और किस दर पर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जी हां।

गृह निर्माण तथा दूकानें बनाने के लिये क्रमश रु० ३२·३४ न० पै० तथा रु० ७१·३८ न० पै० प्रति गज के औसत प्रीमियम पर ११,७८९.७७ वर्ग गज भूमि नीलाम की गई है।

जिला शाहजहांपुर में विधान परिषद् के सदस्य के विरुद्ध मामले

*४१—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर) —

क्या सरकार को यह पता है कि जिला शाहजहांपुर में पूर्ति अधिकारी के पास किसी विधान परिषद के सदस्य के खिलाफ लगभग २७ मामले चोरी से मकान किराये पर उठाने (unauthorised occupants) के हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिलाधीश, शाहजहांपुर ने तथा पूर्ति अधिकारी ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और वह मामले क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

जी हां। प्रश्न गत मामले की जांच की जा रही है। अत : किसी कार्यवाही के न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*४२—४३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) —

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४४-४५---श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

[६ठें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कोटे की दूकान के लिये नियम

*४६---श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---

क्या सरकार ऐसा नियम बनायेगी कि जो सरकारी कोटे की दूकान रखने वाले लोग ब्लैक मार्केटिंग में पकड़े जायं उन्हें कोई भी कोटे की दूकान न दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस आशय के आदेश कि उन व्यापारियों को जिनका पुराना Business record ठीक नहीं है कोई भी कोटे की दूकान न दी जाय, सम्बन्धित अधिकारियों के पास पहिले से ही मौजूद हैं ।

जेल में फिनायल के ड्रमों का विक्रय तथा जेल ट्रेनिंग स्कूल की जमीन का किराया

*४७---श्री हिम्मतसिंह तथा श्री शारदानन्द---

क्या कारागार मन्त्री दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ के प्रश्न संख्या २, नत्थी 'ग' के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बनारस वाली फर्म में जो प्रार्थना-पत्र कारागार महानिरीक्षक तथा सचिव गृह विभाग को दिया था, वह क्या था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इस प्रार्थना-पत्र में बनारस वाली फर्म ने राज्य को जेलों में काम लायक उपलब्ध फिनाइल के खाली ड्रमों को खरीदने का प्रस्ताव दिया था ।

*४८---श्री हिम्मतसिंह तथा श्री शारदानन्द---

क्या कारागार मन्त्री दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ के प्रश्न संख्या ३, नत्थी 'ग' के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के विरुद्ध जो सब-टेनेन्ट रक्खा गया, सरकार को इसका इल्म कब हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उत्तर प्रदेश टेनेन्सी ऐक्ट जेल की भूमि पर लागू नहीं होता। अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, कारागार उद्योग द्वारा मुआयना

*४९---श्री परमाईलाल (जिला हरदोई) तथा श्री हिम्मतसिंह---

क्या कारगार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक कारागार उद्योग ने पिछले तीन साल में कितने व कौन-कौन जेलों का मुआयना किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

निदेशक कारागार उद्योग ने पिछले तीन सालों में जितने और जिन-जिन जेलों का मुआइना किया उनकी सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

धोकना गांव को गाजियाबाद नगरपालिका में लेने की प्रार्थना

*५०—श्री तेजसिंह —

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को धोकना, परगना लोनी, तहसील गाजियाबाद के निवासियों का कोई इस किस्म का प्रार्थना-पत्र मिला है कि धोकना गांव को नगरपालिका गाजियाबाद की सीमा के अन्दर ले लिया जाय ? अगर हां, तो इस पर सरकार का निश्चय क्या है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

मऊआइमा टाउन एरिया के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*५१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी —

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की मऊआइमा टाउन एरिया के नागरिकों का कोई पत्र उक्त टाउन एरिया को नोटीफाइड एरिया बनाने के सम्बन्ध में शासन को २९ जून, १९६३ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

प्रथम भाग—

जी हां। केवल श्री बालोजी राव का एक पत्र जून, १९६२ में प्राप्त हुआ है।

द्वितीय भाग :

जिलाधीश इलाहबाद से रिपोर्ट मांगी गई है।

*५२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया के रूप म कब तक बदल दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

विशेष तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

शक्कर वितरण अव्यवस्था की जांच

*५३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६३ के अन्तिम तथा नवम्बर १९६३ में खाद्य मंत्री और उनके सभा सचिव द्वारा स्वयं शक्कर वितरण की अव्यवस्था के संबंध में कहां-कहां जांच की गई ? उसके क्या तथ्य सामने आये तथा सरकार द्वारा दोषी पाये गये दूकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दौरे का अभिप्राय स्थिति का अध्ययन करना व जो मौके पर शिकायत सामने आये उसे दूर करना था। (Enforcement Squad) इन्फोर्समेंट स्क्वाड द्वारा भी उन दिनों दूकानों की जांच कराई गई। दूकानों की नियुक्ति व उनको हटाने के अधिकार जिलाधीशों को है अथवा जो अनियमितताएं मालूम हुई हैं उनकी रिपोर्ट जिलाधीशों को उचित कार्यवाही हेतु दे दी गई।

इटावा जिले के बीज गोदामों का गल्ला

*५४—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

क्या यह सच है कि सितम्बर-अक्तूबर, १९६३ में जिला इटावा में सरकारी बीज गोदामों से जो गल्ला किसानों को बोने के लिये दिया गया है, वह कटा हुआ था और उसको बोने से गेहूं, जौ, चना और मटर नहीं जमा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इसकी जिम्मेवारी किस अधिकारी पर थी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५५—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कबाल टाउन्स में सप्लाई विभाग के हेड क्लर्कों की उन्नति, वाराणसी जिले में सप्लाई विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*५६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की सप्लाई विभाग को पांचो कबाल टाउनों के हेड क्लर्कों के प्रोमोशन की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि कबाल टाउनों के अलावा हर जिले के हेड क्लर्कों को सप्लाई इंन्स्पेक्टर, सीनियर इंन्स्पेक्टर, चीफ इंन्स्पेक्टर, ए० आर० ओ० तथा डी० एस० ओ० तक होने के मौका मिला है और मिलता जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। कबाल टाउनों के हेड क्लर्कों की उन्नति की व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है।

*५७—श्री ऊदल—

क्या इस विभाग में अब तक कार्य करने वालों को स्थायी नहीं किया गया और लोग २०-२० वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब तक ४६ कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

*५८—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जिले में, इस विभाग में कितने लोग स्थाई हैं और कितने अस्थाई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वाराणसी जिले में ४ कर्मचारियों को स्थाई किये जाने के संबंध में जिलाधीश को वांछित आदेश भेज दिए गये हैं। बाकी सब कर्मचारी अस्थाई हैं।

*५९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

चीनी, एवं सीमेंट का वितरण

*६०—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति व्यक्ति चीनी देने जो कोटा उन्होंने प्रदेश में निर्धारित किया है, उसके अनुसार प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी चीनी देनी होती है ? क्या इसका आंकड़ा उन्होंने प्रत्येक जिले से मंगा लिया है और क्या उसके अनुसार प्रत्येक जिले को चीनी नवम्बर माह में सप्लाई की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। जिले से जनसंख्या के आंकड़े न मंगा कर १९६१ की सेंसर रिपोर्ट में दी हुई जनसंख्या के आधार पर हर जिले का कोटा निर्धारित किया गया है। प्रति व्यक्ति के लिये की गई निर्धारित मात्रा के हिसाब से कम पड़ता है। नवम्बर में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये कोटे का वितरण विभिन्न जिलों में किया जा चुका है ?

*६१—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या खाद्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि सीमेंट वितरण के संबंध में सरकार ने कोई नया आदेश भेजा है, जिसके अनुसार जनता को निजी कार्यों के लिये कुल कोटे का केवल २५ प्रतिशत दिया जायेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। विकास एवं कृषि संबंधी कार्यों की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुये यह आदेश जारी किये गये हैं कि जिले के कोटे से ७५ प्रतिशत सीमेंट नियोजन कार्यों के लिये तथा २५ प्रतिशत सीमेंट जनता के निजी कार्यों के लिये दी जावेगी।

जौनपुर जिले की गोशालायें

*६२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में कितनी गोशालाएं पंजीकृत हैं और उनको सरकार से प्रतिवर्ष क्या अनुदान दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—

जौनपुर जिले में तीन पंजीकृत गौशालायें हैं। इनमें से केवल एक गौशाला जिसका नाम "गौरक्षिणी सभा, शाहगंज" है को निम्नलिखित अनुदान दिया गया है—

वर्ष	रुपये
१९५७–५८	१०,५००,००
१९५८–५९	१,३३३.३४
१९५९–६०	१,९९९.८१
१९६०–६१	२,४८०.००
१९६१–६२	१,७५०.००

*६३—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ नगरपालिका में हरिजन क्वार्टर

*६४—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका ने जो सरकार से रुपया लेकर हरिजन क्वार्टर बनवाये हैं, उन पर कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी तक कुल ७३,०८२ रु० ५२ न० पै० खर्च हुए ।

*६५—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इन क्वार्टरों में हरिजनों को क्यों नहीं बसाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कौन-कौन लोग उसमें बसे हैं ?

श्री चर्तुभुज शर्मा—

हां । क्वार्टरों का किराया २ रु० मासिक करने पर भी हरिजनों ने अपने निजी मकानों को छोड़कर इन क्वार्टरों में रहना नहीं स्वीकार किया । उक्त धन से निर्मित ५० क्वार्टर निम्न-लिखित प्रकार से बसे हैं :

	क्वार्टर
१—हरिजनों को	३
२—पुलिस चौकी, दोदपुर	१२
३—नगरपालिका पाठशाला	४
४—नगरपालिका कर्मचारी	८
५—पुलिस कर्मचारी	६
६—युनिवर्सिटी कर्मचारी	१५
७—आडीटर	२

शास्त्री नगर, कानपुर में पानी की दिक्कत

*६६—श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि शास्त्री नगर, कानपुर के निवासियों ने पानी की दिक्कत के संबंध में हाउसिंग कमिश्नर, उत्तर प्रदेश को मेमोरेण्डम दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, । मेमोरेंडम प्राप्त होने पर हाउसिंग कमिश्नर ने नगर महापालिका, कानपुर के जलकल विभाग को, जो पूरे शहर की जल-पूर्ति करता है, पानी की कमी को दूर करने के लिये २८ अगस्त, १९६३ को लिखा । जल-कल विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

दुगड्डा—रत्वाढ़ाव सड़क

*६७—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बतायेंगी कि जिला गढ़वाल में दुगड्डा-रत्वाढ़ाव सड़क बसों के लिये किन किन महीनों में खुली रहती है और सन् १९६१-६२ में कितने दिन तक उस पर बसें चलने पाई हैं ?

*६८--क्या सरकार उस सड़क को बारहमास चालू रखने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या उसे बारह मास चालू रखने के लिये काम जारी हो गया है ?

*६९--क्या सरकार का इरादा है कि उक्त सड़क जंगलात विभाग द्वारा रत्वाढ़ाव से खगरासी व दुर्गादेवी होती हुई रामनगर धुमा कोट पर सड़क मिला दी जाय ? यदि हां, तो क्या उसे खगरासी से दुर्गादेवी तक ले जाने के काम जारी हो गया है ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में सीमेंट वितरण के लिये सुझाव

१—श्री लोकपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश मथुरा ने इस प्रकार का नियम बनाया है कि हर महीने में एक दिन वह ऐसा निश्चित किया करेंगे कि जिस दिन लोग सीमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र दिया करेंगे और परमिट लिया करेंगे ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं । जिले में सीमेंट प्राप्त होने पर जिला पूर्ति अधिकारी स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रार्थना-पत्र लेने की निश्चित तिथि देकर सीमेंट के प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करते हैं, तत्पश्चात् परमिट देने की व्यवस्था करते हैं ।

२—श्री लोकपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या खाद्य मंत्री को मालूम है कि इससे जनता को काफी देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है तथा कभी-कभी शाम तक प्रार्थना-पत्र देने का नम्बर ही नहीं आ पाता । क्या मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि प्रार्थना-पत्र प्रतिदिन लिये जांय । और ऐसा एक दिन निश्चित कर दिया जाय जिस दिन उस दिनांक तक आये प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्र लेने के लिये निर्धारित दिन हैं । इस सुझाव पर उचित आदेश दे दिये जायेंगे ।

३-४—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

५-७—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

भदोही में सस्ते गल्ले की दूकानें

८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की भदोही तहसील में इस समय सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें कुल कितनी हैं तथा कहां-कहां हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वाराणसी जिले में भदोही नामक कोई तहसील नहीं है । वस्तुतः भदोही-ज्ञानपुर तहसील में है और वहां इस समय सरकारी सस्ते गल्ले की चार दूकानें चल रही हैं ।

९—श्री हरिगैनराम—

क्या मंत्री जी को यह भी पता है कि भदोही तहसील में सरकारी सस्ते गल्ले की कुछ दूकानें वाराणसी शहर के किसी व्यक्ति को दी गई हैं ? यदि हां, तो किसको ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भदोही में सरकारी सस्त गल्ले की दूकानें वाराणसी शहर के किसी व्यक्ति को नहीं दी गई हैं ।

सहारनपुर नगरपालिका को गृह निर्माणार्थ ऋण

१०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगरपालिका को २९ अक्तूबर, १९६३ के आस पास कोई कर्ज ३,३६,००० रुपये का मकान बनाने के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मार्च, १९६१ में सहारनपुर नगरपालिका को अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ४२ मकान बनाने के लिये ३,३६,००० रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया था, जिसका २०,००० रुपया अन्तिम किस्त के रूप में १६ अक्तूबर, १९६३ को दिया गया है ।

वस्तुओं पर निर्यात कर

११—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या खाद्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के बाहर जाने के लिये किन-किन वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और कब से और क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक खाद्य तथा रसद विभाग का संबंध है निम्नलिखित वस्तुओं पर उनके सामने दिये गये तिथि एवं कारणों से प्रदेश के बाहर जाने के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

वस्तुएं	तिथि	प्रतिबन्ध लगाने का कारण
१	२	३
१—चावल, धान तथा उनसे निर्मित पदार्थों पर (भूसी के अतिरिक्त) ।	२९-८-'५८	प्रदेश में इनकी उपलब्धता तथा यथोचित मूल्यों पर समुचित वितरण हेतु ।
२—(क) चीनी ..	२२-६-'६३	चोरी से प्रदेश के बाहर चीनी ले जाने के प्रयास को विफल करने के लिये
(ख) खांडसारी, मिश्री, बूरा, बताशा, ओला, शुगरक्यूब्स आदि	१७-८-'६३	"
३—गुड़	३०-१०-'६३	प्रदेश में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने लिये ।

१२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से बाहर वस्तुओं के ले जाने के लिये कुछ लाइसेन्स जारी करने का विचार है? यदि हां, तो कब से और किस-किस आधार पर लाइसेन्स दिये जायेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। लाइसेन्स जारी करने का कोई विचार नहीं है। वरन् प्रत्येक प्रतिबन्ध आदेशों में परमिट (Permit) देने की व्यवस्था निहित है।

घाटमपुर तहसील में शक्कर की निरस्त की गई दूकानें

१३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बहुत सारे नियुक्त किये गये शक्कर रिटेलर्स के लाइसेन्स, बिना किसी आरोपों और आधारों के निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किस रिटेलर्स को किस आरोप अथवा आधार पर, किसके निर्णय या संस्तुति पर, किस अधिकारी द्वारा और कब?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं, बिना आरोप अथवा आधार के किसी फुटकर शक्कर विक्रेता की दूकान निरस्त नहीं की गई है। घाटमपुर तहसील में एक शक्कर परामर्शदात्री समिति है जो वहां के तहसीलदार को इस सम्बन्ध में परामर्श देती है। इस समिति की सिफारिशों पर, तहसीलदार उच्च आदेश लेकर अमल करता है। इस समिति ने ९-९-६३ की बैठक में सर्वसम्मति से कुछ शक्कर के फुटकर विक्रेताओं की दूकानों के निरस्त किये जाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मान लिया गया। जिन फुटकर विक्रेताओं की दूकानें निरस्त हुई उनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं। इन लोगों के विरुद्ध या तो ठीक प्रकार से शक्कर वितरण न करने के आरोप थे या यह उस पंचायती क्षेत्र के निवासी न थे अथवा इसके पूर्व शक्कर का नियमित व्यापार नहीं करते थे।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५६३ पर)

१४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन आधारों पर उक्त शक्कर रिटेलर्स के लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं क्या वह सरकारी आदेशों के अनुकूल हैं? यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही द्वारा प्रदेश के अन्य किस-किस जिले में इस प्रकार की कार्यवाही करके लाइसेन्स निरस्त किये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

फुटकर शक्कर विक्रेताओं की नियुक्ति व निरस्तीकरण जिलाधीश करता है। राज्य सरकार केवल उसके पथ प्रदर्शन (guidance) हेतु निदेश देती है। फुटकर दुकानदारों की नियुक्ति व निरस्त किये जाने के कागजात जिले में ही रहते हैं व उसका ब्यौरा सरकार नहीं रखती।

१५—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निरस्त किये गये रिटेलर्स के स्थान पर जो रिटेलर्स अब नियुक्त किये गये हैं वे कौन तथा कहां के हैं तथा क्या यह नियमानुकूल हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

सूचना संलग्न है। इन नये फुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति नियमानुकूल है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५६४ पर)

गोरखपुर की नजूल भूमि सम्बन्धी राजाज्ञा

१६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार २१ अक्तूबर, १९६३ के नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं० ४, ५, ६ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेगी कि नजूल की कुल कितनी भूमि थी और उसमें से कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति को किस-किस रेट पर दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आराजी छावनी, गोरखपुर में नजूल की कुल ४७५.३६ एकड़ भूमि थी जिसमें सड़क, पटरी, पोखरा और कब्रिस्तान की ७६.२६ एकड़ भूमि सम्मिलित है। उपर्युक्त भूमि में से ३९८.४९ एकड़ राजाज्ञा दिनांक १६ नवम्बर, १९६२ के जारी होने के पूर्व जिन-जिन व्यक्तियों को दी गई है, उनकी सूची संलग्न तालिका में दी है। उपर्युक्त भूमि बिना लगान दी गई थी। शेष ०.६१ एकड़ भूमि महिला परिषद् को ७ रु० ५५ न० पै० वार्षिक किराये पर सितम्बर, १९६३ में दी गई।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५६५–५६७ पर)

१७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त भूमि पर कुल कितने बंगले बने और उसमें से किन-किन लोगों के कब्जे में है और कितनी भूमि अभी शेष है तथा कितने लोगों ने बंगले नहीं बनाये हैं और इससे बड़ा अहित लोक कल्याण का हो रहा है तथा शीघ्र कोई आज्ञा जारी होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

संलग्न तालिका में सूचना उपलब्ध है। शेष भूमि ७६.२६ एकड़ है जो सड़क, सड़क पटरी, पोखरा व कब्रिस्तान है। केवल ०.६१ एकड़ भूमि पर बंगला नहीं बना है। लोक कल्याण के अहित का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५६५–५६७ पर)

१८—श्री कल्पनार्थसिंह—

सम्बन्धित राजाज्ञा के अन्तिम पैरा की तीसरी लाइन में आज्ञा के मूल उद्देश्य से डिपार्चर लिखा गया है, वह किस कारण से और आधार क्या है तथा प्रथम पैरा के सातवीं लाइन में जहां प्रोइंग टेंडेंसी का जिक्र है वह क्यों लिखा गया है ? क्या इसके पूर्व सरकार को कोई सूचना प्रोइंग टेंडेंसी की मिली थी ? यदि हां, तो उपरोक्त सूचना क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सम्बन्धित राजाज्ञा के अन्तिम पैरा की तीसरी लाइन में आज्ञा के मूल उद्देश्य से डिपार्चर इसलिये लिखा गया है कि आराजी छावनी की नजूल भूमि को पट्टे पर उठाने में यह प्रतिबन्ध था कि उन पर बने बंगलों में सरकारी अधिकारी रहेंगे। इधर यह देखा गया कि मकान बनाने वाले खुद रहने या किराये पर उठाने लगे या अतिरिक्त भूमि पर दूकानें बनवाना और बंगलों और भूमि को दूसरे व्यक्तियों के हाथ बेचना शुरू किया। जो पट्टे की शर्तों के प्रतिकूल था।

सहारनपुर नगरपालिका में अनियमितायें

१९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका ने अब तक Sub-committees का चुनाव नहीं किया, जो नियम के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सितम्बर में चुनाव किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

२०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि सहारनपुर नगर में जगह-जगह पर सरकारी जमीन पर कुछ लोग अनधिकृतरूप से कब्जा किये हुए हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

सरकार को क्लाक टावर की क्रासिंग पर स्कूटर हाउस द्वारा नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने की शिकायत प्राप्त हुई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग उसे हटाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई शिकायत नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जे के बारे में नहीं प्राप्त हुई है।

२१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार इन अनियमितताओं को देखते हुए इस बोर्ड को भंग करने का आदेश देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह अनियमिततायें ऐसी गम्भीर नहीं हैं कि इनके आधार पर बोर्ड को भंग किया जा सके।

बिजनौर जिले में ईटों का भाव

२२—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में ५ वर्ष पूर्व कोयले से पकी ईंटों का क्या रेट था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रति हजार	रु०	न० पै०
१—प्रथम श्रेणी	२६	७५
२—द्वितीय श्रेणी	२३	००
३—तृतीय श्रेणी	१५	००

२३—श्री श्रीराम—

क्या खाद्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ५ वर्ष से प्रत्येक वर्ष १९६३ तक क्रमशः क्या रेट ईंटों के बेचने के सप्लाई विभाग, बिजनौर द्वारा रखे गये हैं और उनको प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

सूचना निम्नलिखित है:—

		प्रति हजार		रु० न० पै०
१९५८ से ९ जनवरी, १९६१ तक	..	प्रथम श्रेणी	..	२६.७५
		द्वितीय श्रेणी	..	२३.००
		तृतीय श्रेणी	..	१५.००
१० जनवरी, १९६१ से ४ अप्रैल, १९६१ तक	..	प्रथम श्रेणी	..	२८.२५
		द्वितीय श्रेणी	..	२३.००
		तृतीय श्रेणी	..	१५.००
५ अप्रैल, १९६१ से ८ मार्च, १९६३ तक	..	प्रथम श्रेणी	..	३०.००
		द्वितीय श्रेणी	..	२८.००
		तृतीय श्रेणी	..	१५.००
९ मार्च, १९६३ से अब तक	..	प्रथम श्रेणी	..	३२.००
		द्वितीय श्रेणी	..	२६.००
		तृतीय श्रेणी	..	१७.००

उपरोक्त वर्षों में ईंटों के रेट में बढ़ोत्तरी के कारण निम्नलिखित है :—

(१) रेलवे भाड़ा बढ़ना,

(२) कोयले का रेट बढ़ना,

(३) मजदूरी बढ़ना,

(४) मिट्टी का रेट बढ़ना,

(५) लकड़ी का भाव बढ़ना।

प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री म घोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न किया था जो संख्या ५३ पर आया है। उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि हाउस के सामने तो वह आया नहीं है लेकिन इसका जो उत्तर हमें दिया गया है वह बिल्कुल अनसैटिस्फैक्ट्री है। दुख इस बात का है कि मैंने इस पहलू पर कई बार आपका ध्यान आकृष्ट किया कि प्रश्न कुछ और रहता है और जवाब कुछ और रहता है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात में निवेदन कर दूं कि जो उत्तर आपको मिला है अगर आप उससे सैटिस्फाइ नहीं हैं और आप समझते हैं कि वह अनसैटिस्फक्ट्री उत्तर है तो उसको नियम ५० में लिया जा सकता है। उसमें यह है कि अगर कोई प्रश्न और उत्तर का विषय रहा है तो उसे नियम ५० के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में लिया जा सकता है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर के पिपराइच माध्यमिक विद्यालय में अनिश्चित काल के लिये हड़ताल चल रही है और उस शिक्षण संस्था को बन्द कर

[श्री बांकेलाल]

दिया गया है। वहां के विद्यार्थियों की यह मांग है कि उनस पंखे का चन्दा लिया जाता है जब कि पंखे नहीं लगे हैं, जलपान के लिये चन्दा लिया जाता है, जब कि उनको जलपान नहीं मिलता, अगर वे अपनी यूनियन बनाना चाहते हैं तो इसकी भी इजाजत नहीं मिलती है और रात के ११ बजे तक विद्यार्थियों से गप्पा छिलवाया जाता है। इन सारी समस्याओं की वजह से ही विद्यार्थियों ने हड़ताल कर रखी है। मैंने उसे नियम ५२ में दिया था तो आपने अल्पसूचित प्रश्न देने के लिये कहा था। वह भी मैंने दिया लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ। आपके कमरे में भी मैं गया था और आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन वह प्रश्न नहीं लिया गया। इस हड़ताल की वजह से वहां का सारा शिक्षण कार्य बन्द है। वहां लोगों में बड़ी परेशानी व असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बांकेलाल जी, वह प्रश्न मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, नहीं तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। वह कहीं और चला गया होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय बांकेलाल जी ने जो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न किया दिया था वह बहुत ही इम्पार्टेन्ट प्रश्न है। आज वहां हड़ताल चल रही है और स्कूल अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है। लड़के मारे-मारे फिर रहे हैं, वहां पुलिस का पहरा लगा हुआ है, लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है। कल के बाद हाउस भी बन्द होने जा रहा है। तो इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए आप माननीय शिक्षा मन्त्री से इस पर उचित कार्यवाही के लिये कह दें, तो बड़ी ही अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

जो नियम है, उसके अन्तर्गत मैं काम करने के लिये तैयार हूं।

रिहन्द विद्युत् उत्पादक संयंत्र ठेका जांच समिति का प्रतिवेदन†

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विद्युत् (क) विभाग के संकल्प संख्या २५९१ (एच), २३-पी-ए-७३-के-५७, दिनांक ३० मार्च, १९६३ को रिहन्द विद्युत् उत्पादन संयन्त्र ठेका जांच समिति के प्रतिवेदन सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

आश्वासन समिति का २२ वां प्रतिवेदन†

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २२वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन आश्वासनों की वर्तमान स्थिति बतलाई गई है जो द्वितीय विधान सभा के विघटन की तिथि तक दिये गये थे। इन आश्वासनों पर विचार करने के पश्चात् समिति ने १८० आश्वासनों को अपूर्ण माना है। उक्त अपूर्ण आश्वासनों में भी कुछ ऐसे आश्वासन हैं जिन्हें सदन में दिये गये ७ वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इनमें से यद्यपि कुछ आश्वासन नीति से सम्बन्धित हैं, फिर भी उन की पूर्तिहेतु सात वर्ष का समय कम नहीं कहा जा सकता।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति के समक्ष ऐसे मामले भी आये जिन की पूर्ति की सूचना समिति को यथासमय नहीं दी गई। उदाहरणार्थ फैजाबाद जिले में "नलकूपों से अधिक क्षेत्र सींचने के लिये बिजली की दर कम करने का सुझाव" विषयक आश्वासन १२ अगस्त, १९५७ को सदन में दिया गया था। आश्वासन की पूर्ति हेतु आवश्यक आदेश अगस्त, १९६२ में प्रेषित कर दिये गये थे, परन्तु समिति को इसकी सूचना एक वर्ष के पश्चात् ९ अगस्त, १९६३ को दी गई। समिति आशा करती है कि संसदीय कार्य मन्त्री इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय कम होने के कारण मूल प्रतिवदन की मुद्रित प्रति ही सदस्यों को दी जा सकी है। आश्वासनों का ब्यौरा छप जाने पर बाद में वितरित कर दिया जायगा।

प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व, मैं समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सहायता, सहयोग तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह एक कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी का आया है उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आज्ञा हो तो मैं कुछ कह दूं....

श्री अध्यक्ष—

वह बिल्कुल रूल्स के विरुद्ध होगा।

५९ (२) व (३) के अनुसार उसमें एक मेटर होना चाहिय लेकिन आपने इसमें कई मेटर ले लिये हैं, वह डेफिनिट होना चाहिये और रीसेंट आकरेंस होना चाहिये, कोई तिथि आपने नहीं दी है, आप देख लें।

सरकार द्वारा चावल कम मूल्य पर खरीद कर अधिक दाम पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक प्रश्न नियम ५२ में श्री टम्बेश्वरीप्रसाद व श्री बिपिनबिहारी तिवारी का है इसके बारे में मैं बता दूं। उसमें है कि "उत्तर प्रदेश में सरकार चावल की खरीद ४७ रुपया प्रति क्विंटल की दर से कर रही है तथा ६४ रुपया प्रति क्विंटल के भाव से बेच रही है।" इस पर मन्त्री जी, आप कब बतायेंगे?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

कल बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब एक यह सूचना और है श्री चन्द्रपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह जी की। इसको भी मैं गृह मन्त्री जी के पास कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। इसको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है।

प्रयाग महिला विद्यापीठ की बैठक में मार-पीट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री टम्प्रेश्वरप्रसाद, राममूर्ति अंबल तथा काशीनाथ मिश्र, सदस्य विधान सभा ने नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस दी है कि १५-१२-६३ को प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद के प्रांगण में, जब डा० ईश्वरीप्रसाद की अध्यक्षता में विद्यापीठ का साधारण अधिवेशन हो रहा था तो, दो आपसी गुटों में घनघोर उपद्रव मचा। और मारपीट और अभद्र गाली गलौज हुई । मंच पर बैठी महिला सदस्याओं और छात्राओं में भगदड़ मच गई और पुलिस के जवान निष्क्रिय खड़े रहे। नोटिस में इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि महिला विद्यापीठ अपने संचालकों एवं प्रबन्धकों के कुत्सित व्यवहार, मुनाफाखोरी, भ्रष्ट आचरण, कुनबापरस्ती और शोषण का अड्डा बना हुआ है और ऐसे वातावरण में विद्यापीठ में शिक्षण कार्य बिल्कुल बन्द हो गया है।

प्रयाग महिला विद्यापीठ में हुई उपरोक्त घटनाओं के बारे में मंगवाई गई सूचना से ज्ञात हुआ कि विद्यापीठ परिषद् का साधारण अधिवेशन डा० ईश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में १५ दिसम्बर, १९६३ को ३ बजे दिन को हुआ। इस बैठक में संस्था का नया चुनाव तथा बजट पास होना था। संस्था में दो प्रतिद्वन्दी दल हैं। ऐसी सूचना मिली है कि जिस दल के सदस्यों की संख्या कम थी उसका यह प्रयास था कि किसी प्रकार से दिनांक १५-१२-६३ को निर्वाचन न हो और तिथि स्थगित हो जाय। किन्तु ऐसा संभव न हो सका और उस तिथि को निश्चित कार्यक्रम के अनुसार बैठक हुई। क्योंकि दोनों दलों में पहले से ही गहरा मतभेद था और यह सोचकर कि बैठक के समय किसी प्रकार से शान्ति भंग न हो संस्था के अधिकारियों ने जिलाधीश और सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस को भी सूचना दे दी थी। शान्ति भंग होने को रोकने के लिये जिला अधिकारियों ने तुरन्त प्रबन्ध किया। सिटी मैजिस्ट्रेट तथा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस की निगरानी में एक इन्सपेक्टर, ७ सब-इंस्पेक्टर, ७० कांस्टेबिल, १ आर्म्ड पुलिस गार्ड तथा एक आंसू गैस दस्ता वहां नियुक्त किया गया। पुलिस तथा जिला अधिकारियों ने इस बात की पूरी सावधानी बरती कि किसी प्रकार का उपद्रव न होने पावे । विद्यापीठ के परिषद् की बैठक समयानुसार ३ बजे प्रारम्भ हुई। अध्यक्ष, डा० ईश्वरीप्रसाद जैसे ही बोलने खड़े हुये, चारों ओर से शोर गुल मच गया। इस पर अध्यक्ष ने बैठक बर्खास्त कर दी और डा० कैलाश नाथ काटजू तथा श्रीमती महादेवी वर्मा, उप प्रधान के साथ हाल छोड़ कर चले गये। उसके उपरान्त श्री विश्वनाथ पांडेय बैठक की अध्यक्षता करने लगे। यह देख कर कि मीटिंग हो रही है दूसरी पार्टी के लोग जो उपस्थित थे, शोर गुल करने लगे और इस बात का प्रयास किया कि बैठक न होने पावे और उपद्रव हो जाय। उपस्थित डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस तथा सिटी मैजिस्ट्रेट ने स्थिति को शान्त रखने का प्रयास किया। इसके बाद लोग हाल तथा विद्यापीठ का प्रांगण खाली करके चले गये तथा फाटक बन्द कर दिये गये। इस कांड में कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। केवल शोर गुल और नारेबाजी मीटिंग के हाल में हुई। पुलिस दल तथा जिला अधिकारियों की उपस्थित तथा प्रबन्ध के कारण मारपीट नहीं हुई यद्यपि लगभग १,००० व्यक्तियों की भीड़ उपस्थित थी जिसमें करीब १५० महिलायें भी थीं।

प्रयाग महिला विद्यापीठ एक पुरानी शिक्षा संस्था है जो १९२२ से स्त्री में हिन्दी शिक्षा प्रसार के कार्य में रत है। साथ ही साथ यह अपनी समस्त परीक्षाओं का संचालन भी करती है। इसके परीक्षा केन्द्र उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी फैले हुये हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसके प्रबन्ध में कुछ आपसी झगड़ों के कारण गड़बड़ियां आ गई हैं। मुख्यतः दो दल इस संस्था की संपत्ति पर अपना कब्जा चाहते हैं और इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। इस आपसी झगड़े के कारण संस्था में दुर्व्यवस्था व्याप्त है। इस समय विद्यापीठ की ३ शाखायें इलाहाबाद में कार्य कर रही है और तीनों एक ही नाम की परीक्षा संचालित कर रही हैं। मुख्य

दो दलों के बीच जो संस्था पर अपना नियंत्रण चाहते हैं सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है । मुकदमे का फैसला अभी तक नहीं हुआ । जहां तक संस्था के शैक्षिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है उसके बारे में इंटरमीडियेट बोर्ड, उत्तर प्रदेश तथा शिक्षा विभाग में अनेकों शिकायतें कुछ काल से बराबर प्राप्त होती रही है । संस्था की परीक्षाओं के संचालन में अनियमितता, वांछित गोपनीयता का अभाव और परीक्षा स्तर अत्यधिक गिरने के कारण दिन प्रतिदिन उनका मूल्य घटता जा रहा है । इंटरमीडियेट बोर्ड, उत्तर प्रदेश ने समय-समय पर समितियां बनाकर उसके कार्य प्रणाली का निरीक्षण कराया है । परिणामस्वरूप इनमें इतनी अनियमितता, गड़बड़ी, संदेहात्मक कार्यवाहियां पाई गई कि बोर्ड ने विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदनी परीक्षा की मान्यता वापस लेने की शासन से संस्तुति ३ बार अलग-अलग वर्षों में की । दो बार शासन ने बोर्ड की संस्तुति नहीं मानी और विद्यापीठ को, जो स्त्री शिक्षा तथा हिन्दी प्रचार का कार्य एक बड़े क्षेत्र में कर रही है, दो बार सुधार का अवसर दिया । लेकिन स्थिति संभलने के बदले गिरती ही जा रही है जैसा प्रस्तुत कांड से स्पष्ट है । बोर्ड की यही संस्तुति तीसरी बार पुन : प्राप्त हुई है जो इस समय शासन के विचाराधीन है ।

जहां तक १५ दिसम्बर, १९६३ की घटनाओं का सम्बन्ध है यह निश्चित है कि उक्त अवसर पर कोई मारपीट नहीं हुई । शोर गुल और हंगामा अवश्य हुआ । परन्तु जिला अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण रखा । इस संस्था में आपसी झगड़ों के कारण दुर्व्यवस्था अवश्य व्याप्त है । दो दलों में मुकदमा भी चल रहा है । विद्यापीठ एक स्वतंत्र संस्था है । इसके अपने विधान और नियम हैं । इसके नियंत्रण आदि का मासला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है । अतः शासन द्वारा संस्था के संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना सम्प्रति उचित प्रतीत नहीं होता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जो विरोधी गुटों में झगड़ों के कारण संपति को क्षति पहुंची है क्या इस पर माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि संस्था की जो सम्पति २०,००,००० रु० की है इसको क्षति से रोका जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह विषय कोर्ट के विचाराधीन है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जहां तक मुझे सूचना है उसमें कोई मसला कोर्ट के विचाराधीन नहीं है । और अगर ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस संस्था का, जो १९२२ की पुरानी संस्था है जिसके माध्यम से महिलाओं को हिन्दी पढ़ाई जाती है और जिसके ५६० केन्द्र हैं और जो अपने पैरों पर खड़ी है और सरकार से कोई रुपया नहीं पाती, राष्ट्रीयकरण करेगी या उसके लिये कोई रिसीवर मुकर्रर करेगी ? इसकी गरिमा और महत्ता को देखते हुए क्या सरकार इस बात की भी व्यवस्था करेगी कि जिससे इसको सुचारुरूप से चलाया जा सके और महिलाओं को पढाई लिखाई ठीक से हो सके ?

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि संस्था का अपना विधान है, अपने नियम है । सन् १९२२ से यह संस्था अपना कार्य कर रही है । उसके पदाधिकारी जो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे ही उसका प्रबन्ध करते है । अब इसमें यह झगड़ा पड़ गया कि कौन उसका प्रबन्ध करता है । २ व्यक्ति या २ पदाधिकारी यह बात कहने लगें कि वह नियमपूर्वक नहीं है और यह मामला अधिकारियों में चल रहा है तो इस सम्बन्ध में सरकार बीच में क्या करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आप क्या कर रहे हैं ? या तो राष्ट्रीयकरण करें या किसी ऐड-मिनिस्ट्रेटर को अगर कानून के अन्तर्गत कर सकते हैं नियुक्त कर दें। ऐसा प्रश्न वह पूछ रहे हैं ।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कानूनी पहलू है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संस्था के महत्व को देखते हुए और इस बात को देखते हुये कि इस संस्था में गुटबन्दी है, कुन्बापरस्ती है और कई दिक्कतें हैं जिनकी वजह से संस्था का प्रबन्ध चौपट हो गया है, तो क्या सरकार को इस संस्था को जब तक कि पूरी व्यवस्था नहीं होती तब तक अपने नियंत्रण में लेने में क्या दिक्कत है अगर राष्ट्रीयकरण न भी हो ?

श्री अध्यक्ष—

यही सवाल श्री काशीनाथ मिश्र ने भी किया था ।

श्री कैलाशप्रकाश—

कानूनी दिक्कतें हैं ।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या थाना कर्नेलगंज में उस दिन इस प्रकार की रिपोर्ट लिखाई गयी ह कि जसा उन्होंने कहा है कि कोई मारपीट या झगड़ा नहीं हुआ, किसी की घड़ी और ५० निकाल लिए गये बे और सरकार की ओर से जो लोग थे उनके विरुद्ध नामजदगी रिपोर्ट लिखाई गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करते वक्त कि महिला विद्यापीठ की मान्यता को वापस लिया जाय उसके पहले अपनी ओर से इन शिकायतों पर निर्णय लेने के पूर्व निरीक्षण करवाने का प्रबन्ध करवायेंगे और तब फिर अगर वे संतुष्ट होते हैं तब कोई कदम उठाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, महिला विद्यापीठ की मान्यता का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन प्रश्न है और जो सरकार को प्राप्त हुआ है कि वह संस्था जो विद्या विनोदिनी परीक्षा चलाती है उसको पहले इंटरमीडियेट बोर्ड की इंटर परीक्षा के समकक्ष मान्यता थी और बोर्ड ने अब फैसला किया है कि उसको मान्यता न दी जाय और इंटरमीडिएट बोर्ड का यह फैसला विचाराधीन है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि विद्याविनोदिनी परीक्षा के लिये जो व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में बोर्ड का जो फैसला है वह सरकार के पास विचाराधीन है, तो क्या सरकार अपनी ओर से संतुष्ट होने के लिये उस परीक्षा का निरीक्षण करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, वह जानना चाहती हैं कि क्या सरकार अपनी तरफ से कोई निरीक्षण करने का विचार रखती है।

श्री कैलाश प्रकाश—

इंटरमीडिएट बोर्ड से रिपोर्ट मंगाई गई है और उसकी जो रिपोर्ट आई है वह मैंने अभी देखी नहीं है। कई बार संस्तुतियां आती हैं। सरकार उसको पूर्ण रूप से देखेगी और जो कायदे की बात होगी वह करेगी।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उक्त संस्था के लोग अपने मामले को लेकर अदालत में गये हैं, तो क्या सरकार उस फैसले के पहले ही कोई और व्यवस्था देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष —

उन्होंने कहा है कि यह कानूनी बात है और वह नहीं बतला सकते हैं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

इस संस्था की जो अन्य परीक्षायें सरस्वती, विदुषी आदि हैं वह प्रवेश और अन्य प्रदेशों की यूनिवर्सिटियों में बी० ए० व एम० ए० तक के लिये मान्य हैं कि उनको पास करने के बाद केवल अंग्रेजी लेकर बी० ए० या एम० ए० पास किया जा सकता है, तो क्या सरकार उसके महत्व को देखकर उस पर कोई फैसला लेगी कि उसकी परीक्षाओं की मान्यता बनी रहे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ विद्याविनोदिनी का मामला विचाराधीन है, अन्य परीक्षाओं के बारे में नहीं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

तो मैं यह जानना चाहूंगा कि विद्याविनोदिनी परीक्षा के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है या लेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस समय मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को यह बात मालूम है कि समय-समय पर जिनके हाथ में यह संस्था है उन संरक्षकों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि इसमें २२ लाख की प्रापर्टी है और उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं और सरकार उसको ले-ले और संचालन करे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सम्भव है कि पहले यह बात कही गयी हो कि इस संस्था को सरकार ले-ले, लेकिन मेरी अपनी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या इस बात को देखते हुये कि दो-तीन नकली संस्थायें इसी नाम से और चल रही हैं और इसी कारण परीक्षा आदि में गड़बड़ियां हो रही हैं, सरकार इन नकली संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं साफ कह चुका हूं कि कार्यवाही तो कानूनी होती है और कानूनी मसला अदालत में जाता है और वह अदालत में पेश है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या और भी कोई नकली संस्था है जिसने यह नाम धारण कर लिया है और उस नाम की आड़ में वह परीक्षा ले रही है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा अपने वक्तव्य में भी कहा है कि इसमें दो संस्थायें हैं और दोनों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं एक ही नाम के और वह यह कहते हैं कि हम हैं पदाधिकारी नियमानुसार और विधान के अनुसार चुने गये हैं । अब यह मामला अदालत में चला गया है कि कौन पदाधिकारी ठीक है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मुझे सूचना है कि वह एक से अधिक हैं और उन्होंने विद्यापीठ के नाम से अलग संस्था चालू कर रखी है ।

श्री अध्यक्ष —

दो के अलावा भी क्या और कोई महिला विद्यापीठ प्रयाग में हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश —

वहां एक तीसरी संस्था इस साल खुली है । दो संस्थायें दो या तीन साल से चल रही हैं और उन दोनों संस्थाओं के मुकदमे आपस में चल रहे हैं । तीसरी संस्था अभी हाल में खुली है और इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी का उत्तर यह है कि दो ग्रुप्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि हम असली संस्था हैं। दूसरे यह मामला अदालत में है । तीसरी संस्था के बारे में उनको अधिक जानकारी नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

इस संस्था की संस्थापिका–संचालिका देश की एक बहुत ही विशिष्ट महिला, हिन्दी साहित्य की एक विशिष्ट कवियत्री और समाजसेविका, श्रीमती महादेवी वर्मा हैं और यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है, तो क्या इस मामले में उनसे भी सलाह मशविरा लिया गया है कि क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में करना चाहिये और अगर नहीं किया है तो आगे सलाह मशविरा करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश —

श्रीमती महादेवी वर्मा से हम सभी परिचित हैं और उनका आदर भी बहुत है । इससे पहले तो नहीं, कल रात्रि में थोड़ी देर के लिये उनसे भेंट हुई और मैंने यह मसला उनके सामने रख दिया था । उन्होंने भी इतनी बात कही कि यह बहुत प्रमुख तथा महत्वपूर्ण संस्था है । उस बात से तो हमको भी सहानुभूति है । किन्तु यह मुकदमा चल ही रहा है । मुझे यह भी पता चला

है कि दोनों तरफ के पदाधिकारी जो हैं वे इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि सरकार उनका राजकरण या राष्ट्रीयकरण करे ।

श्री काशीनाथ मिश्र —

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंटरमीडिएट बोर्ड ने विद्या विनोदिनी इम्तहान की मान्यता खत्म करने के लिये दो बार सिफारिश की और अब तीसरी बार किया है । मैं कहना चाहता हूं कि १, एलगिन रोड पर १९२२ से जो संस्था चल रही है, प्रयाग महिला विद्यापीठ वही है जो अब भी श्रीमती महादेवी वर्मा की अध्यक्षता में चलती है । उससे जो लोग अलग हुये उन्होंने दो तीन गुट बनाये, जो नकली संस्थायें चला रहे हैं । तो क्या मंत्री जी इसके प्रकाश में जो सूचना मैंने दी है कि नकली संस्थायें चल रही हैं जो विद्या विनोदिनी के सर्टिफिकेट देकर उसके स्तर को नीचा कर रही हैं, कोई जांच करा के विद्या विनोदिनी को मान्यता देने के सवाल पर गौर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें सिर्फ सवाल यह है कि महिला विद्यापीठ का अस्तित्व, उसका राष्ट्रीयकरण, उसका प्रबन्ध । विद्या विनोदिनी पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

जब कल श्रीमती महादेवी वर्मा मंत्री जी से मिली थीं तो क्या उन्होंने इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में कोई सुझाव उनके सामने रखे ? यदि हां, तो वे क्या थे और उनके ऊपर मंत्री जी के क्या विचार हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उन्होंने कोई विशेष सुझाव नहीं रखा बल्कि मैंने उनको सुझाव दिया कि इस सिलसिले में कानूनी सलाह ले कर जैसे कि डाक्टर काटजू भी उस मीटिंग में उपस्थित थे । वे वहां से उठ कर चले गये । उन्होंने सारी स्थिति को देख रखा है । तो कानूनी तरीके से सलाह लेकर कोई सुझाव दें तो उस पर सरकार विचार कर सकती है ।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

जब माननीय पंतजी यहां मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कर्वे महिला यूनिवर्सिटी की भांति वीमेन्स यूनिवर्सिटी बनाने का एक निश्चित प्रयास किया था जिसमें उस समय के डिप्टी सेक्रेटरी, श्री परमानन्दजी को नियुक्त कर के उसका ड्राफ्ट बिल भी बनवाया था ? यदि हां, तो वह अब किस स्थिति में है और क्या सरकार वीमेन्स यूनिवर्सिटी बनाने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मंत्री महोदय को मालूम है कि महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की एक समस्या उत्पन्न हुई थी प्रयाग महिला विद्यापीठ के सम्बन्ध में और वहां की सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी सब मामले की जांच करने के लिये । तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी एक कमेटी नियुक्त करेगी जिससे कि जो तीन संस्थायें प्रयाग में चल रही हैं उनके कागजात देखकर जो अधिकारी संस्था १९२२ से चल रही है उसको बाकायदा अच्छी तरह से चलने में मदद दे सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी कमेटी नियुक्त करने की मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । जो चीज अदालत के विचाराधीन है उसमें सरकार क्या इन्क्वायरी कर सकती है ?

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

*शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री उग्रसेन व श्री लखपतराम शर्मा द्वारा उठाये गये प्रश्न के संबंध में यह सत्य नहीं है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के छात्र अपनी मांगों को लेकर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे फिर भी उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया और कालेज के छात्रावास से लड़कों को जबर्दस्ती निकालकर ताला डाल दिया गया और जिसके कारण कालेज बंद हो गया है ।

वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम इस कालेज में डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार शैक्षिक वर्ष १९५९–६० से लागू किया गया था । पिछले कुछ समय से इस पाठ्यक्रम के छात्र आन्दोलन चला रहे हैं । उनकी मुख्य मांग यह है कि आयुर्वेदाचार्य उपाधि को भूतपूर्व बी० एम० बी० एस० के समकक्ष घोषित कर दिया जाय । उनका मत यह है कि दोनों पाठ्यक्रम एक दूसरे के समकक्ष हैं । जहां तक सरकार को ज्ञात है यह विषय लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी आफ आयुर्वेद के विचाराधीन है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं के फलस्वरूप लखनऊ की प्रायः सभी शिक्षा संस्थाओं में तनाव था । अतः लखनऊ नगर में धारा १४४ लगा दी गई थी । १२ अक्टूबर, १९६३ को इस कालेज के १२ छात्र मुख्य मंत्री जी के बंगले पर धरना देते हुये धारा १४४ का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये । वे छात्र जमानत पर छोड़ दिये गये हैं । उन पर अदालत में मुकदमा चल रहा है ।

कालेज बन्द नहीं किया गया है परन्तु ३० अक्टूबर, १९६३ से आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के छात्र अपनी कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं । ५ नवम्बर, १९६३ से होने वाली परीक्षा में छात्र सम्मिलित नहीं हुये ।

चूंकि छात्र अपनी कक्षाओं में नहीं आ रहे थे तथा छात्रावास को अपने आंदोलन का केन्द्र बनाये हुये थे । अतः कालेज के अधिकारियों ने छात्रावास के रहने वाले छात्रों को नोटिस दिया कि वे छात्रावास छोड़ दें और उन्होंने छात्रावास छोड़ दिया । इस संबंध में किसी प्रकार की जबर्दस्ती नहीं की गई ।

खेद है कि जिस समय विद्यार्थियों की मांगे सरकार तथा विश्वविद्यालय के विचाराधीन थीं उन्होंने हड़ताल कर दी और अपनी कक्षाओं में नहीं गये । यदि छात्र अपनी हड़ताल वापस ले लें और अपनी कक्षाओं में जाने लगें तो पढ़ाई फिर नियमितरूप से प्रारम्भ हो जायगी और तभी उन्हें छात्रावास संबंधी सुविधायें मिल जायंगी ।

यह सही है कि ललित हरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के छात्र १८ अक्तूबर, १९६३ से ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार एवं गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज,कांगड़ी हरिद्वार के छात्र १९ अक्टूबर ,१९६३ से तथा बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के छात्र २१ अक्टूबर, १९६३ से अपनी मांगों के संबंध मे हड़ताल कर रहे हैं । सरकार को जहां तक ज्ञात है कोई भी कालेज बंद नहीं किया गया है किन्तु छात्र स्वयं कक्षाओं में नहीं आ रहे है । हड़ताल शान्तिपूर्ण रही और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

छात्रों की मागें यह हैं कि—

(१) आयुर्वेदिक कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध कर दिया जाय ।

(२) जोशी कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित किया जाय एवं उसके सुझावों को तुरंत लागू किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(३) चूंकि केन्द्रीय सरकार शुद्ध आयुर्वेदिक का पाठ्यक्रम चलाने जा रही है। अतः आयुर्वेदाचार्य उपाधि को पूर्व की ही भांति ए० एम० बी० एस० में परिवर्तित कर दिया जाय।

(४) मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों की सेवाओं का वर्ग, स्तर व वेतनक्रम पी० एम० एस० (द्वितीय) से किसी भी प्रकार कम न हो।

(५) उपाधि प्राप्त स्नातकों को विश्वविद्यालय स्तर पर लाने के लिये ६ मास का पूरक पाठ्यक्रम लागू किया जाय।

(६) इंडियन मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश से सम्बन्द्ध सभी कालेजों का पाठ्यक्रम एक ही हो।

आयुर्वेदिक कालेजों एवं उनके स्नातकों से संबंधित प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने एवं उन पर अपने सुझाव देने के हेतु सरकार द्वारा जून, १९६१ में एक जोशी कमेटी का निर्माण किया गया। इस कमेटी ने अपने सुझाव सरकार को जनवरी, १९६२ में दे दिये चंकि मामले बहुत जटिल हैं तथा उन पर बहुत आयुर्वेद का भविष्य निर्भर करता है अतः सरकार को इन विषयों पर भावी नीतियां निर्धारित करनी हैं। सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये काफी धन की भी व्यवस्था करनी है। इन्हीं सब दृष्टिकोणों से अभी सरकार कथित कमेटी के सुझावों पर विचार कर रही है।

ऐसा जान पड़ता है कि पाठ्यक्रमों के बारे में छात्रों को कुछ भ्रम है। वास्तविक स्थिति यह है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चालू किया गया आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम भी पूर्ण रूप से शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम नहीं है। भूतपूर्व ए० एम० बी० एस० पाठ्यक्रम की ही भांति आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में भी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के विषय पढ़ाये जाने की व्यवस्था है। हां, यह अवश्य है कि आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में अधिक महत्व आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के विषयों पर न होकर आयुर्वेदिक विषयों का ही है।

अभी तक प्रदेश के कालेजों में जो भी पाठ्यक्रम लागू किये गये सभी में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के विषय में पढ़ाने की व्यवस्था रही है और शुद्ध आयुर्वेद का कोई भी पाठ्यक्रम प्रदेश में लागू नहीं किया गया है।

खेद इस बात का है कि ऐसे समय में जब कि सरकार स्वयं आयुर्वेद के छात्रों के भविष्य के बारे में जागरूक है तथा न उनकी मांगों पर विचार कर रही है, छात्रों ने हड़ताल कर दी और अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

माननीय रामकिशोर त्रिपाठी, जब आप सूचना देते हैं तो कहते हैं कि केवल वक्तव्य करवा दीजिये। जब वक्तव्य करवाता हूं तो आप कहते हैं कि प्रश्न करवा दीजिये। यह बिलकुल गलत है। आप को जो कुछ पूछना है आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं जानना चाहता था कि माननीय त्रिपाठी जी ने लखनऊ क विषय म आन्दोलन के सिलसिले में नोटिस दिया था लेकिन मैंने प्रान्त के अन्दर चार जगह जो स्ट्राइक चल रहा है उन चारों के विषय में दिया था। अगर केवल लखनऊ के विषय में वक्तव्य करवा दिया जाता है तो उससे परिस्थिति का हल नहीं निकलता है जब कि चार कालेजेज में स्ट्राइक चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय ने

[श्री लखपतराम शर्मा]

इसको स्वीकार किया था । मैं आप से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि चूंकि आपने माननीय त्रिपाठी जी की सूचना को स्वीकार किया है और जिन तीन जगहों पर और स्ट्राइक चल रही है, जिन पर मैंने दिया है, उस पर क्या हुआ ? इस पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना में यह लिखा है कि माननीय मंत्री जी महोदय को भेज दी जाय । यदि चाहें तो इसके सम्बन्ध में सदन में सूचना दे दें । यह लिखा हुआ है माननीय उग्रसेन के में, इसके साथ श्री लखपतराम शर्मा जी की सूचना भेज दी जाय ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

इसमें मैं एक जानकारी मंत्री जी से चाहता था । बयान में जरा कनफ्यूजन हुआ है उसको मैं चाहता था कि जरा साफ कर दें ।

मान्यवर, उन्होंने यह फरमाया है अपने बयान में कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द की रिपोर्ट लागू है और उधर एक जगह कहते हैं कि जहां तक पाठ्यक्रम का सवाल है माडर्न मेडिसिन, सर्जरी और आयुर्वेद का पाठ्यक्रम है जैसा कि बी० एम० बी० एस० का था, लेकिन इस समय आयुर्वेद पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि पुराने पाठ्यक्रम में भी जब वही विषय थे, तो किस प्रकार कहते हैं कि यह जो नया पाठ्यक्रम है इसमें आयुर्वेद की पढ़ाई अधिक हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें ७० प्रतिशत आयुर्वेद की पढ़ाई हो रही है और ३० मार्डर्न विषयों पर ।

२६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २४–२६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २६ मार्च, १९६३ को श्री रणबहादुरसिंह ने अपने तारांकित प्रश्न संख्या २४–२६ के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि जिला बस्ती में एक डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर थे जिन्होंने जड़हन का बीज जो वहां दिया था वह सारे जिले में धान हो गया और खेत में पहुंच कर के उगा नहीं और यह भी जानते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी और वह डिसमिस कर दिये गये, इसके बाद भी उसकी वसूली का आदेश हुआ है जो कई लाख रुपया है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, जैसा मैंने पहले जवाब में अर्ज किया कि कृषि विभाग के बीज गोदामों से जितना इस प्रकार का गलत पैडी का बीज दे दिया गया था उसके मुताल्लिक तमाम रकम माफ कर दी गई है । माननीय रणबहादुर सिंह ने जैसा बताया जिला कृषि अधिकारी, जिला बस्ती को सस्पेंड किया गया और डिसमिस किया गया, तत्पश्चात् बस्ती की जनता ने उनको मेम्बर पार्लियामेंट बनाकर भेज दिया ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था ।

सही उत्तर इस प्रकार है । "मान्यवर, जैसा मैंने पहले जवाब में अर्ज किया कि कृषि विभाग के बीज गोदामों से जितना इस प्रकार का गलत पैडी का बीज दे दिया गया था उसके मुताल्लिक तमाम रकम माफ कर दी गई है । माननीय रणबहादुरसिंह ने जैसा बताया जिला कृषि अधिकारी, जिला बस्ती को सस्पेंड किया गया । तत्पश्चात् उनको पुनः स्थापित किया गया ।

यह पूर्णतः अस्थायी अधिकारी थे । कुछ दिनों के बाद उन्हें एक माह का वेतन देकर सेवा से मुक्त किया गया । तत्पश्चात् लाल गंज, जिला आजमगढ़ की जनता ने उनको मेम्बर पार्लियामेंट बना कर भेज दिया ।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५६८ पर ।)

नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों गृह मंत्री ने जो यहां नियम ५२ के मातहत बयान दिया था उस सिलसिले में नियम ५३ का नोटिस दिया था, उसका अन्जाम क्या हुआ, यह नहीं मालूम हो सका ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप कार्यालय से पूछने की कृपा करें ।

प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल के नेता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विरोध में अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं । श्रीमन्, जो यह प्रस्ताव लाये हैं मेरी दृष्टि में वह बिलकुल असामयिक और अनर्गल है । इस प्रस्ताव ने इधर के बैठने वालों की सब आशाओं पर पानी फेर दिया है, इसीलिये मुझे इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने का बड़ा चाव है और यदि बोलता हूं तो कुछ रहस्यों और तथ्यों का उद्घाटन करना पड़ेगा, इसलिये दुख भी है, क्योंकि रहस्य खोलने के पश्चात् रहस्य नहीं रहता । "राज़ वह राज़ ही नहीं दिल में अगर छपा न हो ।" प्रत्युत बोलता नहीं, तो लोग मुझे गूंगा कहेंगे, बहरा कहेंगे ।

मूकोस्ति को वा बधिरश्च को वा,
वक्तं न युक्तं समये समर्थः ।

जो ठीक समय पर ठीक बात न कह सके, वही गूंगा है, वही बहरा है । इसलिये मैं कुछ कहता हूं । परन्तु कहते न बने, सहते ही बने ।

श्रीमन्, मैंने बड़े बड़े साधु सन्तों की कुटियों के दरवाजे खटखटाये, बड़े-बड़े राजा, महाराजाओं और सेठ साहूकारों की चौखटों पर माथा टेका, बड़े बड़े मिनिस्टरों के चरण चांपे, बड़ी बड़ी पुस्तकों का अध्ययन किया,बड़े बड़े पंडितों के चरणों पर मस्तक नवाया, परन्तु वे मुझे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ एक स्थान पर कोई नहीं बता सके । जब मैंने अपनी बुद्धि का मन्थन किया तो मुझे ये चारों पदार्थ एक जगह पर अगर कहीं मिलते दिखाई दिये तो श्रीमन्, वह आनरेरी मैजिस्ट्रेट में ही दिखाई दिये । ये चारों पदार्थ आनरेरी मैजिस्ट्रेटी में कैसे हैं यह मैं बताता हूं । श्रीमन्, यदि हमारी सरकार १०० व्यक्तियों पर एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दे और उसी पक्ष के, यानी कांग्रेस पक्ष के ही तो बड़ा भारी देश का उपकार हो जाय । हमारे देश के लोगों ने स्वतंत्रता के लिये बड़ी बड़ी आपत्तियां झेलीं । अब उनकी सन्तानें बेकार फिर रही हैं । यदि यह लोग आनरेरी मजिस्ट्रेट बन जायं तब तो पूरे भारत में करोड़ों व्यक्तियों को स्थान मिल जाय ।

---

†२० दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही से ।

[श्री लोकपालसिंह]

श्रीमन्, पेशकार भी आनरेरी मिल सकते हैं और चपरासी भी आनरेरी मिल सकते हैं अतः यदि एक आनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है तो ४ आदमियों की खपत हो सकती है इसलिये श्रीमन्, बात बन गई । जिन लोगों ने देश के लिये परिश्रम उठाया था उन सभी को स्थान मिल जायगा। अब श्रीमन्, आती है अर्थ की बात । वह किस तरह से बन जायगी वह भी मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हूं। अगर यह बिना खर्चे की न्याय शैली बन गई तो अर्थ की बात इस तरह से बन जायगी कि ये काफी पैसा चन्दा में दे देंगे और एलेक्शन में भी मदद कर सकेंगे और नेताओं का भी स्वागत कर सकेंगे और मनमाना न्याय भी कर दिया करेंगे । इस तरह से यह अर्थ की बात बन जायगी और यदि सरकारी अन्य नौकरों में भी आनरेरी प्रथा चल पड़ती तो वे भी हर महीने सरकारी खजाने में पैसा जमा करने लगेंगे और जनता का उससे बहुत लाभ होगा । जब हमारे यहां अर्थ की व्यवस्था हो जायगी तो हमको अमेरिका से ऋण नहीं लेना पड़ेगा और जो उनका ऋण हमारे देश ने लिया है उसको २ वर्ष के अन्दर ही चुका देंगे। बल्कि हम लोग उलटा कर्जा देने लगेंगे। जब अर्थ की व्यवस्था ठीक हो जाती है तो फिर सब काम ठीक हो जाते हैं । अर्थ की भी बात हो गई और काम जो होता है वह भी अर्थ से ठीक हो जाता है । जब अर्थ होता है तभी काम पूरा होता है । अब देखिये, जब अर्थ मिल गया तो सर्व प्रकार के काम भी पूर्ण हो जायेंगे "कनक कनक से चौगुनी मादकता अधिकाय, या पाये बौरात है वा खाये बौरात"। हमको दोनों प्रकार की कनक मिलेगी। खाने के लिये गेहूं भी मिलेगा और सोना भी मिलेगा । इस तरह से अर्थ की समस्या पूर्ति होने पर हमारा काम भी पूरा हो जायगा। परन्तु भय है कि कहीं सरकार बौरा न जाय ।

अब आप मोक्ष की बात सुनिये । सारे देश को मोक्ष हो सकती है यदि इस योजना पर सरकार कायम रही । अगर यह कार्य चलता रहा और देश के अन्दर आनरेरी मजिस्ट्रेट का पद चलता रहा तो पूरे देश को मोक्ष मिल जायगी। पहले क्रान्ति होगी और फिर उसके बाद शान्ति होगी । "जब हो जाओगे पूर्ण पुण्य में पारायण, तब होगी सम्पूर्ण तुम्हारी रामायण।" मैंने पुस्तकों में पढ़ा तो मालूम हुआ कि देवताओं ने समुद्र मन्थन किया । मन्थन करने के बाद समुद्र से १४ रत्न निकले। वे रत्न थे श्री, रम्भा, विष, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, धनुष, धन्वंतर, धेनु, तरु, चन्द्रमा, मणि, बाज। बड़े लोगों ने इन रत्नों के गुण खोजने का प्रयत्न किया तो इन १४ रत्नों में एक से अधिक गुण किसी में प्रतीत नहीं हुआ। और यदि किसी भी रत्न में अनेक गुण दिखाई दिये तो सिर्फ एक रत्न में ही चतुर्मुखी गुण दिखाई दिये, जिसको मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं । हमारे नेताओं ने अपनी बुद्धि को मन्थन करके एक श्रेष्ठ रत्न निकाला और वह रत्न है आनरेरी मैजिस्ट्रेटी। मैं समझता हूं इसके अन्दर चतुर्मुखी गुण विद्यमान है। श्रीमान् जी, चतुर्मुखी गुण नहीं बल्कि अष्टमुखी गुण विद्यमान हैं । शोषण, वर्षण लोभन, क्षोभन, मारण, तारण और मोहन आदि आदि गुण इस रत्न में भरे पड़े हैं और दूसरे किसी रत्न में इतने गुण नहीं मिल सकते हैं । ऐसे गुण उसके अन्दर भरे पड़े हैं कि :

तुम मार भी सकते हो जग को और तार भी सकते हो जग को
विष और अमृत का भरा हुआ है सार तुम्हारी आंखों में ।।
संसार की आंखों में तुम हो और संसार तुम्हारी आंखों में ।
जाने क्या-क्या है भरा हुआ सरकार तुम्हारी आंखों में ।।

परन्तु दिन और रात की तरह इस के गुण अदलते बदलते रहते हैं । आज यदि किसी के लिये अमृत है तो उसी को कल विष हो सकता है और जिसको आज विष है उसे कल अमृत हो सकता है । आज गान्धी जी यहां पर नहीं हैं । वह होते तो बहुत प्रसन्न होते इन बातों को देखकर । ६३ से ६७ तक तो इस ओर हमारी पार्टी को यह विष रूप रहेगा और सन् ६७ में जाकर यही विष अमृत हो जायगा और उधर को जो अमृत रूप नजर आता है वही ६७ में जाकर उनको विष बन जायगा । यह इतना सुन्दर रत्न है कि इसकी क्या हम प्रशंसा करें ।

श्रीमान्, द्वापर की एक बात और सुनाता हूं । जब कंस का राज्य चल रहा था तो वहां पर दो नीति चलीं । एक देवताओं की और एक नारद की । कंस के राज्य से जब देवता ऊब गये थे तो वह दौड़कर भगवान के पास गये और कहने लगे कि पापाचार बहुत बढ़ गया है, भगवन अवतार लीजिये । भगवान ने कहा कि अभी कोई उपद्रव ऐसा नहीं है कि मुझे चलना पड़े । नारद ने कहा कि हम बुलाते हैं भगवान को और वे भगवान के पास न जाकर सीधे कंस के पास पहुंचे और उसे पापाचार करने को और बढ़ावा दिया और जहां वह देवकी के एक पुत्र को मारना चाहता था उसके स्थान पर उससे देवकी के आठों पुत्र मरवाये और इस कारण भगवान का आना पड़ा । तो मैं अपने नेता की बात को मान कर आनरेरी मजिस्ट्रेट की प्रथा का विरोध क्यों करूं । मैं आपको बढ़ावा ही क्यों न दूं । मैं नारद की नीति का अनुसरण करता हूं कि बढ़े चलो, बढ़े चलो, चले चलो, चले चलो । हां, इतना मानता हूं कि अब कुछ उल्टा समय आ गया है और दुनिया में सारे काम ही उल्टे होते हुये ही नजर आते हैं । देखिये, पहले चींटी खाती थी चीनी को, अब चीनी खाता है हिमालय को । पहले घी से सब्जी बनती थी, अब सब्जी से घी बनता है । श्रीमन्, पहले जच्चा, बच्चा जनती थी अब पूरा भारत जनता है ।

श्रीमन्, इन्हीं कारणों से जो काम सरकार भी करती है वह भी उल्टा बनता है । सरकार ने सहकारी समितियां कायम कीं, वह सरकारी समितियां बन गयीं, उसने विकास योजना बनायी और वह विनाश योजना बन गयी, वह लाई स्वतंत्रता, आ गई परतंत्रता । उसने लेखपाल बनाये और वह पेटपाल बन गये । उसने बनाये आनरेरी मजिस्ट्रेट लेकिन वह बन गये अनाड़ी मैजिस्ट्रेट, बनाये साक्षरा लेकिन वह हो गये राक्षसा और आप देख लें 'साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा भवति' कि साक्षरा को उल्टा लिख देने से राक्षसा बना जाता है और इसलिये मैं नारद नीति के अनुसार समझता हूं कि सरकार को सब उल्टे काम करने चाहिये, वह सब सीधे हो जायेंगे । उसे लगान बढ़ाना चाहिये, कर बढ़ाना चाहिये, अवैध गांजा बेचना चाहिये, ब्लैक मार्केटिंग को प्रोत्साहन देना चाहिये, सारे कांग्रेसी भाइयों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना देना चाहिये । इससे देश का बड़ा कल्याण होगा ।

रुकावट ठीक नहीं, तबह की रवानी में, बू फसाद की आती है, बंद पानी में । जो कुछ करना है तुझे, कर तुरन्त हे तात, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात । काल करै सो आज कर, आज करै सो अब, पल में परले होयगी बहुरि करोगे कब । अब मैं अपने नेता के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं । आनरेरी मैजिस्ट्रेट, जिन्दाबाद ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, जिस शराफत के साथ माननीय सदस्य ने आनरेरी मैजिस्ट्रेटी की तनजन ताईद की है यह भी एक ढंग होता है किसी बात की मुखालिफत करने का । बहरहाल, मैं उनको इसलिये मुबारकबाद देता हूं कि जो मुखालिफत करने का एक दूसरा तरीका है उसके मुकाबले इस तरीके में एक स्टेंडर्ड मेन्टेन रहता है । इस तरीके से उन्होंने जैसे प्रस्ताव की ताईद की है उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम हाउस को माननीय सदस्य से लज्जत और लताफत की एक चीज मिली, वह चाहे इस सब्जेक्ट से मुताल्लिक हो या न हो । जहां तक आनरेरी मैजिस्ट्रेट का ताल्लुक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि जैसे मुखिया, प्रधान, नम्बरदार, रायसाहब, राय-बहादुर, खानबहादुर, जैसी हस्तियां हमारे समाज के बीच कायम की गयीं थीं जिसमें हल्दी लगे नहीं और रंग चोखा आये और उनमें से कुछ लोग देश की ओर आजादी के दीवानों की मुखबरी करते थे ताकि उनसे शासन चलता रहे और समाज की तमाम चीजें अंग्रेज के कान तक पहुंचती रहें । मुश्किल से एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक एस० पी० अंग्रेज हुआ करते थे । बाज-बाज मौकों पर ऐसा भी देखा गया है कि रिजर्व इंस्पेक्टर को जरूर ऐंग्लो इंडियन या अंग्रेज रखा जाता था ताकि पुलिस फोर्स उसके कब्जे में रहे और उसको अपनी मंशा के मुआफिक इस्तेमाल किया जा सके । लेकिन जो ऐजेंसी समाज में कायम की गयीं ताकि लोगों की हरकात व सकनात और आचार व्यवहार का और तमाम ऐक्टिविटिज का पता अंग्रेज को आसानी से चलता रहे, उनमें से एक आन-

[श्री अहमद बख्श]

रेरी मैजिस्ट्रेट की भी पोस्ट थी । वह इसलिये कायम की गयी कि उनकी इज्जत भी सोसाइटी में रहे और उनको मैजिस्टीरियल अख्तियारात भी रहें और काम वही करें जो सरकार का आवरदा कर सकता था कौम के खिलाफ अंग्रेजी जमाने में । और तजुर्बे ने यही बताया कि और जहां कहीं तनख्वाहदार मैजिस्ट्रेट उन मामलात में नाकामयाब रहे तो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों ने बड़ी हिम्मत, वफादारी और बहादुरी के साथ उस काम के करने से इन्कार नहीं किया । जिसको तनख्वाहदार मैजिस्ट्रेट इन्कार कर सकता था । खानबहादुर के खिताब के मुतालिक तो आम रवायत है और मुल्क का हर आम बाशिंदा जानता है कि चाहे वह चूही का बच्चा न मार सके लेकिन खान-बहादुरी का खिताब कुछ ऐसे हरकात व सकनात और कारहाये नुमायां पर मिल जाया करता था जो सरकार के लिये केवल खुशामद व वफादारी के बल पर बहादुरी का सबूत था और अवाम के लिये काबिले मजम्मत था ।

वही चीज "सर" के खिताब के मुताल्लिक है । एक पढ़े-लिखे आदमी ने तो उसकी बाकई तशरीह की है कि अंग्रेज सर का खिताब उस शक्स को दिया करता था जब वह ससझ लेता था कि इस सर में मेरी वफादारी के सौदे के सिवाय और कुछ नहीं समा सकता और यह सर सिवाय अंग्रेज की चौखट पर झुकने और कहीं नहीं झुक सकता । तो जहां तक आनरेरी मैजिस्ट्रेट का सवाल है, मैं अदब के साथ आपके द्वारा यह अर्ज करूंगा कि यह प्रथा इसलिये कायम की गयी कि हमारे अन्दर से ऐसे जहीन आदमी मिल जायं जो बजाहिर इस ताकत के नशे में चूर रहें और इस चार्म में आकर हमारी खिदमात अंज ाम दे सकें, और इसमें शक नहीं कि अच्छा-खासा जहीन तबका इस सिलसिले में, इस गोरखधंधे में फंसा और जाहिर है कि बाद में उसमें वही खरा-बियां आनी शुरू हुईं जो आमतौर पर उम्मीद की जा सकती थीं । आज जबकि यहां पर उन मुला-जिमीन में जो तनख्वाहदार हैं और ३-४ साल के बाद जिनकी तबदीली हो सकती है उनमें पार्टी के असरात आ सकते हैं और पार्टीबाजी का इल्जाम उन पर लगाया जा सकता है और उन पर जानि-बदारी और तरफदारी का इल्जाम लग सकता है, तो उस जिले में और क्षेत्र में रहने वाले आनरेरी मैजिस्ट्रेट उन बुराइयों और खराबियों से मुबर्रा नहीं रह सकते और उनमें भी यह बुराइयां आनी लाजमी हैं । जब एक आदमी का जहन मुन्तकिल होता है तो वह बुरे से बुरा काम करने पर भी उतर जाता है । फिर उनके खिलाफ कोई ऐक्शन भी नहीं लिया जाता । यहां तक कि जो कमेटी उनको मुकर्रर करती है वह छांट तो सकती है लेकिन अलहदा नहीं कर सकती, अलहदा वह सरकारी आर्डर से ही हो सकते हैं । हमें भी दिक्कत होती है अमली तौर पर क हम यह सबूत दें और साबित कर सकें कि वह शख्स जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट है वह इस ओहदे के लिये ना अहल है और इसके लिये सरकार से सिफारिश की जाय कि फलां शख्स की सेवायें समाप्त की जायं । वह जो समिति है उसको भी यह अधिकार नहीं है कि यह प्रस्ताव करके भेज दे कि अब इनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि जिस समिति को उनकी नियुक्ति का अधिकार दिया गया है उसको यह भी अख्तियार न हो कि यह सिफारिश भी कर सके कि उनको इस सेवा से अलहदा किया जाय ।

हां, ऊपर से अगर वे अलहदा हो जायं तो दूसरी बात है, वह हो सकते हैं । मगर ऊपर भी इंसान ही होते हैं और इंसानों में जो कमजोरियां होती हैं उसे वे क्या कोई भी बरी नहीं हो सकता । तो मैं यह गुजारिश करूंगा कि आनरेरी मजिस्ट्रेटों की जो यह प्रथा है यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है ।

मैं यह गुजारिश करूंगा कि पहले जहां एक जिले में ३-४ मजिस्ट्रेट होते थे, एक एस०डी०एम० होता था वहां पर आज उनकी तादाद कहीं ज्यादा हो गई है । आज ३-४ एस० डी० एम० मिलेंगे, कई जुडिशियल आफिसर्स मिलेंगे, जिलाधीश होंगे, सहायक जिलाधीश होंगे, कोई ई० डी० एम०(जे०) होगा, कोई(ई०) होगा, सब इस तरह से १५/१६ तो यह हो जाते हैं और

फिर इसके अलावा ट्रेनिंग के लिये जो आते हैं वे अलग रहते हैं। जब इतने मजिस्ट्रेट आपके यहां मौजूद हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर इनकी क्या आवश्यकता है और क्यों इन आनरेरी मजिस्ट्रेट्स को रखा गया है।

यह बात कही गयी कि यह हमारे लिये मुजिर होंगे। यह ठीक ही है, खराब चीज कभी फायदेमन्द नहीं होती। यह अलग बात है कि आप इसकी तारीफ करें। यह कहना गलत है कि कांग्रेस वाले बेजा फायदा इनसे उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के लिये मुफीद है, ऐसी बात नहीं है।

इसके अलावा एक और किस्म के भी मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको लाइफ मजिस्ट्रेट कहा जाता है। उनका काम महज यह होता है कि वे किसी सार्टिफिकेट या डाकूमेंट की तस्दीक कर देते हैं या किसी को सार्टिफिकेट दे देते हैं। इनका काम फैसला आदि करना नहीं होता। आनरेरी मजिस्ट्रेटों की बुराई सामने आने का मौका मिल जाता है, मगर जो लाइफ मजिस्ट्रेट होते हैं यह बड़े खतरनाक होते हैं, इनकी बुराई सामने नहीं आने पाती। मैं एक किस्सा लाइफ मजिस्ट्रेट का आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक साहब लाइफ मजिस्ट्रेट थे, उनके होशहवाश खराब हो गये थे, कोई काम कर नहीं पाते थे, हाथ पैर भी उनके हिलते थे, मोहर उनके पास थी, एक कागज पर उन्होंने मोहर लगा दी, वह कोई डाकूमेंट था जिसकी तस्दीक होनी मुश्किल थी। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और इस बारे में यही बहस चली कि उन्होंने मोहर जो लगायी वह होश में लगायी या क्या बात थी। तो इनसे इस तरह के केसेज होने का डर बना रहता है।

मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। पहले सन् १९३६-३७ में हम लोग प्लेटफार्म से यह स्पीच दिया करते थे कि आनरेरी मजिस्ट्रेट समाप्त होने चाहिये और हर तरह से हम उनकी मुखालिफत किया करते थे, फिर आज हमारे ही हाथों से अगर वे बनाये जायं तो यह काबिले अफसोस है। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और माननीय न्याय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस समय हमारे ऊपर चाहे और बोझ पड़ जाय, हमें इसकी फिक्र न करके, इस प्रथा को खत्म करना चाहिये और इनकी जगह वैतनिक मजिस्ट्रेट रखने चाहिये। अगर हम किसी को तनख्वाह दे कर किसी से काम लेते हैं तो हमको उससे उसका जवाब तलब करने का भी अधिकार है, किन्तु जिनको हम कोई तनख्वाह आदि नहीं देते उनसे हम उनकी गलती होने पर कोई जवाब भी नहीं मांग सकते और न ही वे किसी गलती के लिये जिम्मेदार ठहराये जा सकते हैं और इससे दफ्तरों के कामों में बहुत-सी उलझनें भी पैदा हो जाती हैं। इसलिये आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये, यह मुल्क के लिये या अपने प्रदेश के लिये कोई लाभदायक नहीं है बल्कि यह एक कलंक है। यही मुझे आपके द्वारा अर्ज करना था।

*श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने समझा है, हमारे माननीय सदस्यों को आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से इतना विरोध नहीं है जितना कि उसके चुनाव के तरीके से और जिस तरह कि उसको कार्यान्वित किया जाता है। आनरेरी मजिस्ट्रेसी, जूरी सिस्टम और असेसरों का एप्वांइटमेंट किसी भी प्रजातंत्र देश के लिये न केवल उचित है परन्तु आवश्यक भी है। ऐसे समाज में योग्य, वयोवृद्ध, निष्पक्ष और बिना सरकार से पैसा लिये काम करने वाले देश भक्त अगर पैदा न हों, न्याय देने वाले पैदा न हों, तो वह किसी भी राष्ट्र के लिये अपमान की बात होगी। इसलिये हमें इनको और भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी नियुक्ति में सिर्फ ऐसे तरीके अपनाये जायं जिसमें लोगों को यह शिकायत न हो कि किसी पार्टी या स्वार्थ की भावना से उसकी नियुक्ति की गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महादेव]

यह बात बहुत आवश्यक है कि न्याय को पार्टी से, पक्षपात से, जितना ही दूर रखा जा सके उतना ही अच्छा है चाहे वह न्यायधीश वेतन भोगी हो या अवैतनिक हो। इसी से देश का कल्याण हो सकता है, और शासन व्यवस्था में भी गवर्नमेंट जनता का विश्वास प्राप्त कर सकती है। मेरा सुझाव यह है कि आनरेरी मजिस्ट्रेटों को रखा जाय लेकिन उनके चुनाव के तरीके बदल दिये जायं और बजाय कलेक्टर के उनकी नियुक्ति जिला जज के द्वारा करायी जाय। इससे आज जो पार्टी अथवा पक्षपात की शिकायत हो रही है वह दूर हो जायगी। यह भी हो सकता है कि १००-५० ऐसे आदमियों को तजवीज करके रख दिया जाय और उनमें से ४-६-१० आदमियों को हर वर्ष आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाय और उनकी अवधि भी दो साल से अधिक न हो। ऐसा तरीका सोचा और अपनाया जा सकता है कि जिसके द्वारा जो लांछन आनरेरी मजिस्ट्रेटों पर लगाया जा रहा है वह दूर किया जा सके। मेरा अपना खयाल है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट अपने देश के लिये बहुत ही अच्छी चीज होगी। मेरा अनुरोध है कि न्याय मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान दें और उनकी नियुक्ति को जजों के हाथ में दे दें।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस प्रस्ताव पर विचार करता हूं तो हमें आज की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी विचार करने की आवश्यकता होती है। मेरा ऐसा विचार है कि हमारी वर्तमान विधि व्यवस्था का विकास हमारी सांस्कृति के अनुरूप नहीं हुआ। हिन्दू अथवा मुस्लिम कानून, जो भी हमारे भारतीय कानून रहे हैं, उनके अनुरूप यह वर्तमान पद्धति नहीं है। १६वीं शताब्दि में अंग्रेजों ने हमारे देश में पदार्पण किया और उन्होंने यहां की विधि व्यवस्था को इंगलैंड और यूरोप की विधि व्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने कानून, नियमों को भारत की भूमि में उगाया। ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो कानून और न्याय की व्यवस्था की गयी वह हमारे संस्कृति के खिलाफ थी। वह वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के भी खिलाफ है। लेकिन विगत ३-४ सौ वर्षों से सक्रिय रूप में इस यूरोप की कानून व्यवस्था ने इस प्रकार का रूप लिया कि हमारा सारा शासन और सारे विचारक उससे प्रभावित हो गये।

यह जो मजिस्ट्रेसी की व्यवस्था है इसको हम किसी प्रथा के रूप में नहीं देखते क्योंकि ब्रिटिश शासन-काल ने हमें बहुत-सी व्यवस्थायें दी थीं, उनके द्वारा बहुत-सी संस्थाओं का जन्म हुआ जिनके द्वारा हमारे देश व हमारी जनता का शोषण हुआ। जैसे जमींदारी प्रथा को ही ले लीजिये, वह बड़ी खराब प्रथा थी लेकिन उसका जिस हद तक हम उन्मूलन करना चाहते थे उतना न करके भी जितनी हमारी व्यवस्था ने जगह दी, उतनी हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। अभी भी बड़े-बड़े किसान रह गये हैं, भूमिहीनों को जमीन नहीं मिली है और आज की सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी रूप में हम उनके लिये कुछ नहीं कर पाये हैं। लेकिन फिर भी, जहां तक हो सकता है, हमारे देश की सरकार ने इन चीजों को लागू किया है।

लेकिन कुछ ऐसी चीजें थीं, खास तौर पर नायिक सम्बन्धी बातों के लिये मैं कहता हूं कि इस प्रथा को हमने सांगोपांग अंगीकार किया है और उसी रूप में अंगीकार किया है। उसको तनिक भी छुआ नहीं है और न उसमें कोई परिवर्तन किया है। आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है उसमें प्रिवी कौंसिल के ही जो ला, रूल्स व रेगुलेशन्स थे, आज भी लागू हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई विपरीत फैसला न किया हो। हमारा ऐविडेन्स ऐक्ट, यानी गवाहियों के लिये जो साक्ष्य पद्धति है आज भी वही है। इसका कारण यह है कि यह वैज्ञानिक पद्धति है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहां पहले साक्ष्य की कोई पद्धति नहीं थी जिससे हम तथ्य की तरफ तह तक पहुंच सकें। हमारे यहां पुराने जमाने में पंच परमेश्वर का न्याय था, जब लोग पंच को परमेश्वर के रूप में समझते थे और अपने हृदय की बात कह देते थे लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज यह बात नहीं है। आज हमारे यहां कोर्ट आफ जस्टिस नहीं है बल्कि कोर्ट आफ ला है। आज वकीलों को ला प्वाइंट से अपने मुअक्किलों को जिताने के लिये बहस करनी होती है। आज इससे काम नहीं चलता कि फलां मजिस्ट्रेट फलां वकील का मित्र है या फलां अधिकारी के साथ वह मुरौवत कर देगा। आज तो कानूनी विधि विधान है और उसी नियम के अनुसार वह अपने हथियार लेकर कानून की अदालत में खड़ा है और विधि विधान के जरिये ही वकील अपने मुअक्किल को डिफेंड करता है।

यहां पर कोई वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेसी का सवाल नहीं है। कुछ लोग वैतनिक मजिस्ट्रेट्स के लिये भी कह सकते हैं कि वे बहुत खराब हैं और कुछ डिफेन्ड कर सकते हैं लेकिन हमें यहां तो देखना यह है कि आज की परिस्थिति में हम क्या करें। या तो आप पुराने जमाने की बात सोचें कि तेल के कड़ाहे में हाथ डलवा कर लोगों से सच्ची बात कहलायी जाती थी या यह कि किसी के हाथ पर आग रखकर कहा कि अगर हाथ नहीं जलेगा तो समझा जायेगा कि तुम सच हो, तो क्या आप ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं? पुराने जमाने में कई बातें होती रही हैं तब हम किस प्रकार अविश्वास करें और अविश्वास करने का कारण क्या है। हम कैसे किसी मेजिस्टेट को समझा सकते हैं कि वह खराब है आखिर उसकी भी अपील अपर कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकती है। जब इतना ऊपर तक वेधानिक-चेक आप हैं तो फिर इससे क्या है कि कोई वेतन पाता है तो कानून की रूह से दूसरा फैसला कर देगा और अगर कोई वेतन नहीं पाता है तो दूसरा फैसला कर देगा। आपका साक्ष्य का कानून है विधि है और लिमिटेशन है उस सब को हम निरर्थक मान लें तब हम कह सकते हैं कि वह सब बेकार है लेकिन जब हम सब को मान्यता देते हैं और जो बुनियादी कानून के नियम हैं और जब लिमिटेशन और एवीडेंस ऐक्ट के अनुसार हमारे यहां फैसले होते हैं, अगर साक्ष्यों द्वारा अपराध साबित हो जाता है और उस पर सजा होती है और जब यह बुनियादी कानून कमिश्नर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर व मजिस्ट्रेट आदि के लिये लागू हैं और जब हम सब पर एक व्यवस्था लागू किये हैं तो हम सरपंच या आनरेरी मजिस्ट्रेटों को कैसे उस से अलग कर सकते हैं, एक्सटेंशन हो नहीं सकता। इस प्वाइंट पर मैं डिफेन्ड करता हूं।

दूसरा निवेदन यह है कि आदरणीय सदस्य और जो हमारे एक भूतपूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी सेपरेशन आफ पावर्स के बारे में कहा। हमारे यहां पावर और सुपरविजन का सवाल बहुत जटिल हो गया है। न्याय और एग्जीक्यूटिव के अलगाव का सिद्धान्त है, उसको अलग-अलग करने की मांग है लेकिन अब कुछ ऐसी व्यवस्था पैदा हो गई है कि जहां पर दोनों व्यवस्थाओं का अलगाव संभव नहीं है। जहां नियोजन की व्यवस्था चल रही है और जहां जनता के वेलफेयर की व्यवस्था चल रही है वहां इन चीजों के रहते हुये और जहां इस तरह के नये-नये कानूनों की भरमार है वहां आज शासन की दिशा भी बदल गई है, निर्माण की यह व्यवस्था है नयी व्यवस्थाओं का आज जन्म हो रहा है, तरह-तरह के राजनैतिक विद्रोह के तरीके, तरह-तरह के कूप के तरीके निकल रहे हैं तो तरह-तरह के नये कानून और प्रकाशन्स और प्रिवेन्टिव जस्टिस के तरीके भी निकल रहे हैं जैसे डी० आई० आर० का प्रयोग है वह हमारा एक प्रिवेन्टिव जस्टिस है। तो अब अलग-अलग दिशा में हर चीज चल रही है। न्याय वाले को न्याय मिलता है और एग्जीक्यूटिव में अलग काम होता है, निर्माण के काम अलग चलते हैं। इस तरह से तीनों व्यवस्थायें चल रही हैं और मिल गई हैं। इस तरह से अब एक नये प्रकार की व्यवस्था का सूत्रपात हुआ है। इसी तरह से डेलीगेटेड जस्टिस की बात है। ब्रिटेन में एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का एक नया सूत्रपात हुआ है, उन लोगों ने समझा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले जूडीशियरी के हाथ में सौंप दिये जायं तो बहुत से मामले ऐसे हो सकते हैं कि जिनके फैसले में सालों और महीनों लग जाते हैं और जो जनता के वेलफेयर का आशय होता है वही समाप्त हो जाता है। जो लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को प्रतिपादित करते हैं उनके सामने एक बड़ी भारी समस्या ऐसी अवस्था में आ सकती है। तो हमें इन तमाम बातों पर गौर करना होगा कि किस तरह से एक वैलफेयर स्टेट में जहां कि तमाम तरह के निर्माण की नई-नई व्यवस्थाओं का सूत्रपात हो रहा

[श्री बेचनराम]

है और नई-नई समस्यायें हमारे सामने आ रही हैं, जहां हमें जनहित के, जनता के वैलफेयर को, सबसे ऊपर मानकर अपने फैसले करने हैं वहां हमें किस तरह से अपने यहां न्याय की व्यवस्था को कायम करना है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इनका कार्यकाल दो साल का रखा जाय । मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि किसी भी आदमी को काम सीखने के लिये समय मिलना चाहिये । हमारे यहां बहुत-से डिप्टी कलेक्टर हैं जो एल० एल०-बी० नहीं हैं लेकिन अनुभव ने उनको होशियार बनाया है और सफल मजिस्ट्रेट साबित होते हैं । अतः अनुभव सबसे बड़ी बात है । इनके काम के बारे में जज की रिपोर्ट मंगाइये, कलेक्टर की नहीं । जुडिशियरी का काफी कंट्रोल होना चाहिये हाई कोर्ट का कंट्रोल होना चाहिये । केवल ऐक्जीक्यूटिव का ही कंट्रोल नहीं रहे । ऐसा न हो कि वह ऐग्जीक्यूटिव अफसरों के पीछे फिरते रहें । मैं चाहता हूं कि जब हमने अंग्रेजों की दी हुयी जुडिशियल प्रथा पूर्ण रूप से स्वीकार किया है तो यह संस्था भी रहनी चाहिये । कोई भी मजिस्ट्रेट दो साल में न हटाया जाय । उसको तभी हटाया जाय जब कि हाई कोर्ट उसके काम के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करे । आप देखें कि आज कल हाई स्कूल और इंटर में कितने लड़के पढ़कर निकलते हैं जो नौकरी की तलाश में फिरते हैं । उन लोगों को अपने सार्टिफिकेट्स वगैरह अटेस्ट कराने पड़ते हैं । यह सब काम वे मजिस्ट्रेट्स से करा लेते हैं जिससे उनको काफी सुविधा मिलती है । सार्टिफिकेट्स लेने में सुविधा रहती है ।

मैजिस्ट्रेट रखे जायं; आप उनके चुनाव का तरीका बदल दें, कमेटी में परिवर्तन करें, जुडिशियरी का कंट्रोल रहे और अगर हाईकोर्ट उनके काम के बारे में स्ट्रिक्चर पास करे तभी उनको हटाया जाय । यह संस्था पूरी जुडिशियरी की एक कड़ी है जिसको आप अलग नहीं कर सकते । डेमोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है तभी नई व्यवस्थायें पनपती हैं और जनतंत्र मजबूत होता है । अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल का जो यह संकल्प आदरणीय सदन में प्रस्तुत है उसके विषय में अपने खयालात का इजहार करते वक्त ऐसा महसूस करता हूं जैसे काफी उलझनें हों । जबकि जनता को नये-नये अधिकार सरकार के जमहूरे ढांचे में दिये जा रहे हैं उस समय यह सवाल पैदा होता है कि आया हम इस संस्था को जो आनरेरी मजिस्ट्रेसी का है किया जाय या न किया जाय ।

लेकिन अगर इस इन्स्टीट्यूशन के काले कारनामों को देखा जाय, इसकी बुराइयों को देखा जाय, तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि माननीय नेता विरोधी दल के इस संकल्प को समर्थन करने को दिल चाहता है । मैं समझता हूं कि यह इन्सटीट्यूशन इतना बदनाम हो चुका है और जनता को इसपर इतना अविश्वास हो चुका है कि इसको ज्यादा अर्से तक कायम रखना या जिन्दा रखना मुनासिब नहीं है । आज किसी भी जिले में चला जाय और वहां के रहने वालों से पूछा जाय कि उनके क्या ख्यालात इन आनरेरी मजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में हैं । आज हर आदमी यह समझता है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट्स जनता को न्याय देता है । बात तो अच्छी मालूम देती है कि जनता में से ही कुछ ऐसे लोग चुनें जायं जिनको ऐसे अधिकार दिये जायं, उन्हें मैजिस्टीरियल पावर्स दी जायं कि वे जनता के प्रति न्याय कर सकें, लेकिन वे आदमी आमतौर से कैसे होते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम २ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि किस किस्म के हमारे आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स हैं। क्या वह इस लायक हैं कि उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया जाय? प्रदेश के किसी भी जिले में ले लीजिये। शायद चन्द ही ऐसे आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स होंगे जो इस पद के योग्य हों, जो ईमानदार कहे जा सकते हों और काबिल हों वरना अगर आप सब पर नजर डालकर देखें तो यह महसूस करेंगे कि उन्होंने अपने सुपुर्द फरायज को अच्छी तरीके से पूरा नहीं किया है। वे इस हद तक नीचे गिर हुये हैं जिसको बतलाते हुये शर्म महसूस होती है। मेरे जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेस के मुताल्लिक लोग एक शुबहा रखते हैं। वह शुबहा उनका बिलकुल सही है कि वह रिश्वतें लेते हैं, दोनों पार्टीज से लेते हैं और जिसका मुकदमा कामयाब हो जाता है उसको रिश्वत रख लेते हैं और दूसरे की लौटा देते हैं। कुछ ऐसे मैजिस्ट्रेट्स बन गये हैं जिन्होंने मैजिस्ट्रेट बनते वक्त हजारों रुपये खर्च किया है। किस तरह से खर्च किया है यह बताते हुये मैं हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूं क्योंकि वह बड़े शर्म और अफसोस की बात है। कई मैजिट्रेट ऐसे हैं जिन्होंने जेनरल एलेक्शन के अन्दर एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में काम किया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या वह जनता को न्याय दे सकते हैं। हरगिज नहीं। इनके जो कार्य हैं वह न्याय के लिये कलंक है, अफसोसनाक और शर्मनाक हैं। जिले बुलन्दशहर से ही केवल यह बात ताल्लुक नहीं रखती, प्रदेश के किसी कोने मे जाइये, आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के मुताल्लिक आप यही महसूस करेंगे।

जहां तक उनकी काबलियत की बात है, वे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। कानून की बारीकियों को समझ नहीं सकते। क्या वह इंसाफ कर सकते हैं? आज वही परम्परा, जो अंग्रेजों के जमाने में थी, चली आ रही है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स उन्हीं लोगों को बनाया जाय जो सरकार के पक्ष में बहुत ज्यादा हों, चाहे वे बिलकुल कुछ न जानते हों और चाहे उनमें कोई भी काबिलियत न हो। तो मैं समझता हूं कि यह तरीका बिलकुल उचित नहीं है।

लिहाजा इस बात को मानते हुये भी और विश्वास रखते हुये भी कि जनता को ऐसे अधिकार मिलने चाहिये और हर तरह के अधिकार जनता को प्राप्त होना चाहिये यह जो इन्स्टीट्यूशन है वह इतना बदनाम हो चुका है और इसके साथ-साथ ऐसी परम्परायें इससे बा-विस्ता हो गयी हैं जिनके होते हुये यह बिलकुल ठीक नहीं मालूम होता कि इसे ज्यादा अरसे तक कायम रखा जाय। लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार शायद ऐसा करने में हिचकिचायेगी। असलियत यह है कि उन ही लोगों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है जो कांग्रेस पार्टी के बड़े जबरदस्त समर्थक हों, जिनका कुछ जनता पर प्रभाव हो, चाहे वे कैसे ही चाल-चलन के आदमी हों। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के इशारों पर मुख्तलिफ कामों में रुपया खर्च कर सकते हैं उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है। गर्जे कि उन लोगों से कभी न्याय नहीं हो सकता। वे कानून के नाम पर अलिफ और बे नहीं जानते लेकिन न्याय करने के लिये उनको बैठा दिये जाते हैं। अगर इस इन्स्टीट्यूशन को कायम रखना है तो इसके लिये ऐसा कोई उपाय सोचना होगा जिससे इसमें रिफार्म हो सके, वर्ना जो स्थिति इस वक्त इस इन्स्टीट्यूशन की है वह बहुत ही मायूसी पैदा करने वाली है।

जिसको सरकार आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये वह कम से कम ला ग्रेजुएट जरूर होना चाहिये ताकि उसे कानून के हर नुक्ते से वाकफियत हो। ऐसे लोग हों जो जनता के अन्दर माने हुये लोग हों, उनकी दयानतदारी और ईमानदारी पर कोई शख्स शुबहा न कर सके। ऐसे लोग होने चाहियें जिनकी समाज में एक हैसियत हो। तभी इसमें रिफार्म हो सकता है वर्ना जो बुरी हालत इस वक्त है वह बरकरार रहेगी। किसी ऐसे को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया जाय जो कुछ नहीं जानता तो किसी तरह से वह न्याय नहीं कर सकेगा।

एक चीज और है। ऐसे व्यक्तियों को जो राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हों उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाना जनता के हित में उचित नहीं है। जितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स आप

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

देखेंगे इनडायरेक्ट तरीके से वे किसी न किसी पोलिटिक्ल पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं। और खसूसन कांग्रेस पार्टी के प्यारे व्यक्ति होते हैं और इसी वजह से उनकी हर बात को बाला रखने के लिये यह अख्तियार दिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से यह परम्परा चली आती है। वे ऐसे व्यक्तियों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया करते थे जो उनके आदमी होते थे। वह जनता के आदमी नहीं होते थे और चाहे वह जनता पर कितना ही जुल्म क्यों न करते। बिल्कुल उसी रिवाज के मुताबिक आज की सरकार भी आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर रही है और ऐसे लोगों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाती है जो कांग्रेस से बहुत घना सम्बन्ध रखते हैं और अपनी वफादारी का सबूत एलेक्शन आदि में दे चुके हों। मेरे जिले में एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं जिनके मुताल्लिक वहां के डी० एम० ने यह रिपोर्ट लिखी कि ये जनरल एलेक्शन में एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से काम कर चुके हैं। ऐसे लोगों को किस तरह से आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाना गवारा किया जा सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं—मेरे जिले में हैं—जिनके बारे में डी०एम० की रिपोर्ट्स होती है कि ये रिश्वत लेते हैं लेकिन सरकार बराबर उनको एक्सटेंशन देती रहती है। यह न्याय का गला घोटना है। मैं समझता हूं कि यू० पी० के हर जिले में ऐसी मिसालें मिलेंगी। यों जितने माननीय सदस्य इस पर बोले हैं सब ने यही कहा है—कांग्रेस के सदस्य भी उन्हीं में शामिल हैं—कि इस इन्स्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहिये। आप इस बात को छोड़िये कि सिद्धांत क्या है, जनता को वाकई ऐसे अधिकार मिलने चाहिये, यह बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इस इन्स्टीट्यूशन की परम्पराओं को देख कर, इसकी बुराइयों को देख कर जहां तक हो सके इस इन्स्टीट्यूशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाय ताकि जनता का हित हो।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर शीघ्र विचार करने के लिए प्रार्थना

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, शुगर केन परचेज टैक्स बिल जो कि सेलेक्ट कमेटी में गया था और वहां से वापस आ गया है, मैं यह चाहता हूं कि परसों के बदले उसको कल ले लें, चार बजे तक वह पूरा हो जाय और कल जो नान-आफिसल डे है उसकी जगह भविष्य में हम कोई एक रोज दे देंगे। मैंने सब नेताओं से बात कर ली है और वे सहमत हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) —

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

तब यह मंजूर हुआ कि कल आफिशल डे हो जायगा और फिर जब बैठक होगी तो एक दिन नानआफिशल दे देंगे।

प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प— (क्रमागत)

*श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज यह प्रस्ताव है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट की प्रथा को अपने प्रान्त से समाप्त कर दें। यह उनका प्रस्ताव जरा इन आर्डर सा नहीं दीखता। इसका एक कारण है। उनके प्रस्ताव के उद्देश्य से तो मैं किसी हद तक सहमत हूं लेकिन एक दूसरा कारण है और वह यह कि हमारे संविधान में यह प्राविधान है कि समस्त भारतवर्ष में हम जुडिशियरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करेंगे और हर स्टेट के लिये हिदायत है कि शीघ्र से शीघ्र इस प्राविधान को लागू किया जाय। जब हमारे संविधान में यह प्राविधान है तब इसका अर्थ यही हो जाता है कि इस तरह की प्रथा चाहे किसी स्टेट में क्यों न हो वह आटोमेटिकली समाप्त हो जायेगी। तो इस सदन का जो मत होगा उसकी उपनी ही इज्जत होगी जितनी कि संविधान की है बल्कि संविधान की इज्जत ज्यादा है। तो हर स्टेट ड्यूटी-बाउन्ड है संविधान के द्वारा कि इन प्रथाओं को जल्द से जल्द अपनी स्टेट से समाप्त करे। हां, अगर इस प्रस्ताव में अवधि होती, टाइम होता या होता कि इस महीने में ही इस प्रथा को खत्म किया जाय तब तो यह इन आर्डर हो जाता। लेकिन जो संविधान के अन्दर चीज मौजूद है उसे बिल्कुल हूबहू रिपीट कर दिया जाय तो इसे ठीक नहीं कह सकते हैं। एक बात और देखनी है। यह सही है कि इस प्रथा को जल्द से जल्द खत्म किया जाय और जितने इसके लिये आर्गूमेंट्स दिये गये हैं वे बहुत हद तक सही हैं, चाहे वे कांग्रेस पार्टी से आये हों, चाहे अपोजीशन की तरफ से आये हों। इस प्रथा में बहुत कमियां पाई गई हैं। यह सही है कि इस प्रथा को कायम करने के गवर्नमेंट के तीन उद्देश्य हैं। अगर्चे मैं सरकार का स्पोक्समेन नहीं हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि एक तो उद्देश्य यह है कि बचत होगी। जितने शिकायत के केसेज आते हैं वे सब आनरेरी मजिस्ट्रेट के कोर्ट स में आते हैं और काग्नीजेबिल आफेंसेज जो होते हैं वे सब जुडीशियल कोर्ट में आते हैं। दोनों की तादाद बराबर होती है। इसलियें रुपये की बचत होती है। अगर यह प्रथा समाप्त कर दी जायगी तो जो रुपया ज्यादा खर्च होगा वह टैक्स के जरिये से ही आयेगा और जनता पर ही पड़ेगा। इसलिये सरकार का यह खयाल हो सकता है कि आज कल इमर्जेन्सी का जमाना है, इसमें रुपये का प्रश्न है और हमें भी तकलीफ होती है जब टैक्स जनता पर लगाया जाता है, इसको सरकार न हटाये।

इसका दूसरा कारण यह है कि हमारे देश में और प्रदेश में बहुत से टेलेन्ट्स पड़े हुये हैं। अगर उनका इस्तेमाल हो जाय तो कोई बुराई नहीं है। यह सही है कि पढ़े लिखे आदमी नहीं लिये जाते हैं तो यह चीज गलत होगी। लेकिन अगर ऐसे आदमी जो कानून जानते हैं और काम कर सकते हैं अगर उनका इस्तेमाल हो जाय तो कोई बुरी बात नहीं है। यह सरकार का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य यह है कि एक धार्मिक प्रवृति होती है उन लोगों की जो देश में धर्म का पालन करते हैं। इसलिये सरकार चाहती है कि अगर न्याय में भी धार्मिक प्रवृत्ति को रखा जा सके तो कोई बुराई नहीं है। इन उद्देश्यों से सरकार इसको कायम रखे हुये है। लेकिन सरकार की यह नीति नहीं हो सकती है कि इसको परमानेंटली रखा जाय। सरकार भी चाहती है कि इसको शीघ्र से शीघ्र खत्म किया जाय। इसलिये हमारा और आपका यह फर्ज है कि हम सरकार को ऐसे सुझाव दें कि जब तक इसको खत्म न किया जाय तब तक के लिये इसमें क्या संशोधन हो सकते हैं।

मैं समझता हूं कि लोग इस प्रथा को तो पसन्द करते हैं लेकिन जो इसका तरीका है वह गलत है, जो आज कल मजिस्ट्रेट होते हैं वह गलत होते हैं। कई सबस्यों ने सुधार की बात कही है। इसके अर्थ हुये कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट तो रखना चाहते हैं लेकिन प्रथा में सुधार चाहते हैं। गवर्नमेंट कह सकती है कि अगर इसको खत्म कर दें तो फाइनेंशियल क्राइसिस में काम कैसे चलेगा। मेरा सजेशन यह है कि हमारे यहां काफी वकील हैं और बहुतों पर कुछ काम नहीं है। जवान लोग आते हैं खाली बैठे रहते हैं, ऐसे नौजवान हैं जो एल० एल० बी० पास हैं लेकिन काम कुछ नहीं है। मेरा सजेशन यह है कि जैसा पहले जूरी सिस्टम था उसको रिवाइव न करें बल्कि एक लिस्ट होनी चाहिये बड़े-बड़े तथा छोटे वकीलों की और एल०एल०बी० पास लोगों की, उसमें जूरी सिस्टम निकालते थे, जो टैलेंटेड परसन्स हों, एल-एल० बी० हों, उनका पैनल बना लें। उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों मिल कर फाइनलाइज करें। और कोई पालिटिकल पार्टी का आदमी न हो। सिर्फ दो ही आदमी उसको फाइनालाइज करें। सौ, दो सौ, चार सौ आदमियों का पैनल बना लें और तादाद के मुताबिक जिले में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाय। उसके बाद जब कोई कम्प्लेन्ट केस आये तो वह जुडीशल मैजिस्ट्रेट के यहां दायर होना चाहिये। जिस वक्त वह दायर हो तो मेरा यह सजेशन है, चाहे वह क्रान्तिकारी सजेशन लगे, वह मुलजिमों को

[श्री नौरंगलाल]

समन करे। जिस वक्त मुलजिम आये तो जुडीशल मैंजिस्ट्रेट उससे पूछे कि तुम गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं। अगर वह गिल्टी प्लीड करता है तो उसको वहीं सजा हो जानी चाहिये। अगर वह ट्रायल चाहता है तो उस मैंजिस्ट्रेट को चाहिये कि जो पैनेल मौजूद है तरतीब से एक के बाद दूसरे को केस को पहुंचा दे। दोनों पार्टीज वहां पर मौजूद हैं। फर्ज कर लीजिये कि जो पैनेल का आदमी है वह एक पार्टी की जान पहचान का है। तो दूसरी पार्टी को ओपेन होना चाहिये कि वह कह सके कि इसको केस न दिया जाय। उसके बाद दूसरे तीसरे नम्बर पर जो आदमी है उसका नाम ले, कोई न कोई ऐग्रीड नाम जरूर आ जायगा। उस आदमी को वह केस दे देगा। इस तरह से कागनिजेबिल केसेज को भी मैंजिस्ट्रेट पैनेल को दे सकता है। इससे एक तो जो हमारा टाइम बरबाद होता है और रेकमेंडेशन पड़ती है वह बन्द हो जायेंगी। दूसरा फायदा यह होगा कि जो कन्ट्री में टैलेंट है उसको काम मिल जायगा। यही नहीं, बड़े-बड़े वकील तैयार हो जायेंगे। मेरा खयाल है कि वह यह नहीं कहेंगे कि हम वकालत ही करेंगे इस काम को नहीं करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस काम के लिये आप को सीनियर वकील भी मिल जायेंगे। इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि आप यह बात सरकार तक पहुंचा दें कि इस तरह के पैनेल सिस्टम को बनायें।

उनको टी० ए०, डी० ए० जो आप उचित समझें वह दें। वह आपकी पर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पैनेल सिस्टम कई देशों में वर्क कर रहा है। रूस में इस तरह का पैनेल मौजूद है। एक वकील वकालत भी करता है और वह उस पैनेल में भी काम करता है। अगर इस तरह की प्रथा हम अपने देश में कायम कर सकें तो हम इन आनरेरी मैंजिस्ट्रेट्स को निकाल सकते हैं और उस बीच के गैप को पूरा कर सकते हैं जो जब तक सेपेरेशन आफ जुडीशियरी और एग्जिकिक्वटिव हो जाय तब तक है। जिस वक्त सेपेरेशन आफ जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव हो जाय उस वक्त भी हम इस सिस्टम को चला सकते हैं। उस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मैंजिस्ट्रेट्स को निकाल दें। डिस्ट्रिक्ट जज अकेला पैनेल बनायेगा। जब डिस्ट्रिक्ट जज पैनेल बनायेगा तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह सेपेरेशन आफ जुडीशियरी एन्ड एग्जिक्यूटिव के प्रिंसिपल के खिलाफ है अगर जज उस चीज को बनाता है। इस तरह आनरेरी मैंजिस्ट्रेट की जगह आनरेरी पैनेल आपको मिल जायगा और आपके सिर से यह बला भी टल जायगी, जो कि आज इतनी सारी शिकायतें की जाती हैं, वह भी आपको नहीं सुननी पड़ेंगी। इससे थोड़ा सुधार जरूर हो जायगा। आनरेरी मेजिस्ट्रेट्स के सम्बन्ध में जो तमाम बातें कही गई हैं और जो सदन के सामने प्रस्तुत की गई हैं, एक दफा फिर मैं उस चीज को कहना चाहता हूं कि आनरेरी मेजिस्ट्रेट्स के बारे में यह कहना ठीक नहीं है कि सभी हमारे देश में बेईमान हैं। इसका मतलब तो यह है कि यह एक शीशा है और हम अपने चेहरे को ही बेईमान कहते हैं। अगर हमारे देश के अन्दर टेलेंटेड परसन्स जितने हैं सब बेईमान हैं तो फिर यह एक सोचने की बात हो जायगी कि फिर हमारे कौन से मुहकमें के लोग ईमानदार हैं। यह तो बिल्कुल सही है कि एब्री कन्ट्री गेट्स दि गवर्नमेंट दैट इट डिजर्ब्स। जैसे हम हैं, वैसा ही हमारी गवर्नमेंट होगी, वैसी ही हमारी जुडिशियरी होगी और वैसी ही हमारी एग्जीक्यूटिव होगी। तो यह कोई हमारा ही देश ऐसा नहीं है; और भी देशों में ऐसा हुआ है। हमको शान्ति के साथ में इस समस्या को लेना होगा और इन सारी बातों के जानते हुए भी शान्ति के साथ भगवान को साक्षी देते हुए इसका हल निकालना होगा। तभी हमारा देश ऊपर उठ सकता है। व्यर्थ में हाय हाय करने से और सबको बेईमान कह कह कर पुकारने से यह चीज नहीं मिटेगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार मेरे सजेशन को माने। उससे तकलीफ थोड़ी सी जरूर होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे एक अच्छी व्यवस्था प्रदेश में कायम होगी।

*श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) —

उपाध्यक्ष महोदय, आनरेरी मैंजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में तो मैं यह कहता हूं कि यह समाज के बिगड़े हुये लोगों का एक गिरोह बनाकर डाका डालना, कत्ल कराना और तमाम सरकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मशीनरी पर पूरा-पूरा प्रभाव डालना है। मैं इसका सबूत देता हूं। मेरे जिले इलाहबाद में मेरे ही गांव के निवासी, एक राय बहादुर अंग्रेजों के जमाने में आनरेरी मैजिस्ट्रेट थे। उनके द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को सन् १९२८–२९ में सैकड़ों की तादाद में जो इकट्ठा हुये थे ग्राम सफाई के लिये, उनकी चमड़ियां खिंचवाई गई थीं, बांस की हरी-हरी कैनी कटवाकर, और टोपियां और झंडे जलाये गये थे, सैकड़ों की तादाद में। उनकी मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र जी जो थे जो ६–७ या ८ तक ही पढ़े हुये हैं, कोई योग्यता जिनकी नहीं है, उनको जिला बांदा मानिकपुर में रेलवे का आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया गया। उनका रवैया यह रहा कि ९०–९५ हजार रुपया पब्लिक से जिनका केस आता था उनसे उन्होंने लिया। इसकी शिकायत लिखित रूप में जिलाधीश बांदा ने सरकार के यहां की जो कि अब भी रेकार्ड में मौजूद है। जब उनको यह मालूम हुआ कि हमारी शिकायत सरकार तक पहुंच गई है और हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और घर बैठ गये। इधर जिलाधीश महोदय इलाहाबाद के जो थे उनको और दूसरे जितने अधिकारी थे उनको रोजाना दावत देना शुरू किया और अन्त में एक भैसों की नुमायश लगायी गई। उस समय के मौजूदा जिलाधीश जो आज सेक्रेटेरियट में मौजूद हैं वह नुमाइश देखने गये थे और मनपसन्द भैंस लेने गये थे। मगर यह सौभाग्य की बात है कि उनको सुबुद्धि भगवान् ने दी। उन्होंने भैंस तो नहीं ली लेकिन यह सेक्रेटेरियट में पहुंचने के बाद तुरन्त इनकी सिफारिश कर दी और यहां से आर्डर भिजवा दिया कि ये बहुत काबिल हैं, इनको आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाना चाहिये। वह तहसील हेडक्वार्टर, मैझनपुर के आनरेरी मजिस्ट्रेट बनकर बैठ गये। सारे कागजात वह देखने लगे। आसपास और कुरबेजवार की जनता की जमीन उन्होंने अपने नौकरों के नाम लिख दी जो १० रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं पाते थे। वह १० रुपये से ज्यादा किसी को तनख्वाह नहीं देते हैं तब भी उनके यहां २५ नौकर हैं। वे सब चोर, गुंडे और बदमाश आदमी हैं। उनके नाम गरीब लोगों की जमीन लिख दी गई। यह रिकार्ड आज भी मौजूद है जो देखा जा सकता। न मालूम कितने लोगों ने उनकी शिकायत की लेकिन कोई शिकायत भी उनकी सुनी नहीं गई और न कोई जांच ही हो सकी।

वह मजिस्ट्रेट तहसील हेड-क्वार्टर पर बन कर बैठ गये। तमाम जनता में जब यह खबर फैली और जब मैं वहाँ सन् १९६२ में चुनकर आया तो जनता ने मुझसे यह शिकायत की कि हमको इस रोग से बचाइये। मैंने उनको सलाह दी कि मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूं कि जब आप लोग संगठितरूप से खड़े हों। उन्होंने लिखकर शिकायत की और इसके बाद भी जिलाधिकारियों से उन्होंने शिकायत की थी लेकिन कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा था। जब मैं यहां चुनकर आया तो फिर लिखित दरख्वास्त दी गई और यहां पर बात चलने लगी। जब उनको यह मालूम हुआ तो उन्होंने ३०० आदमियों के खिलाफ १०७ और ११७ के मुकदमें दायर करके फंसा दिये। ५० मील दूरी के गरीब आदमी, जो जैसे तैसे अपना पेट पालते थे, चलकर आते थे। ऐसे गरीब आदमियों को उन्होंने मुकदमें में फंसाया जो बेचारे ५० मील दूर से नाव में बैठकर आते थे और पैदल चलकर कचहरी में आते थे, जिसके खिलाफ मैंने यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी और न्याय मन्त्री जी को लिखकर दिया था और दूसरे महोदयों को भी लिखकर दिया था कि इस संकट से बचाइये, लेकिन न्याय मंत्री जी का जवाब मिला जिसमें यह लिखा था कि आगे उनकी मियाद को नहीं बढ़ाया जायगा। भविष्य के लिये तो समय ही बतलायेगा कि वह मेरी बात मानेंगे या बहुगुणा जी की बात मानेंगे। यह स्थिति वहां पर आ गई कि ३०० आदमियों को दो साल तक परेशानी उठानी पड़ी और कम से कम १० हजार रुपया उन गांव के लोगों का बह गया। हमने जिलाधिकारियों से और प्रान्तीय सरकार से यह मांग की कि आप कोई मजिस्ट्रेट नियत कर दें जो गांव में जाकर २–४ रोज रहे और स्थिति का अध्ययन करें और सही निर्णय दे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि उन आनरेरी मजिस्ट्रेट के कारनामों की जांच कर ली जाय और देख लिया जाय कि हम गलत कहते हैं या सही कहते हैं। वह न मालूम कितने तरह से नाजायज फायदे उठाते हैं। उन मजिस्ट्रेट को न कोई योग्यता है और न उनको कुछ ज्ञान है। मैंने यहां पर जब उनके सम्बन्ध में सवाल

[श्री नाथूराम शिक्षक]

किये कि उनके कारनामों को सदन के सामने रखा जाय तो सरकार की ओर से मुझे यह जबाब दिया गया कि जनता के हित में वह सब बातें सदन की मेज पर रखने के लायक नहीं है। अगर उनके कारनामे जनता के सामने नहीं रखना है तो उनको हकूमत में रखने का सरकार को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। ३०० आदमियों के खिलाफ मुकदमा उन्होंने चलाया ही था लेकिन मेरे खिलाफ भी २७ सितम्बर, १९६२ को एक झूठा मुकदमा दायर करा दिया और लिखा दिया कि यह डकैती में शामिल थे। जब रुपये में ४ आना बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं इस सदन से निकाल दिया गया था तब वह मुकदमा मेरे खिलाफ चलवाया था जिसमें यह कहा गया कि २७ सितम्बर, १९६२ को यह डकैती में सम्मिलित हुये थे। मेरे पास इस सदन का नोटिस मौजूद था जिसकी वजह से मैं बच गया था।

तीन, चार और जो वहां आनरेरी मजिस्ट्रेट्स की बेंचेज थीं उन पर उन्होंने इतना असर डाला कि वे तीन सौ आदमी रोज आते थे और चले जाते थे और मैजिस्ट्रेट साहबान अदालत ही नहीं जाते थे। वे बेचारे परेशान थे। अन्त में जब वे आनरेरी मैजिस्ट्रेट आ गये तो उन्होंने अपना मुकदमा उठा लिया और वह अब भी मैजिस्ट्रेट बने हुए बैठे हैं। शहर से ५० मील दूर उनका मकान है। सारे कुर्बोजवार की सरकारी जमीन उन्होंने बेंच खायी है और अपने आदमियों के नाम उसे कर के रुपया अपनी जेब में रख लिया है। तहसील मंझनपुर के तहसीलदार और परगना हाकिम से हम सूचियां मांगते हैं कि जमींदारी टूटने के बाद कौन-कौन सी सरकारी जायदादें हैं, उनकी लिस्ट दो, तो वह लिस्ट भी हमको नहीं मिलती उनके प्रभाव के कारण। जिलाधीश महोदय से हमने शिकायत की कि वे गलत मुकदमें दायर कर के लोगों को परेशान करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि मुकदमा दायर करने की किसी को मनाही नहीं है, उसमें तो जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। हमारी तो उसमें ही दुर्गति हो जाती है और वे रुपया होने के बल पर उसकी अपील वगैरह करके हमें परेशान कर डालते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी आक्षेप है कि ये मैजिस्ट्रेट ज्यादातर सवर्ण होते हैं और उनका होना हरिजनों के लिये बड़ी परेशानी का कारण, पाप होता है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इनको तुरन्त हटा दिया जाय। उनके कारनामों की लिस्ट सरकार में मौजूद है और इसलिये मैं मांग करता हूं कि दिसम्बर के बाद उनका कार्यकाल न बढ़ाया जाय। इसके साथ ही अन्त में इस प्रथा को समाप्त करने के लिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा बरेली जिले में भी हमारी सरकार के एक बड़े नेता के एक रिश्तेदार आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं और वे लाखों रुपया काट रहे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। इसलिये इस अनैतिक कार्य करने वालों की संस्था को समाप्त किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं सूचना के लिये बतला दूं कि सरकारी पक्ष के अनेक लोगों के रिश्तेदार आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

इसलिये इस तरह से गलत काम करने और कराने वालों की संस्था को समाप्त करने में आप हमारी मदद करें, यह हमारी विनती है।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के इंस्टीटचूशन के बारे में यहां विवाद कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाय तो इनकी काफी शिकायतें हैं और जो बातें उनके बारे में अंग्रेजों के जमाने में सुनी जाती थीं वह आज भी सुनी जाती हैं। यह भी एक समस्या है कि मुकदमें आज कल बहुत बढ़ गये हैं। कहा जाता है कि लगभग डेढ़ लाख मुकदमे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा फैसल किये जाते हैं। यदि यह संस्था समाप्त कर दी जाय तो इन मुकदमों के फैसले के लिये अलग हाकिम रखने होंगे और यह एक समस्या है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के चुनाव की डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी हुई है उसमें भी सुधार की जरूरत है। वह यह है कि जो कम से कम ला-ग्रेजुएट्स हैं वह डिस्ट्रिक्ट कमेटी में रखे जायं और जिले के अन्दर ला-ग्रेजुएट्स जिनका चरित्र अच्छा हो, ईमानदार हों और जिनकी ईमानदारी के बारे में प्रसिद्धि हो उनको उस कमेटी के जरिये से चुना जाय। आज होता यह है कि जो सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है वह बिला लिहाज किये हुए कि क्या क्वालिफिकेशन है, अगर उसके पास सिफारिश आ गयी तो लोग उसको चुन लेते हैं। नतीजा यह होता है कि वह आदमी जिसका चरित्र नहीं है या काबिल नहीं है। जब आनरेरी मैजिस्ट्रेट हो जाता है तो तरह-तरह की गड़बड़ियां करता है। यह बात सही नहीं है कि हर जिले के अन्दर कांग्रेस के आदमी ही या उनके रिश्तेदार ही आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके कि न कोई रिश्तेदार कांग्रेस में हैं और न उनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक है। कहा जाता है कि जस्टिस जो है वह देखने में भी ऐसा मालूम हो कि वह जस्टिस होता है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट उसी को चुनना चाहिए जिसका सम्बन्ध किसी भी राजनीतिक संस्था से न हो ताकि वह अपनी एक न्याय दृष्टि रख कर स्वतंत्रता के साथ और ईमानदारी के साथ मुकदमों का फैसला कर सके।

आप देखेंगे कि अदालती पंचायतों को भी न्याय करने का काम दिया गया है। बहुत से उनके द्वारा भी फौजदारी के मुकदमात फैसल होते हैं। अब जिस ढंग से होते हैं वह हमको और आपको सबको ज्ञात है। उसके बारे में काफी सुधार करना होगा वरना ग्रामीण जनता को जो अदालती पंचायतों से तकलीफ होती है वह भलीभांति आप सब भाइयों को विदित है। सरकार यह भी कहती है कि डेढ़ लाख मुकदमों को फैसल करने के लिए जब लोगों को रखा जायगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ-साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जब आप ऐसे आदमी को मुकर्रर करते हैं जो रिश्वत लेने लग जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता के कितने पैसे का अपव्यय होता है, और न्याय का हनन होता है। इसलिये अब इस युग में जब कि देखा जा रहा है कि यह आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की संख्या सफल नहीं हुई है तो या तो इसका बहुत काम्प्रिहेंसिव ढंग से सुधार किया जाय, इसको समाज का एक अच्छा अंग बनाया जाय और उसमें अच्छे-अच्छे लोग रखे जायं वरना इसको समाप्त कर देना ही देश और समाज के लिए हितकर होगा। मैं इन शब्दों के साथ चाहूंगा कि जो सिलेक्शन होता है उसमें ऐसे-ऐसे नियम बनाये जायं ताकि अच्छे व्यक्ति उसमें आ सकें।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। आपने ऐसे अवसर पर मुझे समय दिया जबकि मैं कई बार प्रयत्न कर चुका था कि आज मुझे अवसर मिलना चाहिए। इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

श्रीमन् जहां तक मैं समझता हूं इस सदन में दो रायें नहीं हैं कि इन पदों को समाप्त किया जाय। विपक्ष के नेता ने यह प्रस्ताव रखा है कि प्रदेश में अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी जाय। माननीय बालोजी अग्रवाल का यह उसमें संशोधन है कि अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बाद "की" शब्द निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "राजनैतिक उद्देश्यों को दृष्टि में रख कर की जाती है अतः यह" जोड़ दिया जाय। तो मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि आनरेरी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राजनैतिक सफलता प्राप्त करने के लिये की जाती है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह प्रथा हमेशा के लिये समाप्त कर दी जाय। मैं सदन की जानकारी के लिये यह कहना उचित समझता हूं कि ब्रिटिश शासन काल में जब हमारे यहां स्टेट्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारीलाल विप्र]

थीं उस समय जनता पर शोषण करने के लिये राय बहादुरी और खान बहादुरी आदि के खिताब दिये जाते थे; और उसी जमाने से आनरेरी मजिस्ट्रेटों की यह प्रथा चली आ रही है ताकि जनता का शोषण होता रहे। किन्तु १६ वर्षों के बाद, जब हमारे यहां डेमोक्रेटिक शोषण हुआ तो विरोधी पक्ष की ओर से यह प्रस्ताव किया गया कि इस प्रथा को समाप्त करना चाहिये। इसका हमने इसलिये भी विरोध किया कि हमने देखा कि कांग्रेस में जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, उन्हें यह पद सौंप दिया जाता है। श्रीमन्, मेरी जानकारी जो है उसके आधार पर मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सही है कि जो रिटायर्ड कांग्रेसी होते हैं उनको ही इन पदों पर नामजद कर दिया जाता है।

श्रीमन्, डेमोक्रेसी में जुडिशियरी शुद्ध रहनी चाहिये और उसमें सुरक्षा की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से तथा हर दृष्टि से नियमों का पालन होना चाहिये और जनता को न्याय सस्ते से सस्ता मिलना चाहिये। इसीलिये कानून की रक्षा के लिये कानून के पंडितों ने इसे अपने हाथ में ले लिया। ऐसे लोगों के हाथों में न्याय दे देने से न्याय की हत्या हो सकती है। यह कहा गया कि कुछ आनरेरी मजिस्ट्रेट दर्जा ६ तक पढ़े हुये हैं। मैं समझता हूं कि यह कानून की तौहीन नहीं है तो और क्या है? एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको ला-ग्रेजेएट होना चाहिये। इससे मैं समझता हूं कि कानून का सम्मान तो हो ही सकता है और इस दृष्टि से तो उनको ला-ग्रेजुएट होना भी चाहिये। किन्तु यही काफी नहीं है। उनको ईमानदार और देशभक्त भी होना जरूरी है। अगर वह न्याय के काम को अपने हाथों में लेता है तो एक जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लेता है और समझता है कि न्याय का काम उसको करना है।

जिस धारा के अन्तर्गत आनरेरी मैजिस्ट्रेट के सामने मामला आता है उसे पूर्ण रूप से वह समझते ही नहीं हैं। अगर कहीं जिला मैजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार को अवगत कराया कि फलां मैजिस्ट्रेट का चाल-चलन खराब है, वह रिश्वत लेता है, तो भी कांग्रेस के नेताओं की सिफारिशों पर आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को एक्सटेंशन बराबर मिलता रहता है। इसलिये इनका चयन, अगर ये रहते हैं, तो इस प्रकार होना चाहिये कि इनके ऊपर छींटाकशी की गुंजाइश ही न रहे। आज कल होता यह है कि कांग्रेस के जिलास्तर के लोगों के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। वे लोग राज्य के मंत्रियों से कह कर जिला मैजिस्ट्रेटों की नहीं चलने देते हैं। मेरे यहां एक बाबू शिवगणेश जी आनरेरी मैजिस्ट्रेट थे जो एम०ए०, एल-एल० बी थे और उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया लेकिन एक दसवें पास को दे दिया गया, योग्यता कोई आधार नहीं रहा। इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के यहां खुल्लमखुल्ला रिश्वतखोरी का बाजार रहता है। वादी और प्रतिवादी दोनों से वहां के पेशकार और दलाल सौदा करते हैं। इसलिये इस संस्था को या तो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये या ऐसी युक्ति निकालनी चाहिये कि जिससे यह संस्था ठीक प्रकार काम करे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

इस पर बहुत लम्बी बहस हो चुकी है। अब १ या २ तकरीरें और कराके यह खत्म होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

बगैर किसी क्लोजर मोशन के मैं क्या करूं?

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं इसको मानता हूं कि इस प्रथा की जड़ में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और यह सही बात है कि अंग्रेजी जमाने में वही लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये जाते थे जो अंग्रेजों के उद्देश्य की पूर्ति करते थे और अमन सभाओं के काम में लगे रहते थे। मैंने भी फौजदारी की अदालतों

में ३४, ३५ सालों तक काम किया है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि एक भी आनरेरी मैजिस्ट्रेट हजार में ऐसा नहीं होता था जो रिश्वत न लेता रहा हो। शायद ही एकाध ऐसा निकले जो रिश्वत न लेता हो किन्तु मेरा तो अनुमान है कि हजार में ९९९ रिश्वत लेते हैं। इस प्रथा को कायम रखना सर्वथा अनुचित है। यदि आप इसे कायम रखते हैं तो इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। दोनों ओर के कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को ही यह स्थान देना चाहिये जो ला ग्रेजुएट्स हों। यह ठीक है। लेकिन बहुत से आनरेरी मैजिस्ट्रेट तो ऐसे हैं जो कानून को समझते ही नहीं, न वे यही जानते हैं कि कैसे फैसला होना चाहिये, क्रिमिनल- प्रोसीज्योर कोड में क्या लिखा है। शायद मंत्री जी को तो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के इजलास में जाने का अवसर ही नहीं हुआ होगा लेकिन जिन्हें इसका अनुभव है वे यही कहेंगे, उनके सामने यही होता है कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराये। सन् ५२ से प्रैक्टिस करना मैंने छोड़ दिया है। अधिकतर वकीलों को ग्लानि होती रही है कि किसके सामने हम आ गये। लेकिन मजबूरन पैसे के लिये ही बेचारे ला-ग्रेजुएट्स इनके सामने जाते रहे हैं।

आजमगढ़ में, जब मैं पहले विधान सभा का सदस्य हुआ था, तब से विरोध करके वहां आनरेरी मैजिस्ट्रेट आज तक नहीं बनने दिया। हमने कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा और बेईमानों को प्रोत्साहित करना होगा कि लोग और ज्यादा बेईमानी करें। इस प्रथा को बन्द कर देना आवश्यक है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी,...

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद।

*श्री लखीसिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि बहुत जमाने के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का या संकल्प का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। अब ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं रही क्योंकि अभी आखिर में जिन माननीय सदस्य का भाषण हुआ उस भाषण ने मुझे बहुत ठंडा कर दिया। लेकिन दो-चार बातें मैं इसके प्रति जरूर कहूंगा। यह कांग्रेस का कसूर नहीं है इन मजिस्ट्रेटों को बनाने में। यह मजिस्ट्रेट अंग्रेजों की देन हैं। अंग्रेज चले गये लेकिन अपनी कुछ निशानी छोड़ गये। अब हमारी यह सरकार उस अंग्रेजों की देन की नकल करना चाहती है, उसको बदस्तूर रखना चाहती है। दो-एक माननीय सदस्यों को छोड़कर शेष सब लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चाहे वोट के समय वे हमारे साथ हाथ न उठायें क्योंकि उनके ऊपर डंडा जो है। अगर डंडे का डर न होता तो माननीय न्याय मंत्री जी भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। वे भी हमारी तरफ वोट देते और कहते कि यह प्रथा कायम न रखी जाय। मैं इनको आनरेरी मजिस्ट्रेट कहना चाहता हूं और न अवैतनिक मजिस्ट्रेट ही कहना चाहता हूं, अगर माननीय सदस्य मेरी बात पर मुहर लगा दें तो मैं उनको एक तीसरा ही नाम देना चाहता हूं और वह है अन्यायी मजिस्ट्रेट। कैसे? ये पुश्त-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखी सह]

दर पुश्त बचपन से ही अन्याय करना सीखते हैं। यही ये पाठशाला में भी पढ़ते हैं, ऐसे ही लोग मजिस्ट्रेट बनाये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वकीलों को बना दिया जाय। वह तो बिलकुल ही चौपट कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, आप नाराज न हों क्योंकि आप भी वकील हैं। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं और बापू जी मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वकील सच्ची बात कह दें तो मुकदमा ही न बढ़े और अगर डाक्टर सच्ची बात कह दे तो बीमारी न बढ़े। बहुत से वकील मुझसे नाराज हो जायेंगे, मैं अपने अनुभव और बापू जी की बात कह रहा हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मुकदमेबाजी बढ़ गयी है, इस वजह से मजिस्ट्रेट रखे जाते हैं। लेकिन ज्यादा मजिस्ट्रेटों के रखने से मुकदमेबाजी कम होने वाली नहीं है। कमी होगी जब हम लोग सत्यता पर आ जायंगे, ईमानदारी पर आ जायंगे। एक दूसरी बात और है कि यह सरकार जब एक बार उलट जायगी तो मुकदमेबाजी कम हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की एक घटना बतला देना चाहता हूं। जहां तक मुझे याद है, माननीय न्याय मंत्री ने २० तारीख को इस सदन में बतलाया था कि हमारे यहां करीब ६००–७०० अवैतनिक मजिस्टर हैं। अब जब पंचायत राज हुआ है तो मेरे छोटे से जिले में कम से कम ९० या १०० न्याय पंचायतें हैं और फिर मेरे अनुमान से, अंग्रेजी जमाने से—अब १५ अगस्त, ४७ से जबकि हमारी सरकार बनी है, स्वराज आया है, तब से दुगुने मैजिस्ट्रेट वैसे ही हो गये हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने बार-बार कहा कि मेरी बात को मान लो तो क्लेश कट जाय। सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि जिलाधीश के पद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय, जिलाधीशों को न रखा जाय, मैजिस्ट्रेट ज्यादा न रखे जायं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट्स ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा मुकदमे बढ़ेंगे, ज्यादा अन्याय बढ़ेगा और मैजिस्ट्रेट्स को कम कर दीजिये, मुकदमें कम न हो जायं तो फिर कहिये। १६–१७ साल से यह सरकार है, पर मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि ५ साल मैजिस्ट्रेट्स को कम करके देख लें, मुकदमे कम हो जायेंगे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस वोट हासिल करने के लिये ऐसे लोगों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स बनाती है। इसमें दो रायें नहीं हैं कि वोट के वक्त यह मशीन अच्छा काम करती है, दनादन चलती है। एक माननीय सदस्य उधर से कह रहे थे कि विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट्स देने के लिये यह ६००–७०० की फौज बनायी गयी है। सर्टिफिकेट्स देने के लिये तो बी० डी० ओज० तक गजटेड आफिसर हैं, ४३१ एम० एल० एज० हैं, एम० एल० सीज० हैं, तमाम तहसीलदार हैं, इतनी बड़ी फौज के रहते हुए इनकी क्या जरूरत थी? जिनका चरित्र खुद खराब है वे विद्यार्थियों के चरित्र का सर्टिफिकेट क्या देंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की बात कुछ लोगों की तरफ से कैसे कह दी गयी। दो, तीन माननीय सदस्यों के अलावा औरों के भाषणों से यह झलक आती थी कि या तो वे खुद आनरेरी मैजिस्ट्रेट रहे हैं या उनके खानदान का कोई आनरेरी मैजिस्ट्रेट रहा है, जिन्होंने इस संकल्प का विरोध किया था। इसलिये मैं माननीय न्याय मंत्री जी से कहता हूं कि यह जो आवाज है वह जनता की आवाज है, इस संकल्प को एक मत से पास करो और जो एक खराब प्रथा है, जो एक खराब संस्था है और अंग्रेजों की देन है, उसका विनाश करो।

श्री माताप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब यह विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब यह विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो दिन के लगभग पक्ष और विपक्ष में लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं। मैं जहां तक समझ पाया हूं, इस प्रस्ताव को एक मत से सभी ने स्वीकार करने का आग्रह किया है। श्री नवल किशोर जी ने भी कुछ बे स्वर से केवल इतनी सी बात कही है कि चूंकि यह नान-आफिशियल हैं इसलिये कुछ बुराई हो तब भी इसे मान लेना चाहिये। इनको छोड़ कर मैं समझता हूं कि जितने भी तथ्य सदन के सामने आये उनके सम्बन्ध में सभी ने स्वीकृति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि सभी ने एक स्वर से पहली बात तो यह स्वीकार की है और उसे मंत्री जी भी स्वीकार करेंगे कि इस संस्था की परम्परा और इतिहास कोई अच्छा इतिहास नहीं है और जैसे कि वह कानून के पंडित हैं और जानते हैं कि न्याय के सम्बन्ध में कहा जाता है इतना ही आवश्यक नहीं है कि न्याय अपने में ईमानदार हो बल्कि उसके ईमानदार होने का विश्वास भी दूसरे में होना चाहिये और इसीलिये जिस परम्परा और संस्था के इतिहास में इतना अविश्वास और इतना दूषित वातावरण बन चुका हो कि जिसके विषय में जनता में इस तरह की भावना बन गई हो कि उनके द्वारा न्याय होना असम्भव है। उसको न्याय के लिये रखना तर्क संगत नहीं है, और जैसा कि कहा गया, जिनको अपने मुकदमों में न्याय मिलने की आशा होती है उनको अगर विश्वास न हो तो हो सकता है कि एक मैजिस्ट्रेट ईमानदार भी हो तब भी उनसे न्याय कराना वह ठीक नहीं समझेंगे। तो यह जो पहली बात मैंने रखी इस सम्बन्ध में भी मैं समझता हूं कि कोई दो विचार नहीं हो सकते।

दूसरी बात जो कि शासन की ओर से भी स्वीकार की गई है और जिसको मैंने प्राथमिकता दी थी वह यह है कि कोई न्यायकर्ता या मैजिस्ट्रेट जो उस क्षेत्र में रहता है उसके वहां सम्बन्ध, लाइक्स और डिसलाइक्स बन जाते हैं और इसी कारण से स्टाइपेंड मैजिस्ट्रेट्स के बारे में सिद्धान्त है कि वह उस क्षेत्र में नहीं नियुक्त होने चाहिये जहां के कि वह रहने वाले हैं, जहां इन के सम्बन्धी व मित्र रहते हैं। वही सिद्धान्त इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में भी शतप्रतिशत लागू होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि यह अवैतनिक मैजिस्ट्रेट भी जीवन-पर्यन्त या जब तक कि उनके पास यह पावर्स रहें वह उस क्षेत्र में रह कर अपने मित्र व सम्बन्धियों के साथ रहते हुये, उनसे बराबरी का सम्बन्ध बरतते हुये सच्चा न्याय देने में असमर्थ होंगे। इस बात का भी इधर तथा उधर के सभी माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है।

तीसरी बात जो मैंने रखी थी उसका भी मुझे सभी माननीय सदस्यों से समर्थन प्राप्त हुआ है और वह यह थी कि कितना भी न्याय करने वाला मनुष्य क्यों न हो लेकिन अगर वह एक ही स्थान पर काफी समय तक काम करता रहता है तो उसके लोगों से सम्बन्ध बन जाते हैं और वह फिर न्याय नहीं कर सकता। इसीलिये यह रूल है कि स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट तीन साल या उससे लगभग अवधि तक एक स्थान पर नहीं रखे जाते लेकिन यह जीवन पर्यन्त रहते हैं।

चौथी बात जो मैंने कही थी और उस पर मंत्री जी भी प्रकाश डालेंगे कि हमने इस सिद्धान्त को भी स्वीकार किया है कि प्रदेश में न्यायपालिका और कार्यपालिका प्रथक रहनी चाहिये और वह एक दूसरे से प्रभावित न हों। इस सम्बन्ध में कुछ कार्य भी हुआ है और कुछ नियुक्तियां ए० डी० एम० जे० आदि की हुई हैं और इन लोगों की नियुक्ति जिलाधीश करते हैं और उनका ट्रान्सफर व एक्सटेंशन आदि भी जिलाधीशों के हाथ में है और उनकी सारी देखरेख उन्हीं के हाथ में है और नतीजा यह होता है कि इनको जिलाधीश की तरफ हर मामले में देखना पड़ता है और इसी कारण से वे अपने को एग्जिक्यूटिव से स्वतन्त्र नहीं रख सकते, यह हमारा और लोगों का अनुभव है और इसको लोगों ने स्वीकार किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

इसके उपरान्त एक आखिरी बात जो रखी गई उस पर भी सदन का एकमत से समर्थन प्राप्त हुआ है, ऐसी संस्था जो अवैतनिक काम करती है और जिनके निजी सम्बन्ध और प्रभाव हैं वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती हैं। केन्द्र और प्रादेशिक सरकार और जनता के सामने आज बड़ी भारी समस्या है कि समाज से भ्रष्टाचार कैसे दूर हो जिसके कारण कि हमारे मनसूबे समाप्त होते चले जाते हैं और हम सुधार के स्थान पर एक क्रांति को बराबर बुला रहे हैं। ऐसे समय में ऐसी संस्था को सरकार द्वारा कुछ लाभ को सोचते हुये प्रोत्साहन देना मैं समझता हूं, सरकार की जिम्मेदारी हो जायगी कि वह भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहती। जैसा आप बराबर कहते हैं कि हमारा निश्चय है देश से भ्रष्टाचार समूल नष्ट कर देंगे तो उससे किसी प्रकार की किसी संस्था को अगर कुछ भी प्रोत्साहन मिलता है तो हम दलगत स्वार्थों को छोड़कर उस संस्था को ही समाप्त कर देना निश्चय ही तय करेंगे। जो जिम्मेदार स्थान पर रहे हैं, जिनकी बातों का इस सदन ने सदा आदर किया है उन्होंने इसका समर्थन किया है, उन्होंने अपने अनुभव से कहा है कि इस संस्था में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है ज्यादातर मैजिस्ट्रेट जो अवैतनिक हैं, जो थोड़ा सा प्रभाव प्राप्त करने के लिये काम करते हैं, वह दूसरे तरीके से पैसा पैदा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह भी मनुष्य हैं, उनकी भी आवश्यकतायें हैं। इसलिये यह अपेक्षा करना, जैसा कि अभी एक सदस्य ने कहा था, कि पहले जमाने में लोग जंगलों में रहते थे और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती थी, ऐसा मैं समझता हूं इतनी अपेक्षा मैजिस्ट्रेट्स से करना उचित नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव गलत नहीं है और न इस भावना से रखा है कि इसके द्वारा हम शासन पर कोई अविश्वास पैदा करें, बल्कि यह समझ कर कि जनता के हित में है, युग की मांग है और हमारे विचारों के अनुरूप यह संस्था नहीं रहनी चाहिये। इसलिये जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार द्वारा यह प्रस्ताव आयेगा अगर विरोधी दल की तरफ से आया है तो उदारता से और जनहित को समझते हुये सरकार इसको स्वीकार करे कि जो संस्थायें कलंकित हैं, जिनका वातावरण, परम्परायें बुरी हैं, जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती हैं, जिनके द्वारा शासन पर आक्षेप होता है उन संस्थाओं को समाप्त करने में हम इस बात का परिचय देंगे कि भविष्य में हम इस रूप से काम करना चाहते हैं कि दोनों पक्ष मिल कर इस बात का प्रयत्न करें कि भ्रष्टाचर का उन्मूलन हो ताकि जनता में विश्वास प्राप्त हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जो स्वंम वकील हैं और अनुभवी हैं शासन के किसी दबाव में न आ कर अपने विचार व्यक्त करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अभी हम लोगों को पता लगा है कि माननीय सालिग राम जैयसवाल और माननीय रियासत हुसैन २० आदमियों के साथ गुड़ कंट्रोल तोड़ने के संबंध में गाजियाबाद में हिंडन ब्रिज पर गिरफ्तार किये गये हैं। क्या आपको इसकी सूचना मिली है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे कोई सूचना नहीं है।

*श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन्, जो परसों से बहस चल रही है मैं उसे बड़े गौर से सुनता रहा कि इस बहस के जो नतीजे हैं कि आनरेरी मैजिस्टेट्स की संस्था को बन्द कर दिया जाय, उसके नतीजे समझते हैं कि नहीं। आज जनतंत्र के जमाने में हम हर तरह की जिम्मेंदारी ऐसे आदमियों के हवाले करने जा रहे हैं जो तनख्वाह नहीं पाते। आपकी जो गांवों में न्याय पंचायतें बन रही हैं, वहां क्या हो रहा है ? जो जिले में जिला परिषदें बन रही हैं, ब्लाक कमेंटीज बनाने जा रहे हैं, सारी जिम्मेदारी वहां की तरक्की की और लाखों रुपये उनके हाथों में सुपुर्द करने जा रहे हैं। ये कोई तनख्वाह पाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी ईमानदारी दिखलाते हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं वे कहां से आते हैं। क्या हम उनको कहीं दूसरे मुल्क से या जेल से, जो कैदी होते हैं और जिनको धोखे और दगाबाजी में सजा मिलती है, उनको नियुक्त कर लेते है ?

हाउस में हमारे भूतपूर्व उपमंत्री और भूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी बुराई करने वालों में शामिल हैं। ये कहां के लोग आये कि जिनके मुताल्लिक इतनी बुराई होती है ? ये हमारे ही भाई हैं या और कोई हैं ? आनरेरी मैजिस्ट्रेट जो हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जो छोटे छोटे मुकदमें पड़ते हैं उनका फैसला कर दें। इसके मायने यह तो नहीं कि इतनी बुराई होती है कि एक भी लफ्ज उनके हक में न बोला जाय। जाहिर है कि अगर कोई चीज बुरी है तो हम क्यों रखे लेकिन जब यहां पर पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के मुहकमों की आप बुराई करते हैं तो क्या पुलिस का मुहकमा ही बन्द कर दें ? आपके विचार हो सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वह ठीक नहीं है और उनको नौकरी से निकाल दिया जाय लेकिन एक आदमी की बुराई से सब जिलाधीशों को तो नहीं निकाला जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि यह तकरीर का तरीका गलत है। इस तरह से आनरेरी मैजिस्ट्रेट के बारे में आप कहते कि वे ठीक काम नहीं करते, ठीक वक्त पर नहीं आते तो मैं उसका जवाब देता लेकिन आप सभी आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को बेईमान कहें, यह तरीका गलत है। ये कहां के लोग हैं, जिनकी आप इतनी बुराई करते हैं ? हर जिले में एक कमेटी होती है जो इनको चुनती हैं। इस कमेटी में ६ एम० एल० एज०, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक जो वहां का बार एसोसियेशन होता है उस जिले का, उसका नामिनेटेड मेम्बर होता है। ९ आदमी बैठकर अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजते हैं और तब सरकार उनको चुनती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

वे जो ६ एम० एल० एज० होते हैं क्या वे किसी राजनीतिक दल के होते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

उनके नाम गजट में छप जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें कि कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, इस फरीक के होते हैं या उस फरीक के होते हैं। वहां के जो एम० एल० एज० हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर होते हैं, हम उनको करते हैं और दो आदमी ऐसे चुने जाते हैं जो पब्लिक बाडीज से ताल्लुक रखते हैं, जैसे म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते हैं या और कोई पब्लिक मैन होते हैं। इस तरह से एक कमेटी बनती है। ऐसा मालूम होता है कि आप लोगों में से किसी ने जहमत नहीं की इसके मुताल्लिक रूल्स देखने की कि क्या रूल्स हैं। अगर आप रूल्स देखें तो आप देखेंगे कि किन किन शर्तों के मातहत चुनाव होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गल्ती नहीं होती। शिकायत भी आती हैं। हम उन्हें अलग भी करते रहते हैं लेकिन शिकायत मेरे पास मुल्जिमानों की भी आती है, कभी कभी आनरेरी मैजिस्ट्रेट की आती है लेकिन उनके ऊपर कार्यवाही की जाती है। मगर सवाल यह है कि यह जो संस्था है वह क्यों बुरी है और उसके हटाने के क्या नतायज हैं; क्या इस पर आपने गौर फरमाया ? क्या इस जनता में ऐसे भी लोग नहीं हैं कि जिन पर यह एतमाद किया जाय कि वह सेकन्ड या थर्ड क्लास के मुकदमें का फैसला कर सकते हैं और क्या जो फरायज उन पर आयद किये जायेंगे वे सब भ्रष्टाचार की वजह से गलत तरीके से अन्जाम उनका देंगे ?

मैं रूल्स पढ़कर आपको बतला दूं। इसके सेलेक्शन की एक कमेटी होती है; वह ऐडवाइजरी हैसियत रखती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनकी सिफारिश पर गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। अमूमन जिलाधीश उनकी बात मान लेता है लेकिन बाज वक्त अगर वह सिफारिश को गलत समझता है तो वह अपनी सिफारिश भी देता है और दोनों की राय को देखकर गवर्नमेंट फैसला करती है। जहां तक उनकी उम्र और क्वालिफिकेशंस की बात है उसमें यह है कि २५ साल से कम का आदमी नहीं होना चाहिये और कम से कम हाई स्कूल पास वह आदमी हो। यह माना मैंने

[श्री सयैद अली जहीर]

कि बाजवक्त कम क्वालिफिकेशंस के लोग भी हो जाते हैं लेकिन असल में हम यह देखते हैं कि उसको ईमानदार होना चाहिये। (व्यवधान) मुश्किल यह है कि जब ये बोल रहे थे तब मैं चुप था।

श्री उपाध्यक्ष—

शान्ति से सुनिये।

श्री सैयद अली जहीर—

दफा ५ को पढ़िये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

वह सब पढ़ा हुआ है।

श्री सैयद अली जहीर—

अगर पढ़ा गया है और फिर ऐसी बातें कही गयीं तो फिर मैं क्या कहूं ? लेकिन इसमें है "No meinber of a political party shall be eligible for appointment as an Honorary Magistrate," हम अगर इसके बावजूद भी यह एतबार न करें कि वह किसी पोलेटिकल पार्टी का आदमी हो सकता है तो उसका क्या इलाज हो सकता है ? यह कहना कि जिनके ऊपर सरकार यानी कांग्रेस सरकार का एतमाद हो जाता है वही रखे जाते हैं, तो यह दुरुस्त है। जिनके ऊपर हमें जब तक हम सरकार में है, एतमाद होगा, आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनायेंगे और ऐसे आदमी को तो मुकर्रर नहीं करेंगे कि अगर गुड़ का भी आन्दोलन हो तो वह भेली बांधकर आन्दोलन करने चला जाय। इसमें C, D, E, F, G. H सात आठ क्लाजेज हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर न हो, किसी जमात का मेंबर न हो, उस सबका हम खयाल रखते हैं।

जहां तक उसकी ट्रेनिंग की बात है, उसमें यह पहले से है कि अगर पहले तजुर्बा है, जैसे कोई रिटायर्ड जज हो, तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसको तर्जुबा न हो उसको ३ महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी। वह किसी आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पास बैठकर बहस सुनेगा और तजवीज लिखकर मैजिस्ट्रेट को दिखलावेगा और अगर तीन महीने के बाद वह मैजिस्ट्रेट सर्टीफाई करेगा कि इसको काम आ गया है तब उसको एप्वाइंट करेंगे और अगर तीन महीने के बाद उसमें अहलियत नहीं पैदा होती तो दो महीने की ट्रेनिंग जिलाधीश या किसी स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट के सामने होगी अगर २ महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर भी उसकी राय यह है कि वह इस काबिल नहीं है कि मुकदमों को समझ सके या मुकदमों का सही फैसला दे सकें तो वह गवर्नमेंट को इसके बारे में रिकमेंड कर देंगे कि इसको आनरेरी मैजिस्ट्रेट न बनाया जाय। यहां तक पाबन्दियां लगी हुई हैं लेकिन आपको इत्मीनान नहीं है। आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कर दिया जाय जो रोज कानून तोड़ा करें तो सरकार इसके लिये तैयार नहीं है। एप्वाइंटमेंट के लिये यह है कि साल भर के लिये पहले तकर्रुरी होगी और उसके बाद फिर सिफारिश आयेगी। कोर्ट आवर्स के लिये यह है कि हर आनरेरी मैजिस्ट्रेट के लिये जिलाधीश यह तय करेगा कि किस दिन कै बजे से कितने बजे तक यह अदालत जायगा और यह पहले से ऐलान हो जायगा। कोई आनरेरी मैजिस्ट्रेट अगर इस कानून की खिलाफवर्जी करता है तो जिला मैजिस्ट्रेट उसे अलग कर सकता है। एक रजिस्टर रहेगा अदालत में कि मैं फंला वक्त आया, फलां वक्त तक काम किया और फलां वक्त गया। सेशन जज और एडीशनल सेशन जज दोनों को यह अधिकार है कि उसके कोर्ट में जा कर मुआइना करें। जिलाधीश को यह आदेश हैं कि उनके मातहत मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर साल भर में एक दफा जरूर देखेंगे कि उनकी कोर्ट की हालत क्या है। काम खराब और गड़बड़ है तो उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट की तकर्रुरी का जहां तक सवाल है, उसमें कोई खराबी नहीं है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

माननीय मंत्री के कार्यालय में स्वयं उनके कारनामे मौजूद हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—

जिलाधीश के यहां से जब उनकी सिफारिश आती है कि उनकी तकर्ररी न की जाय तो फौरन उनको समाप्त कर दिया जाता है ।

एक सदस्य—

मैं बुलन्दशहर के बारे में जानना चाहता हूं कि वहां ऐसा कितने केसेज में हुआ ।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं हर शख्स से मिलने के लिये तैयार रहता हूं और यह भी मेरा तरीका है कि जो भी शिकायत आनरेरी मैजिस्ट्रेट की आती है उसकी इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार रहता हूं और जब यह मालूम हो जाता है कि यह शख्स ठीक नहीं है तो, जहां तक हो सकता है, उसकी तकर्ररी खत्म हो जाती है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी अच्छा है लेकिन मुकामी झगड़े के कारण शिकायत आती है जो बिल्कुल बेबुनियाद होती है और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

आया आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये जांय या न किये जायं, यह कई दफा एग्जामिन हो चुका है । ला कमीशन ने भी इस मामले पर गौर किया है । उन्होंने यह कहा है —

"Though the power under this section has been exercised fairly freely, the practice of appointing honorary magistrates appears to have been given up in some States in recent years. The honorary magistrates are intended to give relief to the stipendiary magistrates in their work ; most of the work entrusted to them is of a petty type which does not require to be dealt with by a trained judicial officer and which would needlessly clog the files of the stipend ary magistrates. The institution of honorary magistrates is also helpful as a method of associating the public with criminal judicial administration. In practice, these magistrates are appointed where the volume of criminal work is very much and the regular magistracy feels the need for additional help. As the appointment of a sufficient number of paid magistrates in some areas would impose a heavy financial burden upon the State, suitable persons are chosen and appointed in those areas to work as honorary magistrates.

In the States of Assam, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa and Rajasthan, the institution of honorary magistrates is not in vogue. In Punjab the system has been discontinued, though it continues to prevail in the Delhi State area.

In Uttar Pradesh, honorary magistracy has helped to expedite the disposal of criminal cases and to relieve the congestion in criminal courts."

इसके अलावा एक कमेटी एप्वाइंट हुई थी जिसका नाम था मुखर्जी कमेटी । उसने भी करीब करीब यही राय दी थी । उसने भी लिखा है कि—

"It was stated that honorary magistrates are capable of serving a very useful purpose in relieving the magistracy of a large number of petty criminal cases, particularly in the larger districts."

जहां तक फैक्ट्स ऐंड फीगर्स का ताल्लुक है, मैं आपको बतला दूं कि ये लोग बहुत काम करते हैं । सूरत हाल यह है कि सन् १९५९ में तकरीबन २०३ आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स थे और कोई

[श्री सैयद अली जहीर]

९८४ स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट थे । तो ९८४ ने ४ लाख ७१ हजार के करीब मुकदमे किये और २०३ ने १ लाख ४३ हजार मुकदमें किये। इसी तरह से १९६० में ९५८ स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स ने ४ लाख ७७ हजार मुकदमें किये और आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स ने १ लाख २५ हजार मुकदमें किये। १९६१ में २०४ आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स थे जिन्होंने १ लाख ४२ हजार मुकदमें किये और १,०३१ स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स ने ४ लाख ७७ हजार मुकदमें किये । १९६२ में २०३ आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स ने १ लाख ४० हजार मुकदमें किये और स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स ने ४ लाख ८५ हजार मुकदमें किये । तो करीब करीब २०–२५ फीसदी काम छोटे मुकदमों का आनरेरी मैजिस्टेट्स करते हैं । अगर यह न हों तो काम में बहुत देर हो क्योंकि स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर और बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसकी बजह से केस वर्क में उन्हें बहुत वक्त देने को नहीं मिलता। लिहाजा ये बहुत मफीद काम कर रहे हैं । इंडिविजुअल मैजिस्ट्रेट्स के खिलाफ जो शिकायतें हैं उसकी गुंजायश इस रेजोल्यूशन के सिलसिले में नहीं है क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाय । लेकिन यह मैं तसलीम करता हूं कि इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं । लेकिन किस सर्विस में ऐसा नहीं है ? आज नन्दाजी बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि दो साल में करप्शन हटा कर रहेंगे । वे तो सब तनख्वाह पाने वाले हैं। इससे यह जाहिर है कि महज तनख्वाह पाने से ही आदमी ईमानदार नहीं हो जाता । अगर किसी में शराफत है, इंसानियत है, देश का प्रेम है, जनता की खिदमत करने की ख्वाहिश है, तो वह बिला तनख्वाह के भी इमानदारी से काम अन्जाम दे सकता है । लेकिन जो लोग खुदगरज हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं, उनको चाहे हजारों रुपया तनख्वाह दी जाय तब भी उन पर ऐतबार नहीं कर सकते हैं कि वे ईमानदारी से काम करेंगे । वह तो आदमी का नेचर होता है । लेकिन यह कह देना कि सारे आनरेरी मैजिस्ट्रेट बेईमान हैं इसलिये इस सिस्टम को ही एबोलिश कर दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । यह मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे। अगर कोई मैजिस्ट्रेट खराब है तो मैं उसके केस देखने के लिये तैयार हूं। लेकिन जहां तक इस रिजोल्यूशन का ताल्लुक है, सही नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय न्याय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि सरकार की मंशा गड़बड़ियों में सुधार करने की है। मैं चाहता हूं कि क्या सरकार इसी तरह का सुधार करना चाहती है कि मैजिस्ट्रेटों की इज्जत में चार चांद और लगा देती है । झांसी में एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक औरत का मुकदमा चला...

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल कर लीजिये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं नाम नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के लिये आप सवाल कर लें ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि झांसी में स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक औरत का मुकदमा चला । मैजिस्ट्रेट ने उसी औरत को बगीचे में बुलाकर उसके साथ रेप किया । मैजिस्ट्रेट ससपेंड हुआ, गिरफ्तार हुआ और चार्ज शीट न्यायालय में जा चुकी थी लेकिन मंत्रिमंडल ने मुकदमा वापस ले लिया था। क्या इसी तरह से मंत्री जी सुधार करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात बताइये कि यहां पर इसकी इंफार्मेशन है। एक इंडिवीजुअल के बारे में पूछ रहे हैं, यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आपने उनको कोई नोटिस दिया ?

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, इस तरह के भी मुकदमें वापस ले लें यह कौन-सी बात है ? क्या जवाब है इसका ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बाद "की" शब्द निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "राजनैतिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की जाती है अत : यह" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—५०

विपक्ष में—१०१।)

शिक्षण संस्थाओं में राजकीय हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो गणना हुई है वह बिलकुल गलत है। हमने अभी गिना है। ५० तो अभी बैठे हैं जब कि कई लोग उठ गये। गणना बिलकुल गलत हुई है। इस तरह की गणना शायद रोज रोज गलत होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उस वक्त कहते तो गिनवा लेते।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, दुबारा आप गिन लीजिये। ५० तो अभी भी हैं। यह बिलकुल गलत गिना गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको उसी समय कहना चाहिये था। अब बहुत देर बाद आपने कहा है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, बहुत देर बाद कहा तो गिनकर कहा। मुझे शंका थी, इसलिये मैंने फिर गिना। उसी वक्त मैं कैसे गिन लेता ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसमें क्या हो सकता है ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

जो भी हो, मैंने आपको सूचना दे दी है कि बिलकुल गलत गिना गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बिना गिने हम कैसे कह सकते थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इस प्रश्न को देर से उठाया, इसलिये अब कुछ नहीं हो सकता।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

आगे प्रश्न आ रहा है, उस पर निर्णय हो जायगा। श्रीमन्, अभी दो प्रश्न और हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको बड़ा खेद है....

(व्यवधान)

इसको कौन नहीं जानता कि सरकारी पार्टी की तादाद ज्यादा है। लेकिन गिना गलत गया है।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ राधेश्याम जी ने कहा है वह प्रोसीडिंग्स में नहीं आयेगा....

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, यह बिलकुल गलत है और बिलकुल बेबुनियादी कार्यवाही आपकी अध्यक्षता में हुई है।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह प्रोसीडिंस में नहीं आयेगा....

(व्यवधान)

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह पुनीत संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं—इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था, अशान्ति तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप एवं गिरी आर्थिक दशा के फलस्वरूप शिक्षा स्तर के गिरने और अनुशासनहीनता फैलने की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय।

एक आवश्यक संकल्प यह है, श्रीमन्। इस संकल्प के प्रस्तुत करने के पूर्व ही जो सदन में स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत हुई, मान्यवर, उस स्थिति में आप स्वयं भी और शिक्षा मन्त्री जी भी यह स्वीकार करेंगे कि आज शिक्षा का क्या हाल हो रहा है, शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है, इसे मैं समझता हूं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो शिक्षा से सम्बन्धित है शिक्षा के स्तर के गिरने से आज चिंतित है। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इस गम्भीर प्रश्न के ऊपर, मैं ऐसा समझता हूं वह स्वयं भी चिन्तित होंगे—हमारी ओर से यह प्रस्ताव क्यों लाया गया, उसकी भावना को देखते हुए हमारे इस संकल्प के पक्ष में अपना मत देंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कृपा करेंगे। मान्यवर, सब से पहले हमने अपने संकल्प में इस बात को प्रस्तुत करना चाहा है कि आज शिक्षा में जो भी गिरावट है, उस गिरावट का सब से बड़ा कारण सरकार का शिक्षा संस्थाओं में हस्तक्षेप है। चाहे वह विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा हो, और चाहे वह प्राइमरी शिक्षा हो प्रत्येक स्तर पर आज सरकार का हस्तक्षेप चलता है। उसी हस्तक्षेप के चलते आज शिक्षा में निरन्तर गिरावट होती चली जा रही है। सब से पहले मैं विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में सरकार की ओर से जो हस्तक्षेप किया जा रहा है उसकी चर्चा सदन के सामने करना चाहता हूं। यों तो इस सदन में न जाने कितने अवसरों पर शिक्षा विभाग के जो भी मन्त्री रहे हों, उनकी तरफ से यह घोषणा की गई कि जहां तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध है सरकार इन यूनिवर्सिटीज के अटोनामी के पवित्र सिद्धान्त को मानती है। यह सरकार विश्वविद्यालयों की शैक्षिक स्वतन्त्रता की भावना की हामी बराबर रही है। लेकिन मान्यवर, सरकार की बराबर इस घोषणा के बाद भी हकीकत बिलकुल इसके उलटी है। अगर किसी विश्वविद्यालय के ऐक्ट को उठाकर देखा जाय तो वह ऐक्ट इस बात का गवाह होगा कि सरकार की यह घोषणा कोरी घोषणा मात्र है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सन्मुख लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट का ही एक हवाला देना चाहता हूं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि हम विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों के भीतर पूरी स्वतन्त्रता देते हैं और दूसरी ओर इन विश्वविद्यालयों के लिये जो कानून इस सदन में पास कर चुके हैं वह हमारे विश्वविद्यालयों को कितनी स्वतन्त्रता देता है इस बात को यदि कोई जांचना चाहे, इस बात का कोई परीक्षण करना चाहे तो किसी विश्वविद्यालय ऐक्ट को लेकर इस बात की परीक्षा की जा सकती है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय ऐक्ट के सेक्शन ७ को देखा जाय। सेक्शन ७ क्या है? यह वह सेक्शन है जिसमें विजीटेशन की बात कही गई है। उस सेक्शन में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जब चाहे विश्वविद्यालय की लेबोरेटरी, वहां का जो शिक्षण का वातावरण है उसकी परीक्षा के सम्बन्ध में चाहे किसी भी प्रकार की हो प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार को देखभाल करने की पूरी छूट है। मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा मंत्री जी की सेवा में सदन के सामने सेक्शन ७ की दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं:—

"The State Government shall have right to cause the inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University its buildings working equipments and of any institution associated with the University."

सरकार को यह विजीटेशन का राइट है। इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी ऐक्ट को देखा जाय उसमें सब से बड़ा अधिकारी चान्सलर माना गया है। चान्सलर की नियुक्ति भी इसी ऐक्ट के तहत में होती है। भारतीय संविधान के माध्यम से भी उसको अधिकार या शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस सदन ने एक कानून बनाया। उस कानून में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल महोदय यूनिवर्सिटी के चान्सलर होंगे। चान्सलर को चाहे एकेडेमिक कौंसिल के मामले हों, चाहे और मामले हों, सभी मामलों में उसको सोल जज माना गया है। चान्सलर महोदय चूंकि हमारे बनाये हुए कानून की तहत में बने हुए हैं इसलिये अ भी किसी यूनिवर्सिटी के मामले में स्वविवेक से काम नहीं लेते हैं। हमेशा जब आवश्यकता होती है, बराबर शिक्षा मन्त्री और शिक्षा विभाग से सलाह ले कर कोई काम करते हैं। यह एक आध ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं सदन के सामने अपने इस पक्ष का समर्थन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटियों के वातावरण में यदि स्वाधीनता का सृजन करना है, यदि उनमें वास्तव में आटोनामी लाना है तो हमारे लिये आवश्यक हो जायगा कि उसकी पृष्ठभूमि में हम अपने इन ऐक्ट्स में परिवर्तन करें क्योंकि यूनिवर्सिटी आटोनामी का नाम लेने से केवल आज यूनिवर्सिटी का शैक्षिक वातावरण आगे कदापि नहीं जा सकता।

इसके बाद मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा मन्त्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहूंगा और वे स्वयं भी इस बात को स्वीकार करेंगे। यह मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। केन्द्रीय

[श्री रामायणराय]

सरकार की ओर से विश्वविद्यालय आयोग की रचना हुई । उसके बाद राधाकृष्णन कमीशन ने खुले शब्दों में इस बात की सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को किसी भी विवादास्पद प्रश्न पर ठीक उतनी ही स्वाधीनता होनी चाहिये जितनी स्वाधीन देश के एक नागरिक को हो सकती है। इस प्रकार सरकार के नियन्त्रण में रहते हुए या विश्वविद्यालय में रहते हुए क्या हमारे अध्यापक मुक्त विचार रख सकते हैं? यह सर्वथा असंभव है। तो मैं समझता हूं कि इन एक आध संकेतों के बाद माननीय शिक्षा मन्त्री इन आयोगों की रिपोर्ट्स को पुनः देखें और अब वह समय आ गया है कि जब उन्हें विश्वविद्यालय से ले कर नीचे तक पूरी छानबीन करनी चाहिये। पिछले जमाने में विभिन्न आयोग विश्वविद्यालयों के लिये, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में बने थे, लेकिन आज उनकी अलग-अलग रिपोर्टों से काम चलने वाला नहीं है।

आज शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हैं उन प्रश्नों की उपेक्षा कर के हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। मुझे यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारा प्रदेश संपूर्ण देश में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए प्रदेशों, जैसे बिहार या उड़ीसा की पंक्ति में आता है। १९४५ में या उसके आस पास हमारी परीक्षाओं में ६० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ करते थे। आज उनकी संख्या घट कर ४०, ४२ और ४३ प्रतिशत रह गयी है। जहां तक अनुशासनहीनता का प्रश्न है, ऐसा कौन सा सदस्य यहां है जिसके सामने यह चिन्ता का विषय न हो। आये दिन विश्वविद्यालयों से जो समाचार हमें मिलते हैं वे क्या इस बात को सूचित नहीं करते कि हमारे विश्वविद्यालय बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के केन्द्र हो रहे हैं। परीक्षा पद्धति के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि अगर उसे यह कहा जाता है कि तुम केवल शिक्षा में आमूल सुधार के लिये एक सुझाव दो तो वह हो सकता है केवल परीक्षा पद्धति का सुझाव। परीक्षा पद्धति में कोई सुधार हुआ है क्या? कोई सुधार नहीं हुआ। परिणाम यह हो रहा है कि निरन्तर परीक्षार्थियों की संख्या, फेल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आज इन्टरमीडिएट परीक्षा बोर्ड के परीक्षाफल को देखा जाय और विषय सामने रखकर ऐनेलिसिस की जाय तो जितने विद्यार्थी फेल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फेल होने वाले अंग्रेजी भाषा में होते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जोरदार सिफारिश की थी कि कोई शिक्षा शास्त्री और शिक्षा विशारद आमूल क्रान्ति अगर चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में तो उसे परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करना होगा।

मन्त्री जी यह कहेंगे कि जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है उसमें बताओ कि क्या गड़बड़ी है? और गड़बड़ियों की बात जाने दीजिये, प्राइमरी एजूकेशन का जहांतक ताल्लुक है प्रत्येक शिक्षा शास्त्री इस बात को स्वीकार करता है कि—

"Problem of Primary Education is primary for every socialist society,"

प्रारम्भिक शिक्षा प्रत्येक समाज के लिये एक बुनियादी शिक्षा होती है। जो पुस्तकें आज उन बच्चों को दी जाती हैं जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं वह संचालक महोदय के द्वारा नियुक्त कुछ व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं। वह किताबें किन पहलुओं पर लिखी गयी हैं, मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री इस दृष्टि से उनकी जांच जरूर करायेंगे। मैंने इन बातों को देखने की कोशिश की। मुझे बड़ा दुःख हुआ। पहली ही पुस्तक में २०-२० भूलें हैं और एक जिम्मेदारी से मैं उन्हें सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने प्रवेशिका को हाथ में लिया और जानना चाहा कि आखिर किस पद्धति से लिखी हुई है तो मालूम हुआ कि वह ब्रिटिश कौंसिल आफ एजूकेशन का जो स्ट्रक्चुअल सिस्टम है उसका अंधानुकरण करके लिखी गयी है। उस अन्धानुकरण का एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायेगा। यह प्रवेशिका की किताब है। इसमें सबसे पहले सिखाया गया है बड़ा "आ"; प्रत्येक आदमी जो सीख के सिद्धांतों से परिचित है वह जानता है इसके मानी क्या हैं। इसके बाद सिखाया गया है बड़ी "ई"। इस तरह से अब अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है। आगे चल कर बच्चे को पानी का ज्ञान सिखाया गया है। इसमें

आप देखें कि नीचे एक टब रखा है, ऊपर से एक पाइप से पानी आया है और टोटी खुली हुई है, उसमें से पानी गिर रहा है। इस प्रकार के चित्रों से पानी का ज्ञान सिखाया गया है। मैं नहीं समझता कि ७०-८० फी सदी गांव में रहने वाले बच्चे इससे पानी का ज्ञान कैसे कर सकेंगे और कैसे यह सही प्रतीक होगा पानी के ज्ञान का। यह प्रतीक हैं जिनके द्वारा हम बालकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं श्रीमन्, रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों को दोहराना चाहता हूं। श्रीमन्, उस समय यह कहा जाता था कि स्पेयर दि राड, स्पायल दि चाइल्ड। यानी छड़ी छूटी, बच्चा बिगड़ा। टैगोर ने लिखा है कि जब मैं ८वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे श्याहबोर्ड एक भयंकर रात्रि की तरह तथा उस पर लिखे अक्षर दैत्यों के दांतों की तरह दिखलायी देते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां बुनियादी ईंटों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। श्रीमन्, झूला पड़ा हुआ है, उसमें संचालक महोदय पदासीन हैं, एक शिक्षा शास्त्री बोलते हैं, बच्चा गिर पड़ा। विचार किया जाता है कि गिर पड़ा शब्द से बच्चे को मानसिक कष्ट पहुंचेगा। एक साहब ने सुझाव दिया "लुढ़क पड़ा" कर दिया जाय। सारे दिन इसी तरह बहस होती रही। इस सुझाव की बड़ी तारीफ हुई। अब यह हमारे विद्वानों की सूझ है, इसे क्या कहा जाय? श्रीमन्, शिक्षा के क्षेत्र में जो अन्धानुकरण हो रहा है वह बड़े दुख का विषय है। देश की रक्षा के लिये आज जो काम हो रहे हैं, उनकी ओर दृष्टि डालते समय हमें यह देखना होगा कि वह काम ठीक ढंग से हो भी रहा है या नहीं। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने प्रगति की है। मेरे लिये यह उचित न होगा कि यदि मैं उसका चित्र आपके सामने प्रस्तुत न करूं। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रगति हुई है। बड़े-बड़े कालेजेज १६ के बजाय १०२ हो गये हैं, माध्यमिक विद्यालय ५०६ से १६१२ हो गये हैं, जूनियर हाई स्कूल १,८५० से ४,०७३ हो गये हैं, प्रारम्भिक पाठशालायें २० हजार से ४० हजार के करीब हो गयी हैं; लेकिन इस प्रगति का आधार क्या है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? शिक्षा की प्रगति के अनुकूल ही क्या यह प्रगति हो रही है? शिक्षा शास्त्रियों के कुछ माने हुए सिद्धान्त हैं उनमें से एक यह है कि १० विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिये। १९४५ में यह रेशियो १ और २० का था जो अब बढ़ कर १ और ५० का हो गया है। कहा जाता है अनुशासनहीनता बढ़ रही है। कैसे न बढ़े? १००-१०० विद्यार्थी एक-एक क्लास में बैठते हैं। कुछ को तो क्लास में स्थान नहीं मिलता तो जंगलों में से झांकते हैं और कुछ विद्यार्थी प्राक्सी की व्यवस्था करके आगे बढ़ते हैं। गेस पेपर्स बाजार में बिकते हैं, परीक्षा में पास होने का रामबाण नुस्खा उनको बताया जाता है। आप अगर मनोहर कहानी पर नियन्त्रण नहीं लगा सकते हैं तो क्या इन पर भी नहीं लगा सकते? क्या आपको मालूम नहीं कि उनके क्या भयंकर परिणाम होते हैं?

आज टेक्नीकल एजूकेशन की क्या हालत है? कहा जाता है कि इमर्जेन्सी है, इसमें यन्त्र विशारदों की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं कि नेफा और लद्दाख के मोर्चे पर जिस प्रकार बन्दूक वालों की आवश्यकता है उसी प्रकार से इंजीनियरों और डाक्टरों की भी आवश्यकता है। लेकिन यह शिक्षा आप १६ प्रतिशत ही दे रहे हैं, जिसे आप टेक्नीकल शिक्षा कहते हैं। जहां तक पूरी शिक्षा का सम्बन्ध है वह अंग्रेजी राज्य के जमाने में पूरे बजट का १६ प्रतिशत होती थी तो आज वह १४ प्रतिशत ही रह गयी है। (एक आवाज—यह बिलकुल गलत है)। टेक्नीकल एजूकेशन १६ प्रतिशत आप दे रहे हैं और उसका हिसाब भी यह है कि कुछ इन्डस्ट्री विभाग चलाता है और कुछ लेबर विभाग और कुछ एग्रीकल्चर विभाग चलाता है। मैं बहुत दिनों से सरकार से आग्रह करता रहा हूं कि प्रत्येक प्रकार की शिक्षा शिक्षा-विभाग के माध्यम से ही दी जानी चाहिये चाहे वह एग्रीकल्चर की हो या इंडस्ट्री की। लेकिन यहां तो नाना प्रकार की टेक्निकल एजूकेशन नाना विभागों के द्वारा दी जा रही है।

एजूकेशन विभाग के अधीन यह सारी शिक्षा होनी चाहिये और इन सब में ह्यूमैनिटी की शिक्षा बहुत आवश्यक है।

[श्री रामायणराय]

अन्त में मान्यवर, जहां मैं और बातों की चर्चा करना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जिलों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका चित्र भी आपके सामने रखना चाहता हूं। २३ लाख आबादी वाले देवरिया जिले में इस साल एक साइन्स कालेज खुला है और बस्ती जिले में इसी साल एक साइन्स कालेज खुला है जहां अभी लेबोरेटरी का भी पता नहीं है। तो यदि इस प्रदेश का कोई समन्वित विकास करना है टेक्निकल फी ड मे और आर्थिक फील्ड में, तो आवश्यक यह है कि सम्पूर्ण प्रदेश का इस हिसाब से कोई सर्वे होना चाहिये। इन सब बातों के ऊपर आप एक ऐसा चित्र बनायें, एक ऐसी योजना बनायी जाय, जो हमारे प्रदेश की जनता के लिये लाभकारी हो सके और हमारे भविष्य का सपना सत्य हो सके और जहां हम अनुशासनहीनता की बात सुनते हैं वहां हमें यह सुनने को मिले कि हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालय आज ऐसे युवकों का निर्माण करने लगे हैं जिन युवकों के सम्बन्ध में मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अपनी सिफारिश करते हुए कहा था कि यूनिवर्सिटीज का काम केवल इन बड़े-बड़े कारखानों को चलाने के लिये मैनेजरों को पैदा करना नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटीज का काम यह भी है कि समाज में सेवा के विभिन्न क्षेत्रों के लिये अच्छे से अच्छे नेता भी दे सकें। लीडरशिप पैदा करना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर यही हालत रही तो ऐसे आदमी इस देश में आगे चल कर न होंगे और इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि भविष्य के सम्बन्ध में जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी इस बात को मानते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के मौके पर इस देश में नेतृत्व पैदा हुआ और अब प्रत्येक पार्टी के अन्दर नये रक्त का आना धीरे-धीरे बन्द हो रहा है। अगर इस अभाव की पूर्ति होनी है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में दस्तन्दाजी करने का मोह कम करे। कमीशन के शब्दों में जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं इस बात को मानता हूं: "इट इज ऐन आब्लिगेशन आन दि स्टेट"। लेकिन इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन हो, इसका फैसला सरकार करे। हिन्दुस्तान के सिवा दुनिया में और कोई प्रजातांत्रिक देश नहीं होगा ज.ां कि यूनिवर्सिटीज के चान्सलर गवर्नर होते हैं। यह गड़-बड़ी केवल हिन्दुस्तान में ही है। आज मैंने सदन के सामने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव के चलते शिक्षा के इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करने की कृपा करेंगे और इस प्रस्ताव को पास करने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

मूल प्रस्ताव की अन्तिम पंक्ति "जांच के लिये" और "एक आयोग के मध्य में" निम्न-लिखित रख दिया जाय :—

"तथा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की सम्भावनाओं पर विचार हेतु"।

श्रीमन्, यह मूल प्रस्ताव आज जिन समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा है, वे समस्यायें हमारे प्रदेश और देश में आज मुख्य समस्यायें बनी हुई हैं। विशेष रूप से हमारे प्रदेश के अन्दर जहां पूरे देश की १७ प्रतिशत आबादी रहती है, आज स्थिति यह है कि हम अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप जिस प्रकार जीवन के दूसरे क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। जहां तक लिट्रेसी का प्रश्न है उसमें भी हम पिछड़े हुए हैं और शिक्षा के स्तर का जहां तक संबंध है उसमें भी हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। अनुशासन और अनुशासनहीनता का जहां तक प्रश्न है उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी हमारे प्रदेश की कोई अच्छी ख्याति नहीं है। पूरे देश की जो कम्पीटीटिव परीक्षायें होती हैं नौकरियां आदि की। उनमें भी हमारा सूबा बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश में शिक्षा पर जो व्यय होता है वह भी पूरे देश के आंकड़ों को देखते हुए बहुत ही कम है। यह हमारे लिये एक गंभीर प्रश्न है। मैं सदन के सामने आज कुछ तथ्य रखना चाहता हूं ताकि यहां की शिक्षा की एक तस्वीर और उसकी एक झांकी आपके सामने आ जाय। हमारे देश में लिट्रेसी का प्रतिशत जो पुरुषों का है वह है ३३.९ और महिलाओं का है १२.८। यह संसार के अन्य देशों और उनकी प्रगति को देखते हुए बहुत कम है। अब इसके मुकाबले में हमारे प्रदेश की स्थिति यह है कि यहां पुरुषों की लिट्रेसी है २६ प्रतिशत और महिलाओं की है केवल ७.३ प्रतिशत, जब कि सारे भारत का प्रतिशत है १२.८ प्रतिशत। अब मैं दूसरे प्रदेशों के भी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि वहां महिलाओं और पुरुषों की लिट्रेसी का प्रतिशत अलग-अलग क्या है।

	पुरुष	महिलायें
बंगाल	४०	१६
मद्रास	४३	१७
महाराष्ट्र	४१	१६ १/२
केरल	५४	३८.४

अब आप देखें कि पूरे देश में शिक्षा पर वार्षिक व्यय ३ अरब रुपया होता है और हमारे सूबे में यह रकम करीब २५ करोड़ और कुछ लाख के है जब कि पूरे देश की आबादी का १७ प्रतिशत यहां रहता है। लेकिन पूरे देश के शिक्षा के व्यय का दस प्रतिशत ही यहां खर्च होता है। यह स्थिति यहां पर शिक्षा की है। इस परिस्थिति से हमारे यहां की शिक्षा के स्तर और यहां के अध्यापकों की व्यवस्था से गहरा संबंध है। आज विशेष रूप से यह प्रस्ताव शिक्षा संसार में फैली हुई अव्यवस्था के विषय में है और आज इन प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भारी अव्यवस्था व्याप्त है। हमारे प्रदेश का अध्यापक वर्ग, आज असन्तुष्ट है। आज हमने अपने बच्चों और अध्यापकों का जीवन कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सौप दिया है जो प्राइवेट संस्थाओं में उनकी जिन्दगी और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह संस्थायें व्यापार के लिये और राजनैतिक कार्यों के लिये चलाई जाती हैं और वहां बच्चों की शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है और इसीलिये जब इस असन्तोष की सीमा बहुत बढ़ गई तो अध्यापक संघ ने मांग की कि सरकार इस राज्य में शिक्षा का और इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करे। आज हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और भविष्य में बच्चों के जीवन स्तर को उठाना है तो यह आवश्यक है कि हम अपने यहां की शिक्षा पर अधिक ध्यान दें।

आज हमारे सूबे में स्थिति क्या है? आज पूरे प्रदेश में इन संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में इसलिये नहीं ले सकती क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे पास उसके लिये पैसा नहीं है और बजट नहीं है और इससे मैं सहमत हूं। यू० पी० में या किसी भी प्रदेश में अगर हमें जनतंत्र को सफल बनाना है या नियोजन को सफल बनाना है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, समाजवाद को सफल बनाना है तो हमें अपने यहां बहुत शीघ्र शिक्षा के स्तर को उठाना पड़ेगा और उसको अधिक व्यापक भी बनाना होगा। बहुत से लोग समझते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की संख्या बढ़ गई है और इसी कारण से स्तर गिरता जा रहा है। पिछले ४० वर्षों में इंग्लैन्ड में यूनिवर्सिटीज में छात्रों की आबादी ६ गुना बढ़ गई, लेकिन उनकी शिक्षा के स्तर को नहीं गिरने दिया गया। उसको दिन प्रति दिन ऊंचा किया गया। हमारे यहां क्या है? स्कूल बढ़े, लड़के बढ़े, लेकिन अव्यवस्था है क्योंकि वहां साज सज्जा नहीं है, पुस्तकालय अच्छे नहीं, ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जैसे अध्यापकों के हाथ सौंपा है उनकी जनरल नालेज इतनी कम है, इतना संकुचित दृष्टिकोण है, उनका प्रशिक्षण अच्छा नहीं तो कैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है?

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हमारे यहां नर्सरी शिक्षा, जिसका महत्व सारे संसार में समझा गया है, में ७,५५४ बच्चे थे पौने ८ करोड़ की आबादी में से। दुनिया में माना गया है कि अगर शिक्षा स्तर को ऊंचा करना है तो नर्सरी स्कूल बढ़ने चाहिये, प्राइमरी शिक्षा अच्छी होनी चाहिये। लेकिन वह स्तर काफी नीचे है। वह बच्चे जब आगे जाते है तो उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती है। क्या सोचने की बात नहीं कि ढाई, तीन लाख में से केवल ४२,४४ प्रतिशत बच्चे ही हाई स्कूल और इंटर में पास होते हैं? यह गंभीर विषय है। बाहर के लोग जब इस प्रतिशत को देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। इस पर हमको सोचना चाहिये।

शिक्षा स्तर गिरने और अनुशासनहीनता बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि देश और प्रदेश में शिक्षा की कोई स्थिर नीति नहीं बन सकी। जो समाज की रूप रेखा हमने बनाने का निश्चय किया है क्या उसके अनुरूप शिक्षा है? समाजवाद का रिफलेक्शन, धर्म निरपेक्ष नियोजन आदि की कोई जानकारी टीचर्स को है? नहीं है तो विद्यार्थियों में कहां से आयेगी? मैंने दो, तीन समाजवादी देशों में देखा है, रूस और रूमानिया में कि बच्चों पर जितना स्कूल में ध्यान दिया जाता है उससे कहीं अधिक उनके खेल कूद, उनके ऐस्थेटिक सेंस, मेंटल फैकल्टीज को डेवलप करने पर दिया जाता है। उनके चिल्ड्रेन पैलेस बने हैं जगह-जगह पर, केवल डंडे के बल पर शिक्षा नहीं दी जाती है, आज वहां राकेट छोड़ा जाता है तो बच्चे उस पैलेस में राकेट के माडेल तैयार करते हैं, उनके अन्दर पैराशूट से उतरने की तमन्ना होती है, संगीत कला, साइंस, टेक्नोलोजी का ज्ञान इन क्लबों में कराते हैं ताकि बच्चे का आलराउन्ड डेवलपमेन्ट हो सके। हमारी सरकार का ध्यान इधर कतई नहीं गया।

दूसरी बात, जो आज हमारी विशेष समस्या है, वह है हमारे सूबे के अन्दर स्कूलों और कालेजों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता। यह अभिभावकों और जनता के लिये एक बड़ा चिन्ता का विषय है। हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचना है कि यह क्यों होता है। हमारे प्रदेश के अन्दर जितनी तादाद में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है उतने अध्यापक नहीं बढ़ाये जाते हैं। प्राइमरी स्कूलों में १५०-१५० विद्यार्थी होते हैं परन्तु उनके पढ़ाने के लिये वहाँ पर केवल १ या २ अध्यापक होते हैं। जिला बोर्डों में जिस तरह से प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा चल रही है वह अत्यन्त चिन्ताजनक है। जिला परिषद् के अध्यापकों को ४०-४० और २०-२० मील स्थानान्तरण कर दिया जाता है। महीने में एक-एक और पांच-पांच परवाने मिल जाते हैं और वे लोग जिला बोर्डों के दफ्तर में बैठे रहते हैं कि उनको ४०-४० मील और १०-१० मील भेज दिया गया है। आज जो सरकार शासन का विकेन्द्रीकरण कर रही है अच्छी बात है, लेकिन जो शिक्षा की हालत रही है हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना है और यह देखना है कि स्कूलों में शिक्षा के साधन हैं अथवा नहीं, साज-सज्जा है अथवा नहीं और उनमें लेबोरेटरीज हैं अथवा नहीं। सरकार को यह भी देखना चाहिये कि हर साधारण नागरिक को शिक्षा सुलभ हो सके। वह शिक्षित हो सके। सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि शिक्षा कामन पीपुल के विदिन ऐप्रोच (within the approach of comon People) हो। यही हमारा ऐम होना चाहिये; लेकिन स्कूलों की तादाद बढ़ा कर बच्चों की तादाद बढ़ा कर शिक्षा नहीं बढ़ती। हमें चाहिये कि अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाय। इसके अतिरिक्त इन इन्स्टीट्यूशन्स में टेक्स्ट बुक्स भी इस प्रकार की रखी जायं कि वे भी हमारे जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हैं उसी के अनुरूप हों। उनमें अच्छे-अच्छे लोगों की राय का समावेश होना चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे यहां अव्यवस्था फैली हुई है मैं समझता हूं सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम आटोनोमी की बात करते हैं। केवल इस प्रकार से स्वतंत्रता का स्लोगन देने से काम नहीं चलता। इस पर एक सामंजस्य होना चाहिये, शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार को स्पष्ट रूप से दखल देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि कोर्स और टेक्स्टबुक

को सरकार अपने हाथों में ले जैसा कि और देशों में है। ऐसी समितियां बनायें जिनका मुख्य संचालन, उनका बजट सरकार के हाथ में हो। और चीजों पर जिला बोर्ड के स्तर पर समितियां बनाई जायें जिसमें शिक्षाविद् हों, छात्रों के नुमाइन्दे हों, अभिभावकों के नुमाइन्दे हों और सरकार के नुमाइन्दे हों। वह बैठकर सोचे कि हमारी शिक्षा की क्या समस्यायें हैं। हम उनके ऊपर गौर करें और उनकी समास्याओं का निराकरण ढूंढ़े ।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आज यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। हमारे राज्य के अध्यापकों ने प्राइवेट स्कूलों के व्यवहार से परेशान होकर मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में वेतन-क्रम एक किए जायें। उन लोगों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल व्यापार की दृष्टि से चलाये जाते हैं और राजनीति के अड्डे बनाये जाते है। अतः मेरी प्रार्थना है कि अध्यापकों की इन बातों के ऊपर विचार कर सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति को मान ले। कम से कम सरकार को माध्यमिक शिक्षा को अपने हाथ में पूर्ण रूप से ले लेना चाहिये। यह मांग किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि उन अध्यापकों की है जो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिये उत्तरदायी हैं। मैं समझता हूं कि यह मांग उचित है और इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। आज सरकार के सामने काफी समस्यायें हैं। शिक्षा का स्तर गिर रहा है और भी अन्य समस्यायें हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार और राज्य की सरकार भी गौर कर रही है। मैं समझता हूं कि केवल आयोग की स्थापना से ही समस्या का निराकरण नहीं हो जायगा क्योंकि कमीशन बहुत बने, मुदालिर कमेटी, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी, यूनिवर्सिटीज के लिये राधाकृष्णन् कमीशन, और भी कई कमेटियां सरकार ने पिछले दिनों बनायी हैं और उनकी कुछ सिफारिशें लागू भी हुई हैं लेकिन कौन सी सिफारिश किस तरह लागू होनी चाहिये इस बात की जांच के लिये आयोग की स्थापना जरूरी है और वह सब समस्याओं पर पूरी तरह से जांच करे और सरकार के सामने सिफारिश करे और सरकार उनको अमल में लावे तभी वास्तविक कल्याण हो सकता है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि---संकल्प की पंक्ति दो में "तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप" निकाल दिया जावे। प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में जितनी भी बुराइयां है उनका एक मात्र कारण सरकार का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप है। संशोधन करते हुए श्री चन्द्रजीत जी ने कहा कि हर क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा हो। विरोधी पार्टियों की ओर से यह सैद्धान्तिक मतभेद की बात उपस्थित की गयी है। यह सही है कि शिक्षा संस्थाओं में गड़बड़ियां हैं, लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि सरकार हस्तक्षेप करे तभी गड़बड़ियां दूर हो सकती हैं। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, यह कहा गया है। बिलकुल ठीक है, बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं जो कि राजनीति में भाग लेते हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो छात्रों में लड़ाई झगड़ा कराकर अपने स्वार्थों की सिद्धि करती हैं। ऐसी शिक्षा संस्थाओं में दल बन्दियों पर रोक लगनी चाहिये और अध्यापकों पर ऐसी पाबन्दी लगनी चाहिये कि वे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकलापों में भाग न ले सकें।

इसके अलावा सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा अन्य शिक्षाओं का मूलाधार है। जब प्राथमिक शिक्षा ठीक होगी तो ऊपर की शिक्षा स्वभावतः अच्छी होगी। प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है तो उसका कारण मेरी समझ में यह है कि वहां बहुत से विषय कर दिये गये हैं। छोटी अवस्था के बालकों को भाषा, गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान जैसे कितने विषय पढ़ाये जाते हैं। जबरदस्ती उनको रटाया जाता है। नोट रटाकर उनको मजबूर किया जाता है कि वे जबरदस्ती पढ़ें और उन पर जबर्दस्ती ज्ञान को ठूसने की कोशिश की जाती है। परिणाम उनकी बुद्धि कम विकसित होती है और वे

[श्री माताप्रसाद]

उस उच्च ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिये सरकार को चाहिये कि गणित, भाषा और थोड़े से अन्य विषयों की व्यवस्था वहां करा दी जाय। ज्यादा विषय रखने से सारे विषयों में कमजोरी होती है, किसी भी विषय का अच्छा ज्ञान नहीं होता और जब वे माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचते हैं तो कमजोर रहते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में अंग्रेजी के विषय में अभी शायद विवाद भी होगा। लेकिन सरकार की ओर से उस पढ़ाई के लिये यह किया गया है कि कक्षा ३ में २५ नये पैसे, कक्षा ४ में ५० नये पैसे और कक्षा ५ में ७५ नये पैसे अंग्रेजी पढ़ने के लिये फीस के रूप में लिये जायंगे। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है जब कि ६ वर्ष तक सरकार ने फीस माफ कर रखी है।

हमारे यहां जिला परिषद् ने निश्चय किया है कि पूरे जिले में जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे उन पर किसी तरह की फीस नहीं लगाई जायगी क्योंकि ज्यादातर अध्यापक हाई स्कूल पास रखे जाते हैं जिसकी वजह से अलग से कोई अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिये कोई फीस अंग्रेजी पढ़ने के लिये प्राइमरी क्लासेज में न लगाई जाय वर्ना बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जायेंगे।

कहा गया कि सरकार हस्तक्षेप करती है। जो कमेटियां इन संस्थाओं में हैं उनमें झगड़े हैं जिससे बहुत सी संस्थाओं का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि जहां भी शिक्षा संस्थाओं में लड़ाई झगड़े हों वहां दोनों कमेटियां निरस्त कर दी जाती हैं और इन्तजाम जिला विद्यालय निरीक्षक को दे देते हैं। इससे आपस में जो झगड़े होते हैं उनके सुधार में काफी सहायता मिलेगी।

यूनीवर्सिटीज के बारे में यह गया है कि लाखों रुपया सरकार उन पर खर्च करती है, अगर थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कभी-कभी जरूरत पड़ने पर कर लेती है तो कोई बेजा बात नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जिन डिग्री कालेजेज की आर्थिक हालत अच्छी हो और अनुशासन भी अच्छा हो उनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की इजाजत दी जाय जैसे जौनपुर में टी० डी० कालेज है और वहां के छात्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रथम आया करते हैं।

इसके अलावा इन कालेजों में जो क्लर्क हैं वे सुबह ९ बजे घर से कालेज आते हैं और रात को ८, ९ बजे तक काम करते हैं काफी परिश्रम करते हैं, उनके वेतन के विषय में सरकार को विचार करना चाहिये और उनके वेतन को बढ़ाना चाहिये। अगर इन शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था को ठीक करना है तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिये तभी हमारे प्रदेश का शिक्षा का कार्य ठीक प्रकार से चल सकता है।

एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं जिनमें करीब ४० हजार अध्यापक हैं उनके राष्ट्रीयकरण की मांग की गयी है। सरकार को इसमें काफी परेशानी होगी इस वजह से वह हिचकिचायेगी। लेकिन मैं यह सुझाव रखता हूं कि कम से कम माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और उनका एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण हुआ करे। इससे जो बहुत ज्यादा खराबियां शिक्षा संस्थाओं में हो रही हैं वे दूर हो जायंगी।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प और उसमें जो संशोधन आया है, दोनों को एक में मिलाकर मैं कुछ बातें कहूंगा पर कहने के पहले बहुत ही दुख के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में और सब विभागों में व्यवस्था के अन्य विभिन्न पहलुओं में जो भी

असंतोष, अव्यवस्था या चिन्ताजनक स्थिति हो शिक्षा के क्षेत्र में यह असंतोष की स्थिति सरकार की उपेक्षा के कारण और भी अधिक है । जो संकल्प आया है उस पर बहुत ही उपयोगी सुझाव हमारे शिक्षा मंत्री को दिये जायंगे, लेकिन यह तो एक निराशा की स्थिति कभी-कभी बोलने वालों के सामने आती है कि यह सदन ऐसा स्थान है जहां इसलिये बोला जाय कि बोलने का कभी-कभी अपना कुछ कर्त्तव्य सा तो मालूम हो परन्तु यह सोच कर बोला जाय कि उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा ।

(इस समय ४ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुये।)

में शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद हम वक्ताओं को यह सोचने का मौका न मिले कि जैसे अन्य विषयों पर केवल बोलने के लिये बोला जाता है वैसे ही आज बोलने के लिये बोला जाय और उसका कुछ मतलब नहीं निकला । बहुत ही महत्व का विषय है और जो बोल रहे हैं, जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है, जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है केवल उन्हीं के बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, सवाल हम और आप सब के बच्चों का है। अगली पीढ़ी को योग्य बनाने के लिये और दुनिया की तुलना में अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के लिये यह बड़ा राष्ट्रीय सवाल है इस माने में कि आपका प्रदेश इस देश में सब से महत्वपूर्ण राज्य है । यहां अगर प्रगति होगी तो केंद्र की प्रगति होगी जो सारे राष्ट्र में एक नयी चेतना का कारण बनेगा। इन बातों के साथ मैं कुछ बहुत ही महत्व की बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्राइमरी शिक्षा के संबंध में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी कुछ दिन पहले आपकी एजूकेशन सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई जिसने सैकड़ों तालिकायें प्राइमरी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखीं। आज हमारे सदस्य उन तालिकाओं के आंकड़ों को देखें जो दिल दहला देने वाले आंकड़े हैं और यह सोचें कि जब से यह सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई तब से आजतक इन ७-८ वर्षों में हमारी प्रांतीय सरकार के शिक्षा विभाग ने क्या-क्या सुधार किये तो मालूम होता है कि वे तालिकायें जो सूचना देती हैं हमारी प्राइमरी शिक्षा के संबंध में उससे हम अधःपतन की ओर गये हैं । तब लगता है कि जैसे यह सर्वे रिपोर्ट काम की नहीं हुई और व्यर्थ में खर्चा बढ़ाने का कारण बनी उसी तरह से यह आयोग बनाने का प्रस्ताव भी वैसे ही न रह जाय । यह शिक्षा मंत्री जी के ध्यान देने की बात है ।

यह जो आप प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों की कागज पर संख्या बढ़ाकर यह दिखाना चाहते हैं कि आपने शिक्षा में प्रगति की है यह कुछ नहीं है । आज आप जो एक-एक अध्यापक के स्कूल खोलते चले जा रहे हैं, यह भयंकर रूप से बालकों के विकास और ज्ञान को बढ़ने में बाधा पहुंचा रहे हैं । इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं । कभी-कभी तो हमें बड़ा दुख होता है कि एक-एक या दो-दो अध्यापकों वाले स्कूलों की क्या स्थिति होती होगी । आप स्वयं सोच सकते हैं, जहां एक या दो अध्यापक दर्जा एक से लेकर पांच तक पढ़ाते होंगे वहा कैसे काम चलता होगा । माननीय सदस्यों से यह छिपा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल अधिकतर दो कमरों के होते है और बहुत हुआ तो एक बरामदा और हो गया । इस तरह से एक अध्यापक इतने लड़कों को लेकर बैठता है । इस तरह से सारे दिन वह सिर दर्द मोल लेता है, कभी एक आध दर्जे को वह पढ़ा देता है बाकी विद्यार्थी बिना एक लफ्ज पढ़े शाम को घर लौट आते हैं । बाज-बाज कक्षाओं में तो हफ्ते-हफ्ते तक पढ़ाई नहीं होती है । साल भर बीत जाता है लेकिन दर्जा दो के लड़के १०० तक गिनती नहीं जान पाते हैं । आप जो यह कागज पर प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोल रहे हैं, इनके लड़के जो इंटर और बी० ए० में पहुंच गये हैं उनको "ईश्वर", "ऊपर" लिखना नहीं आता है, चन्द्रबिन्दु लगाना नहीं आता है और ऐसे मामूली सवाल करने नहीं आते हैं जिनको अपढ़ और साग बेचने वाले तक लगा लेते है ।

[श्री रघुनाथसिंह]

आपकी प्राइमरी शिक्षा शिक्षा न होकर वह अपने बच्चों के विद्या मंदिर में जीवन बलिदान करने वाली चीज बन गई है । आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

दूसरे जब आप समाजवादी समाज की रचना की बात कहते हैं तो इस जनतंत्र सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है कि वह अपने यहां की अधिकांश शिक्षा संस्थाओं को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे । सरकार बहाना करती है कि उसके पास पैसा नहीं है । इसलिये यह चला रहे हैं और प्रबन्ध समितियों ने बहुत पैसा लगाया है । लेकिन आंकड़ों से सिद्ध होता है माध्यमिक शिक्षा पर मैनेजिंग कमेटी मुश्किल से ३ या ४ परसेंट रुपया लगाती है और न जाने कितना अधिक रुपया आपके आवर्तक और अनावर्तक अनुदानों से ले लेती है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे जहां आप बिना सूचना के किसी भी जिले के किसी विद्यालय में चले जाइये । वहां आप देखिये, विजुअल एजूकेशन की फीस ली जाती है, विजुअल एजूकेशन होती है या नहीं, चने कीं फीस ली जाती है, चना बाटा जाता है या नहीं । इंटरमीडिएट के रजिस्टर में देखिये ७५,७५ तक एक सेक्शन में लड़के भरे हैं । लड़कों का नाम तक अध्यापक नहीं जानता है, वह पढ़ायेगा क्या ? माननीय सदस्य भी इस बात के कायल होंगे, कि ऐसे भी माध्यमिक शिक्षालय हैं जिनके प्रबन्धकों ने उनके जरिये करोड़ों रुपये तक कमा लिये हैं । मैं अतिशयोक्ति नहीं करता । आप कहते हैं कि मैनेजिंग कमेटी काफी रुपया लगाती है इसलिये इन स्कूलों को चलाया जा रहा है । किसी भी समाजवादी व्यवस्था को सोचने वाली सरकार के लिए यह उचित नहीं है कि वह ऐसे ऐरा गैरा लोगों को जो आपका रुपया तक खा जाते हैं उनको अधिकांश बच्चों का जीवन बरबाद करने दे । मैं जोर दे कर कहूंगा कि इस पर आप चिन्तनीय ढंग से विचार करें ।

दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए १६ वर्ष हो चुके । जनतांत्रिक चुनाव हुए । सरकारें बनीं और आप अपनी घोषणा में न जाने कितना बड़ा विकास हुआ बता रहे हैं लेकिन क्या इस जनतांत्रिक राज्य में यह शोभा की बात है कि जातीय संस्थायें चले ? क्या आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन जातीय संस्थाओं से कितना जातीय विष फैलता है ? वैसे ही हमारे देश में जाति और सम्प्रदाय बने हुए हैं । जहां गांव सभा के चुनाओं में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में, विधान सभा और लोक सभा के चुनाओं में लोग जातिवाद का रिहर्सल करते चलते हैं वहां यह जातीय संस्थायें उस विष को फैलाने में सहयोग कर रही हैं और अवांछनीय रूप से काम कर रही हैं । लगता है कि इन जातीय संस्थाओं का नाम तोड़ने में कोई बहुत बड़ी रकम लगने वाली है । इसलिये उस काम को नहीं कर पा रहे हैं । इस ओर से भी आप को निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा ।

मैं एक बात जोरदार ढंग से रखना चाहता हूं । जब तक सरकारी माध्यमिक विद्यालय रहेंगे और बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं रहेंगी, जब तक मांटेसरी स्कूल रहेंगे, जब तक तीन चार सौ रुपया प्रति बालक पर खर्च करने वाली शिक्षा संस्थायें रहेंगी, जब तक फटे टाट जमीन पर बैठने वाले एक एक, दो दो अध्यापकों से चलने वाले स्कूल रहेंगे तब तक निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का कल्याण नहीं हो सकता और समाजवादी समाज की रचना कागज पर रहेगी और आपका मनोबल गिराने वाली यह बात होगी । इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब लोग एक ही नाव के मुसाफिर हैं, डूबेंगे तो सब डूबेंगे । उबरेंगे तो सब उबरेंगे, इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय के इस संकल्प पर जो बातें कही जा रही हैं, और जैसा कि संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उस पर तथा जो और भी भाषण होंगे उन पर गम्भीरता से आप विचार करें और इस सम्बन्ध में अपनी बहुत ही उदार और सजग मनोवृत्ति अपना कर प्रमाणित करें कि उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही जागरूक और कर्तव्यपरायण शिक्षा मंत्री मिला है और उसके शिक्षा मंत्रित्वकाल में इस प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम भविष्य उज्ज्वल होगा, ऐसी आशा हम प्रदेश के लोगों में पैदा करें ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मूल प्रस्ताव में माननीय माता प्रसाद जी का जो संशोधन है कि राजकीय हस्तक्षेप शब्द निकाल दिये जायं, उसके साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहती हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि प्रस्तावक महोदय ने शिक्षा संस्थाओं में अशान्ति अव्यवस्था और शिक्षा के स्तर के गिरने की बात कही है और उधर की तरफ से जो माननीय सदस्य बोले हैं उन सब ने किन्हीं न किन्हीं शब्दों में शिक्षा का राष्ट्रीय करण होना चाहिये, सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिये, यह कहा है, फिर ये शब्द मूल प्रस्ताव में किस तरह फिट होते हैं। जहां यह कहा गया मूल प्रस्ताव में कि एक आयोग की स्थापना की जाय इसकी जांच के लिये वहां पर मैं यह समझना चाहती हूं कि यदि आप सरकार से यह अपेक्षा रखते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में फैली अव्यवस्था के लिये, अशान्ति के लिये और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये एक आयोग बनाकर उसकी जांच करवायें, तो क्या आप यह नहीं अपेक्षा करते कि उनके निर्णय के बाद भी जिस निष्कर्ष पर सरकार पहुंचती है इस जांच के बाद उसको अमल में लाने के लिये सरकार के हाथ में भी कुछ शक्ति होनी चाहिये जिससे कि वह उसमें हस्तक्षेप करे और आज जो अव्यवस्था फैली है और शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उसे ठीक करे और उस आयोग की स्थापना का कोई महत्व भी हो सके, उससे कुछ लाभ भी हो सके। मैं यह समझती हूं कि स्वतंत्रता के बाद अभी तक शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार एक्सपेरिमेंट ही करती चली जा रही है। प्रत्येक वर्ष कोई न कोई नयी बात कही जाती है।

पिछले वर्ष में अलग-अलग रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऐजूकेशन के सम्बन्ध में निकली हैं, डाक्टर राधाकृष्णन की, और मुदालियर की रिपोर्ट निकल चुकी है। बेसिक एजूकेशन पहले प्रारम्भ किया गया और फिर उसको किसी तरह खत्म किया गया। डाक्टर जाकिर हुसेन साहब का एक अपना मत है शिक्षा के क्षेत्र में। इन सब चीजों के अन्दर जब हम जाते हैं तो यही समझ में आता है कि अभी तक हमारी ओर से कोई शिक्षा की विशेष नीति निर्धारित नहीं की जा सकी है। कोई भी राष्ट्र अपने एक उद्देश्य को ले कर आगे चलता है। हमारे सामने भी अब हमारा उद्देश्य आज बहुत स्पष्ट हो चुका है। हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में समाजवाद का नारा दिया है। हमारे सामने एक नक्शा बन रहा है कि किस तरह आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे समाज में हम ले जाना चाहते हैं? उसकी क्या रूपरेखा होगी? हम यह समझते हैं कि हमारी पुरानी विचारधारा जो है उसमें जब तक हम एक मोड़ नहीं देंगे उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक समाजवाद की ओर निश्चित रूप से हम कदम नहीं बढ़ा सकते। हम लोग यह जानते हैं कि हमारा जो सामाजिक स्तर रहा है, जो हमारा सोचने का ढंग रहा है उसके ऊपर शिक्षा का विशेष असर रहा है।

जिस तरह से शिक्षा अंग्रेजों के जमाने में शुरू की गई थी, जिस प्रणाली से हम अपने विश्व-विद्यालयों में और प्राइमरी सेक्शन में शिक्षा दे रहे हैं उससे जो लिंक जुड़ा हुआ है वह कहां ले जाने वाली चीज है। आज जो हमारे शिक्षा मंत्री हुये हैं उन्होंने पिछले दिनों में समय-समय पर अपने वक्तव्य दिये हैं। उससे स्पष्ट होता है कि हम आज यह स्थिर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी शिक्षा की नीति सही है। आज मैं अखबार में पढ़ रही थी। उसमें यह कहा गया था कि बहुत से ऐसे टेक्नीकल जूनियर स्कूलों की आवश्यकता है। आज यूनिवर्सिटी की तरफ जो लड़के दौड़ते हैं और हायर ऐजूकेशन पाने की कोशिश करते हैं वे बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो कर सोचते हैं कि क्या करें और किस तरह से अपनी जीविका का साधन इकट्ठा करें। यह हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनको ठीक रास्ते पर लगावें। आज बहुत से ऐसे स्कूल कालेज हैं कि जहां पर लड़के भरे पड़े रहते हैं और उन शिक्षा संस्थाओं से निकल कर नवयुवक यह नहीं समझ पाते हैं कि वह अपना जीवन किस तरह से प्रारम्भ करें। उसका एक यह नतीजा होता है कि वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। यह समाज के अन्दर एक सवाल है जिस पर हमें विचार करना है। उसके सम्बन्ध में जब ऐसे संकल्प सदन में लाये हैं तो उस पर हमको विचार करना पड़ेगा।

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

हमने अगर समाजवाद का नारा दिया है और हम समाजवाद को लाने वाले लोगों को बनाना चाहते हैं तो वे इन संस्थाओं में ही बनाये जा सकते हैं।

आज जो शिक्षा का रूप है जिसकी आज हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम समाजवाद को नहीं ला सकते हैं। हम उनको यह नहीं बताते हैं कि जो जीवन की मान्यतायें हैं, जिनको हम सही समझते हैं वे क्या हैं। आज हाथ से काम करना या श्रम करना उचित नहीं समझा जाता है। इसकी शिक्षा बहुत कम होने लगी है। यही कारण है कि गांव के लड़के जो स्कूल कालेज में शिक्षा पाते हैं वह गांव की तरफ नहीं जाते हैं। वही टेलेंट नौकरी पेशे में चला जाता है। क्योंकि हमारा ध्यान श्रम की ओर नहीं है। वह श्रम करना नहीं चाहते हैं और हल जोतने की बात नहीं सोचते हैं। यहां हम प्रजातंत्र के आधार पर समाजवाद लाने की बात करते हैं लेकिन इसके लिये हमको शिक्षा संस्थाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता देनी पड़ेगी और उस स्वतंत्रता के लिये लिमिटेड स्फेयर में सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है। आज जो स्कूल कालेज हैं उनमें कुछ सरकारी हैं और कुछ गैर सरकारी हैं। कुछ पर सरकार का कंट्रोल है और कुछ पर नहीं है। इसका परिणाम यह है कि अध्यापकों के वेतन में डिस्पेरिटी है। कहीं ज्यादा है कहीं कम है। उनमें जो सामान होना चाहिये उसकी कमी होती है। सरकार की ओर से कानून तक बने हुये हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। साइन्स के लिये कक्षा खोलने की बात है। उसके लिये कहा गया है कि जब सब सामान उसका हो जाय तो कक्षा खोली जा सकती हैं लेकिन जब बाद को वह खुल जाती हैं तो उनमें वह सब इक्विपमेंट नहीं रहता है। उसका नतीजा यह होता है कि वे शिक्षा संस्थायें सुचारु रूप से शिक्षा नहीं दे पाती हैं। तो अधूरी शक्ल में देती हैं। एक असंतोष का वातावरण रहता है। जनसंख्या की अधिकता के कारण भी असंतोष है और लोगों में यह भावना फैल गयी है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिये। इसके लिये जितने विद्यालयों की आवश्यकता है वह हमारे प्रदेश में नहीं हैं, हमारे पास ट्रेंड अध्यापक नहीं हैं और इन सब का नतीजा—चारों ओर असंतोष का एक वातावरण फैल गया है।

शिक्षा में अव्यवस्था आ गयी है और यह सब प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुये हैं और उनको हम अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिये हमें अपनी शिक्षा नीति को बदलना होगा और हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारे साधन हैं उनको अपना कर हम किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। जो अव्यवस्था आज है वह बहुत गम्भीर है। हमारे चरित्र का स्तर जिस प्रकार गिरता जा रहा है वह भी एक भयानक स्थिति है। हम अपने विश्वविद्यालयों में किस प्रकार के चरित्र का निर्माण कर रहे हैं इसका एक उदाहरण इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हड़ताल है और उसके कारण प्रदेश में किस प्रकार की अव्यवस्था फैली यह सब हमारे सामने है। इसके कारण में जाने की आवश्यकता है। हम जनता के प्रतिनिधि यह कह कर या मान कर या एक दूसरे पर दोषारोपण करके बच नहीं सकत कि शिक्षा संस्थाओं में गड़बड़ी है और उसके लिये सरकार दोषी है और वह काम नहीं चला सकती। हम सबका यह कर्तव्य है कि इस स्थिति को भयानक समझकर हम इसका निदान सुझायें। मैं समझती हूं कि इस बात की आज बहुत ही आवश्यकता है कि हमारी पूरी शिक्षा नीति पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाय और इसके लिये कमीशन नियुक्त किया जाय जो कि गत १७ वर्षों के अनुभव के आधार पर और जो नये समाज का निर्माण करने हम जा रहे हैं उसका नक्शा सामने रखते हुये और जो वर्तमान देश की आर्थिक स्थिति है, जनसंख्या है, जो अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति है उसके अनुभव का लाभ उठा कर देश के वातावरण के अनुसार नवयुवकों को तैयार करने के लिये एक शिक्षा नीति निर्धारित करे। इसके लिये देश के बड़े-बड़े विद्वानों की एक कमेटी बनायी जाय और अगर उसकी राय हो कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो वह भी हमको करना चाहिये। लेकिन यह सब बड़े प्रश्न हैं और इनको यहां केवल दो घंटे की बहस में नहीं तय किया जा सकता। इसलिये मैं एक आयोग बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

*श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुशासनहीनता, पाठ्यक्रम, अध्यापक, आदि के विषय महत्वपूर्ण अवश्य हैं, लेकिन यह सब प्रश्न शिक्षा के सामने गौण हैं। शिक्षा के कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अगर उनका जवाब नहीं मिलता तो शेष बातें जो कुछ भी कही जाती हैं वह केवल अनर्गल प्रलाप ही हो जाता है। पिछले १५ साल का शिक्षा का इतिहास रहा है कि अब तक हम केवल अंधों की तरह से लकड़ी हांक कर चल रहे हैं। राष्ट्रपति राधाकृष्णन, आचार्य विनोबा भावे और डाक्टर राजेन्द्र बाबू जैसे मनीषियों के बयान हम देख सकते हैं जिन्होंने कहा है कि यह शिक्षा हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। बहुत से कमीशन बैठे, बड़े विचार विमर्श हुये, मुझे भी २, ४ मनीषियों से इसके बारे में बात करने का अवसर हुआ। एक बार हमारे स्कूल में आचार्य विनोबाजी गये थे। मैंने कहा कि क्या इन शिक्षा संस्थाओं में हम नौकरशाही के लोग पैदा करके नौकरशाही के भरोसे पर देश में समाजवाद की व्यवस्था कर सकेंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि यह नहीं हो सकता। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरी चले तो मैं वर्तमान स्कूलों को जलवा डालूं, इनमें तो कंस पैदा होते हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव जी हमारे यहां के नेता थे। मैंने उन से कहा कि आपने क्या सलाह दी है। उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम की सलाह बताई। मैंने कहा कि आचार्य जी यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। ऐसे काम को तो मेरे जैसे मास्टर भी करते हैं कि कौन से सबजेक्ट जरूरी हैं कौन से नहीं हैं। देश के सामने प्रश्न तो यह है कि आप शिक्षा को सुलभ और सस्ती कैसे दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि आप शिक्षा के द्वारा देश को रचनात्मक नेतृत्व कैसे दे सकते हैं। आज हमारी शिक्षा की अवस्था यह है कि केवल हम उससे परमुखापेक्षी और शोषक बाबू वर्ग ही पैदा करते हैं। चाहे कोई डाक्टर, वकील, कानूनगो, डिप्टी कलेक्टर या जज हो, जिस भी रूप में कोई हो, उसके पास केवल उपदेश देने के लिये है, और लेने के लिये जनता की सारी सत्ता, धन, श्रम-शक्ति और शोषण है। यह हमारी आज कल की शिक्षा है। तीसरा प्रश्न है कि केवल शिक्षा को अलग करके हम समाज की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं। हमारी अब तक की गलती यही रही कि हम या तो यूनिवर्सिटी स्टेज पर ही, या प्राइमरी स्टेज पर ही, या आबादी की ओर या भ्रष्टाचार की ओर ही निगाह डालते रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब ५ ।। बज गये हैं। आपका भाषण फिर जारी रहेगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कहिये।

श्री प्रेमसिंह—

गर हम ही मकतबो, हम ही मुल्ला, कार तू तिफलां तमाम वाहिद शुद। अर्थात् यदि यही स्कूल रहे और यही अध्यापक तो समझ लीजिये कि बच्चे क्या पढ़ेंगे? कल्पना कीजिए कि उनका क्या परिणाम होगा? खुदा ही जाने।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्ता का भुगतान) नियमावली, १९६३

खण्ड २

परिभाषाएं

२---विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस नियमावली में---

(१) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ से है;

(२) "आयुक्त" का तात्पर्य जिले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले मंडल-आयुक्त से है;

(३) "खण्ड" का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम के अधीन उसे दिया गया है;

(४) "क्षेत्र समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा ५ के अधीन स्थापित क्षेत्र समिति से है;

(५) "जिला परिषद्" या "परिषद्" का तात्पर्य अधिनियम की धारा १७ के अधीन स्थापित जिला परिषद् से है; और

(६) "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष", "प्रमुख" और "उप-प्रमुख" का तात्पर्य क्रमशः जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र समिति के प्रमुख और दो उप-प्रमुखों में से किसी एक उप-प्रमुख से है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्ता का भुगतान) नियमावली, १९६३ के खंड २ में परिभाषा (६) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:---

(७) "सदस्य" का तात्पर्य जिला परिषद् के सम्बन्ध में जिला परिषद् के सदस्य तथा क्षेत्र समिति के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति के सदस्य से है।

अधिष्ठाता महोदय, इस नियमावली में माननीय सदस्यों के लिये भी यात्रा भत्ता लेने की व्यवस्था है और परिभाषा में खंड ६ में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख और उप-प्रमुख की परिभाषायें दी हैं। तो कोई कारण नहीं है कि सदस्यों की परिभाषा भी इसमें न रखी जाय। खंड ४ में उपाध्यक्ष और सदस्यों के यात्रा-भत्ते की बात है। आगे चल कर उपप्रमुख और सदस्यों के यात्रा-भत्ते की बात खंड ८ में है। तो सदस्यों शब्द का प्रयोग जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के संबंध में, दोनों में, होना चाहिये। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि धारा (६) के बाद सदस्यों की परिभाषा हो जाय और क्षेत्र समिति के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सम्बन्ध में जिला परिषद् के सदस्य हो, इसका होना बड़ा आवश्यक है।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

श्रीमन्, क्षेत्र समिति के सदस्य के साथ क्षेत्र समिति में हमने सदस्य जोड़ा है और जिला परिषद् के साथ भी सदस्य है। क्षेत्र समितियों के सदस्यों को इसलिये यात्रा भत्ता देने का प्राविधान नहीं है कि ८७५ क्षेत्र समितियां है और कहीं-कहीं तो १३२ तक सदस्यों की संख्या है। इस प्रकार १ लाख के करीब सदस्यों की कुल संख्या पहुंच जावेगी। जिला परिषद् के सदस्य को तो भत्ता देने की बात कुछ समझ में आती है, वह ३०-४० मील तक से आता है।

क्षेत्र समिति का रेडियस १०, १५ मील का कोई ही होगा वरना, ४, ६ मील ही उनको पड़ता है। तो इस संशोधन के स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। जिला परिषद् वालों को तो हमने सदस्यता में रखा है। उनको १२ नये पैसे वहां मिलेगा जहां बस नहीं है और बस से फर्स्ट क्लास का किराया तथा रेल में सेकिन्ड क्लास का किराया उनको मिलेगा। यह प्राविधान है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वह १०-२० मील की दूरी से आ सकता है। मगर जब उनको कोई इन्टरेस्ट नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं, तो वह इतनी दूरी से क्यो आयेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

अगर हम क्षेत्र में ट्रैविलिंग एलाउन्स की बात ले आयेंगे तो जन सहयोग की बात ही समाप्त हो जायेगी। फिर उसके लिये तो समय-समय पर जो संस्था होगी, अपने-अपने बजट के अनुसार वह उसको करती रहेगी।

श्री रक्षपालसिंह---

मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने संशोधन नं० ३ पर अपना भाषण दे दिया जब कि मैंने केवल नं० १ का ही रखा था। इसमें केवल सदस्य की परिभाषा का ही जिक्र है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं साफ कर दूं। माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया। खंड ४ में यह है "परिषद् अपने उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को" यहां सदस्य शब्द है। जो संशोधन माननीय सदस्य चाहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। क्षेत्र समिति के लिये यह है कि क्षेत्र समिति, अपने प्रमुख को प्रत्येक दिन के लिये जब वह अपने सामान्य निवास स्थान से क्षेत्र समिति के कार्य से लगातार चार घंटों से अधिक अवधि के लिये बाहर रहे, ३ रुपये की दर से दैनिक भत्ता और उसके द्वारा बस, रेल या किसी अन्य किराये से वाहन से की गई प्रत्येक यात्रा के लिये द्वितीय श्रेणी के सरकारी सेवकों को अनुमन्य दर से यात्रा भत्ता देगी। प्रतिबन्ध यह है कि खंड के भीतर की गई प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में, प्रमुख, यात्रा से लौटाने से एक सप्ताह के भीतर, अपने कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजेगा। फिर सदस्य जो समिति की बैठक के लिये जायेगा उसको भत्ता मिलेगा और किसी कार्य के लिये अगर नियुक्त कर दिया गया है तो उसके लिये भत्ता मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड २ में परिभाषा (६) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

(७) "सदस्य" का तात्पर्य जिला परिषद् के सम्बन्ध में जिला परिषद् के सदस्य तथा क्षेत्र समिति के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति के सदस्य से है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

अध्यक्ष के लिए यात्रा भत्ता और जीप कार की व्यवस्था

३---(१) यदि अध्यक्ष को परिषद् के काम से जिले में या उसके बाहर यात्रा करनी पड़े तो उसे परिषद् द्वारा प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों को अनुमन्य (admissible) दर से यात्रा-भत्ता दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जिला परिषद् द्वारा अपने अध्यक्ष के लिये जीपकार की व्यवस्था की गयी हो तो वह जिले के भीतर जीप कार पर यात्रा करेगा और उसे ऐसी यात्रा के लिये कोई यात्रा-भत्ता न दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अध्यक्ष द्वारा उपनियम (२) के खण्ड (च) में की गई व्यवस्था के अनुसार जिले के बाहर जीपकार पर यात्रा की जाये, तो ऐसे यात्रा के लिये भी उसे कोई यात्रा भत्ता न दिया जायेगा।

(२) जिला परिषद् अपने अध्यक्ष के अधिकारिक उपयोग के लिये जीपकार की व्यवस्था कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि:—

(क) उन असामान्य परिस्थितियों को छोड़ कर, जिनमें आयुक्त का पूर्वानुमोदन लिया जायेगा, अध्यक्ष के उपयोग के लिये चार लगातार वर्षों की अवधि में एक से अधिक जीपकार न खरीदी जायेगी;

(ख) आयुक्त के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी जीपकार १७,५०० रुपये से अधिक मूल्य पर न खरीदी जायेगी;

(ग) परिषद् जीपकार का व्यापक रूप से बीमा करायेगी।

(घ) जीपकार परिषद् में निहित होगी और परिषद् की होगी;

(ङ) परिषद् जीपकार के अनुरक्षण (maintenance) और उसकी मरम्मत पर होने वाले व्यय को देगी, जो १,००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगा और पर्वतीय जिलों के परिषद् की दशा में जो १,२५० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगा, तथा ड्राइवर की भी आवश्यक व्यवस्था करेगी। एक या २ में, उपर्युक्त धनराशियों से हुई बचतें, यदि कोई हों, मरम्मत पर उपयोग किये जाने के लिये अगले वर्ष के लिये नियत धनराशि के साथ-साथ उस वर्ष में अग्रेनीत (carried forward) की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किन्हीं भी दो वर्षों की संचित बचतें किसी अनुवर्ती वर्ष में अग्रेनीत न की जायेंगी;

(च) अध्यक्ष को अपने आधिकारिक प्रयोग के लिये दी गई जीपकार का उपयोग अध्यक्ष द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना जिले के बाहर की यात्राओं के लिये या किसी व्यक्ति के निजी काम के लिये न किया जायेगा किन्तु अध्यक्ष अपने निजी काम के लिये जिले के भीतर उसका उपयोग कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रयोजनार्थ उसे पैट्रोल, तेल या चिकनाई सम्बन्धी व्यय (lubricant charges) को पूरा करने के लिये कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा और किसी माह में इस प्रकार की यात्रायें २५० किलोमीटर से अधिक न होंगी :—

(छ) अध्यक्ष को निम्नलिखित दर से भत्ते मिलेंगे:—

(१) ऐसे प्रत्येक दिन के लिये ५ रु० प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता जब वह परिषद् के कामों के संबंध में जिले के मुख्यालय से ५ मील के अर्द्धव्यास के बाहर किन्तु जिले के भीतर की गयी यात्रा के सिलसिले में लगातार चार घंटों से अधिक जिले के मुख्यालय के बाहर रहे;

(२) जीपकार द्वारा की गयी यात्राओं के संबंध में पेट्रोल, तेल और चिकनाई के व्ययों को पूरा करने के लिये ३० न० पै० प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की गई यात्रा यें किसी भी माह में १,६०० किलोमीटर से अधिक न होंगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि किसी विशेष माह में १,६०० किलोमीटर से अधिक यात्रा की जाय तो जितनी भी अधिक यात्रा की जायगी उसे तुरन्त बाद के महीनों में अनुज्ञेय यात्राओं से समान्यावित किया जायगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक तिमाही में की गयी कुल यात्रायें ४,८०० किलोमीटर से अधिक न हों ।

(ज) उपाध्यक्ष जीपकार प्रयोग करने का हकदार होगा जब वह अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति में या उसके पद की रिक्ति होने पर अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करे अथवा जब वह अध्यक्ष द्वारा उसे प्रतिनिहित किसी भी कर्त्तव्य का पालन, कृत्य का सम्पादन अथवा अधिकार का प्रयोग करे और वह उन्हीं भत्तों को पाने का हकदार होगा जो खण्ड (छ) के अधीन अध्यक्ष को अनुमन्य है:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खण्ड में नियत १,६०० किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत उपाध्यक्ष द्वारा की गई यात्रा भी सम्मिलित होगी;

(झ) जीपकार का ड्राइवर वृत्तपूंजी (log book) रखेगा और उसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा की जाने वाली यात्राओं के ब्योरे मुख्यालय से यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से दर्ज किये जायेंगे; और

(ञ) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष माह के अन्त में या उससे पहले अपने कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वह अपने द्वारा किये गये उस निरीक्षण (उन निरीक्षणों) अथवा सम्पादित अन्य ऐसे कार्य या कर्त्तव्य का उल्लेख करेगा जिसके लिये यात्रा की गयी हो, और ऐसी रिपोर्ट के न दिये जाने पर उसे कोई यात्रा व्यय न दिया जायेगा ।

(३) यदि जिला परिषद् के पास पहले से ही कोई कार, जीपकार या कोई अन्य वाहन हो तो परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इसका तब तक उपयोग किया जायेगा जब तक कि वह अनुपयोज्य (unserviceable) न हो जाय और उपनियम (२) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे ।

श्री रक्षपालसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ज) के बाद में (जज) जोड़ दिया जाय ।

"(जज) जिला परिषद् को अधिकार होगा कि वह परिषद् के प्रस्ताव द्वारा किसी अन्य सदस्य को भी परिषद् कार्य हेतु कार के उपयोग की अनुमति दे सके ।"

श्रीमन्, नियमावली में दो व्यक्तियों को कार का उपयोग करने का अधिकार है एक तो अध्यक्ष को और अध्यक्ष की जगह अगर उपाध्यक्ष काम करता हो तो उपाध्यक्ष को। मेरा संशोधन यह है कि यदि आवश्यक हो तो तीसरे आदमी को भी उसका उपयोग करने का हक हो ।

श्री बंशीधर पांडेय —

श्रीमन्, माननीय रक्षपालसिंह जी ने क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा। अध्यक्ष के स्थान पर अगर उपाध्यक्ष कार्य को सम्पादित करेगा और अध्यक्ष द्वारा उसको पावर्स ट्रान्सफर हो जायेंगे तो उपाध्यक्ष के लिये यह अधिकार है कि वह कार का उपयोग कर सके । जब वह अध्यक्ष की हैसियत से काम करेगा तभी उसका उपयोग कर सकता है ।

[श्री वंशीधर पाण्डेय]

किसी सदस्य को अध्यक्ष अपने कार्यों को ट्रान्सफर नहीं कर सकता । न ही कोई सदस्य अध्यक्ष के हटने पर उसका कार्य करने लग जायेगा ।

इसलिये किसी भी सदस्य को जीप कार, के प्रयोग करने का ऐक्ट में प्राविधान नहीं किया गया है । इसके अलावा मैं इसको एक फिजूलखर्ची भी मानता हूं । अगर माननीय सदस्य कहीं जायेंगे तो उनको सेकिंड क्लास का किराया भी मिलेगा ।

श्री रक्षपाल सिंह—

मेरे संशोधन की मंशा यह है कि ऐसे सरकमस्टैन्सेज आ सकते हैं जब हाउस का प्रस्ताव हो और कोई सदस्य किसी आवश्यक कार्य से कहीं भेजा जाय । उसी हालत में एलाउ किया जाय, ऐसी मेरी मंशा है । अगर ऐसा नहीं होगा तो जीप केवल दो आदमियों की प्रापर्टी होकर ही रह जायगी जो प्रजातंत्र में कोई अच्छी बात नहीं है । मान लीजिये किसी को २५ मील दूर भेजना है, अब जीप भी है और सदस्य भी जाने को तैयार, लेकिन जिला परिषद् के जरूरी काम को नहीं किया जा सकता । यह नियमावली में एक खामी रह गयी है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आजकल भी अध्यक्ष जीप को किसी भी सदस्य को दे देते हैं और किसी काम से भी भेज देते हैं । इस संशोधन के पास होने से तो न जाने क्या होगा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अगर ऐसा होता है तब तो हमें संशोधन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं मालूम पड़ती है । अगर ऐसा नहीं है तो जरा पंचायत राज की नजाकत को आप देखिये । जिला परिषद् का प्रेसीडेंट किसी काम के लिये जिस को भेजे इसकी लाइन ड्रा करना मुश्किल हो जायगा । और हर एक आदमी यह चाहेगा कि 'एज ए मैटर आफ राइट' जीप उसके साथ जाय। रक्षपालसिंह जी जरा उसकी नजाकत पर गौर फरमायें तब उनकी समझ में यह आयेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ज) के बाद में (जज) जोड़ दिया जाय :

(जज) जिला परिषद् को अधिकार होगा कि वह परिषद् के प्रस्ताव द्वारा किसी अन्य सदस्य को भी परिषद् के कार्य हेतु कार के उपयोग की अनुमति दे सके ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

उपाध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा भत्ता

४—परिषद् अपने उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को, जिला परिषद् या यथाविधि संघटित किसी समिति या उप-समिति की यथाविधि बुलाई गई बैठक में, यदि वह उसका सदस्य या पदाधिकारी हो, उपस्थित होने के लिये अथवा जब वह परिषद् द्वारा जिले के भीतर या बाहर कार्य के लिये विशेषरूप से प्रतिनियुक्त किया गया हो, निम्नलिखित दर से यात्रा भत्ता लेने की अनुमति देगी : —

(१) सड़क द्वारा उन मार्गों पर यात्रा करने के लिये जिन पर सरकारी रोडवेज या निजी बस सेवा उपलभ्य न हो, १२ नये पैसे प्रति किलोमीटर;

(२) सड़क द्वारा उन मार्गों पर यात्रा करने के लिये जिन पर बस सेवा उपलभ्य हो, दोनों तरफ से यात्रा के लिये प्रथम (अपर) श्रेणी के बस का किराया और २.५ नये पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अनुषांगिक व्यय (incidental charges); और

(३) रेल द्वारा यात्रा करने के लिये दोनों तरफ से यात्रा के लिये द्वितीय श्रेणी के रेल का किराया और २.५ नये पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अनुषांगिक व्यय ।

स्पष्टीकरण—यदि क्षेत्र समिति का कोई प्रमुख या सदस्य, जो जिला परिषद् का भी सदस्य है, परिषद् या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेता है, तो उसे जिला परिषद् द्वारा यात्रा-भत्ता दिया जायेगा।

श्री रक्षपालसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में "विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति किया गया हो," "व निम्नलिखित दर से यात्रा भत्ता लेने की अनुमति देगी" के बीच में "३ रुपया की दर से दैनिक भत्ता तथा" जोड़ दिया जाय ।

श्रीमन्, नियमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष को ५ रुपया दैनिक भत्ता दिया जायगा । दूसरे प्रमुख क्षेत्र समिति को भी ३ रुपया दैनिक भत्ता देने की व्यवस्था है । यह प्रस्ताव मैंने जिला परिषद् के सदस्यों की भावना को देखकर ही रखा है । क्षेत्र समिति का प्रमुख जब जिला परिषद् की बैठक में भाग लेने जायगा वह क्षेत्र समिति के कार्यकर्त्ता की हैसियत से जाता है । जब उसको ३ रुपया एक स्थान से मिलता है और वहां का सर्वोच्च अधिकारी भी जब ५ रुपया भत्ता लेता है तो अन्य सदस्यों को जो जिला परिषद् की बैठक में भाग लेते हैं, उनको उस अधिकार से वंचित क्यों रखा जाता है ? वहां पर क्षेत्र समिति के चुने हुये प्रतिनिधि ही जाते हैं । ब्लाक प्रमुख जाते हैं। उन को पैसा मिले और दूसरों को न मिले, वह एक ही प्रकार के लोग हैं और उनके लिये अलग-अलग व्यवस्था रखना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि सबके भत्ते की व्यवस्था हो सके, इसीलिये यह प्रस्ताव लाया गया है। वैसे तो दैनिक भत्ते का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन कार्यवाही की जो नियमावली बनी हैं उसके अनुसार अगर बैठक १–२–३ दिन लगातार चल सकती है और हो सकता है कि यात्राभत्ता मात्र से कठिनाई हो तो जो पैसा दूसरों को मिलता है वही सब को हो सके जो उचित है । यह केवल जिला परिषद् के सदस्यों के लिये हैं और क्षेत्र समिति के सदस्यों के लिये नहीं है, वह लोग २०–३० मील की दूरी से उसी दिन लौट भी नहीं सकते इसीलिये यह रखा गया है।

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो क्षेत्र समिति के सदस्यों के बारे में कह भी नहीं सकता भत्ते की बात, क्योंकि वह वहां प्रमुख की हैसियत से भाग लेते हैं वह जिला परिषद् की हैसियत से भाग नहीं लेते । वह पदेन सदस्य होते हैं इसलिये सदस्य की हैसियत से उनको जिला परिषद् कोष से वह यात्रा भत्ता दिया जाता है । जहां तक ३ रुपया भत्ता दिया जाने की बात है, वह प्रमुख जरूर हैं लेकिन जब वह जिला परिषद् में आयेंगे तो और सदस्यों के साथ उन को भी टी० ए० उसी कोष से मिलेगा और अभी तक जिला बोर्ड में और अन्तरिम परिषद् में भी भत्ता १२ नये पैसे प्रति किलो-मीटर के हिसाब से मिलेगा सड़क का और जहां पर बस चलेगा तो प्रथम श्रेणी का किराया दिया जायगा और रेल से दूसरी श्रेणी का किराया दिया जायगा और ढाई नये पैसे के दर से इंन्सीडेन्टल चार्जेज मिलेंगे । इस के अलावा जिला परिषदों की मीटिंग भी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं कि वह लगातार १–२ दिन तक चलें । मैं इस को प्रसंग में लाना नहीं चाहता लेकिन मैं भी जिला परिषद् और जिला बोर्ड का सदस्य रहा हूं, २ दिन मीटिंग रहती भी थी तो लोग चले जाते थे । मैं समझता हूं कि इस को मानने से एक बड़ा भारी भार लोकल इकाइयों पर पड़ जायगा और जो रेट भत्ते का रखा गया है वह काफी अच्छा है।

श्री रक्षपालसिंह—

मंत्री जी ने जैसा कि बताया उसके अनुसार इसको वापस लेना ही उचित है, अतः मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

प्राइमरी स्कूलों में कक्षा ३, ४ व ५ के विद्यार्थियों से अंग्रेजी पढ़ाने के लिये शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५३] के अन्तर्गत चर्चा

*श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज एक ऐसे प्रश्न को माननीय सदन के सामने रख रहा हूं और माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष आप के द्वारा कि जो कम से कम गांव की जनता के लिये बड़ा हानिप्रद है । यह बड़े दुख की बात है और उस से भी बड़े दुख की बात है कि माननीय सुचेता कृपालानी के मुख्य मंत्रित्व काल में जिन्होंने कि डाक्टर मजूमदार की छत्रछाया में लोकसेवा का पाठ पढ़ा है, उन के काल में इस तरह का करभार हमारे गरीब विद्यार्थियों पर लगाया जा रहा है । प्रथम तो यह प्रश्न है कि यह संविधान की मनशा के विरुद्ध है । हमारे संविधान की धारा ४५, ४६ में दिया हुआ है कि अमुक वर्षों के अन्दर हम १४ वर्ष की अवधि के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देंगे । शिक्षा मंत्री ने उस राजाज्ञा के द्वारा संविधान की आत्मा का तो हनन किया है, उसका शरीर जरूर जीवित रखा है, एक कानून के रास्ते से बचने की कोशिश की है और वह यह कि अंग्रेजी शिक्षा को आप्शनल कर दिया है । इसलिये कहा जा सकता है कि संविधान में आप्शनल के लिये नहीं है । सभी स्कूलों में ६, ९ से १२ क्लास में अंग्रेजी आप्शनल । लेकिन कोई छात्र शायद ही अंग्रेजी पढ़ना छोड़ता हो । आपने प्राइमरी में भी वही लगा दिया । तो क्या आप समझते हैं जब अंग्रेजी को इतनी महत्ता दे रखी है, गलत या सही ढंग से, जब अंग्रेजी इतना जरूरी विषय हो गया कि उसके लिये स्पेशल फीस ली जाय, गणित, भूगोल, साइंस, विज्ञान के लिये नहीं, अंग्रेजी को इतनी महत्ता आपने दी और आप उसके लिये स्पेशल फीस ४, ८, १२ आना लेने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं गांव का गरीब लड़का भूल जायगा कि अगर हमारी प्राइमरी शिक्षा का कहीं महत्व है तो और किसी विषय का नहीं है, बल्कि अंग्रेजी का है । ऐसी हालत में क्या छोड़ देगा अंग्रेजी पढ़ना ? फिर आपने वक्तव्य में बताया कि अंग्रेजी क्यों रखना चाहते हैं, क्यों उसका स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। क्योंकि दूसरे सूबों से जो आल इंडिया सर्विसेज में कम्पीटीशन चलता है उसमें हमारे छात्र भी आ सकें । इसके माने हैं अंग्रेजी की महत्ता को बढ़ाया और स्वीकार किया। तो फिर उस गरीब बच्चे की क्यों महत्ता छीनना चाहते हैं ? आपका रास्ता सही हो या गलत हो यह तो भविष्य बतायेगा लेकिन कोई भी छात्र अंग्रेजी पढ़ना तभी छोड़ेगा जब वह बेबस, मजबूर हो जायगा । बड़ी भयंकर भूल आप कर रहे हैं ।

आपने एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बनाने की कोशिश पिछले १५ साल में की, जाने में अनजाने में, कुछ स्पेशल स्कूल खुले हैं जिनमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं । उनका एक स्तर है, उनके पास पैसा है जिससे उस तरह की फीस दे कर अच्छी कही जाने वाली शिक्षा प्राप्त करते हैं । आपके प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा छिपी नहीं है । आप क्या वहां एक सेकेन्ड मिडिल क्लास खोलना चाहते हैं बाबू लोगों की जो चुट पुट अंग्रेजी बोल कर आपके पीछे लगे रहें । आप उन गरीबों को मजबूर करना चाहते हैं कि कभी भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में घुस न सकें । यह कहां का न्याय होगा ? यह क्लासिफिकेशन क्या हमारे देश में कम है, जातियों का, आर्थिक, प्रान्तों का, सम्प्रदायों का, धर्मों का ? इतने सारे क्लासिफिकेशन्स हैं, उनमें आप यह और जोड़ना चाहते हैं । डाक्टर लोहिया के शब्दों में अंग्रेजी हमारे देश में चोरों की भाषा है, कहां तक सही है, गलत है यह आप जानें । लेकिन इस तरह से क्लासिफिकेशन करके आप देश की बहुत बड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमात को ऐसा धोका दे रहे हैं जो क्षम्य नहीं कहा जा सकता। कोई छात्र जो अंग्रेजी शिक्षा से वंचित किया जायगा वह समझ जायगा कि बहुत बड़ा जो उसका स्वप्न था वह चकनाचूर हो गया।

बापू जी १९४२ में हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती अवसर पर गये थे, बाबू शिव-प्रसाद गुप्त को देख कर लौट रहे थे फाटक पर बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था "बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी" और नीचे लिखा था छोटे अक्षरों में "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय"। गांधी जी जब मंच पर आये, यह बात मैं १९४२ की कह रहा हूं, तब उन्होंने सारे प्रश्नों को अलग कर दिया और केवल हिन्दी के प्रश्न को लेकर उन्होंने कहा बड़े दुःख की बात है, किसी की माता अच्छी हो सकती है, हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिये लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम अपने घर में अपनी माता का आदर न करें। अंग्रेजी में क्या खूबसूरती है कि अंग्रेजी के अध्यापकों को एलाउन्स पाने का अधिकार है, ६ टी में अध्यापकों और इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाले अध्यापकों को एलाउन्स का क्या अधिकार है ? प्राइमरी स्कूलों में जहां बच्चे के ऊपर सारा फौरी जोर पड़ता है वहां आप बैठा रहे हैं कि हिन्दी कुछ भी नहीं और जो कुछ है वह अंग्रेजी ही है। पैसे का प्रश्न नहीं है, एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। आप जरा सोचिये कि जब इस प्रकार का प्रश्न बच्चे के सामने आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके ऊपर आप देश के भविष्य की आशा रखते हैं उसके भविष्य को आप इस तरह से चकनाचूर कर रहें हैं। आप अंग्रेजी को बढ़ाकर के बचपन से ही मानसिक गुलामी से जकड़ रहे हैं। आपने उसके अन्दर आत्म-विश्वास का हनन कर दिया जिस पर आज देश का भविष्य निर्भर करता है। यह बड़ी भयानक भूल आप करने जा रहे हैं।

और भी एक बात देखी गयी कि आज से १०–१५ साल पहले कैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। जो अंग्रेजी स्कूल होते थे उनमें थर्ड क्लास से शुरू की जाती थी और १० या ८ साल में वे हाई स्कूल में जाते थे। जो प्राइमरी हिन्दी और हिन्दी मिडिल स्कूलों से आते थे, उनको एक साल तक स्पेशल अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। क्योंकि उनकी हिन्दी अच्छी होती थी, भूगोल अच्छा होता था, इतिहास अच्छा होता था, और हिसाब अच्छा होता था। केवल उनकी अंग्रेजी कमजोर होती थी उनके मुकाबले में जो थर्ड से अंग्रेजी पढ़ते हैं उनकी आपने परिपाटी को बदल दिया। आप अंग्रेजी का स्टैन्डर्ड वही रखना चाहते हैं और टाइम दे दिया ५ साल। नतीजा उसका, जैसा कि हमारे बन्धु ने कहा, होता है कि जितने लड़के फेल होते हैं उसमें से ८० प्रतिशत केवल अंग्रेजी के विषय के कारण ही फेल होते हैं। तो इस सरकार का फर्ज है कि उसको वहन करने का उत्तरदायित्व ले ? लेकिन यह कदम, आप कैसे उठा रहे हैं ? या तो फिर अंग्रेजी का स्तर नीचा किया जाय या ८ साल का टाइम उसी तरह से लगाया जाय। अगर टेंथ का स्टैंडर्ड आप उसी तरह से रखते हैं तो ८ साल का टाइम लीजिये। जिनको अंग्रेजी में महारत हासिल करनी होगी वह उतना टाइम लगाकर पढ़ेंगे। थर्ड क्लास से अंग्रेजी पढ़ाना हितकर है या अहितकर यह तो निर्णय समय बाद को करेगा लेकिन अगर आप इसको हितकर मानते हैं तो फिर उसका दरवाजा अमीर गरीब सब के लिये खोल दीजिये। आप प्रतिबन्ध लगाते हैं और वह प्रतिबन्ध निश्चत रूप से संविधान की मंशा के प्रतिकूल जाता है। अभी मंत्री महोदय कहेंगे कि हम कोई जबर्दस्ती थोड़े ही करते हैं, जिसको पढ़ना हो वह फीस दे लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने इसमें की है वह यह है कि आपने हरिजनों को भी बरी नहीं रखा है। आप गरीब हरिजन बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि वे १२ आने देकर अंग्रेजी की शिक्षा लें। जिनकी फीस एम० ए०, बी० ए०, इंटरमीडिएट, मिडिल स्कूल सब जगह माफ है उनके लिये थर्ड में ४ आना, फोर्थ में ८ आना और फिफ्थ में १२ आना रखी गयी है। अजीब समझ की बात है। समझ में नहीं आता कि कैसे सरकार के विभाग में यह बात बैठ गयी। जयपुर में अभी कांग्रेस हुई। एक बहुत ही मूल्यवान प्रस्ताव वहां आया कि बचपन से ही शिक्षा दीक्षा में बच्चों को अपने विकास का समान अवसर दिया जाय और कहीं भी भेदभाव नहीं किया जायगा। यह समाजवादी समाज की

[श्री महादेव]

कल्पना के विचार से प्रस्ताव आया। एक तरफ तो आप इस तरह का लम्बा प्रस्ताव पास करते हैं और उसको कार्यान्वित करने का दूसरी तरफ आप का यह ढंग है।

अब आप गांवों में समझाइये कि हम कानूनी ढंग से बचा रहे हैं, वाकई कोई फीस नहीं लगा रहे हैं। गांववाले तो यही समझेंगे कि पिछले १५ वर्षों से इस कांग्रेस की सरकार ने लगातार यह एलान किया हैकि १४ वर्ष तक के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जायगी और कुछ समय तो यह हुआ कि ७ वीं और ८वीं कक्षा में भी शिक्षा मुफ्त की जायगी, लेकिन धनाभाव के कारण उसको रोक दिया गया। सारी दुनियां कहेगी कि आपका वह एलान क्या हुआ। आपके दांवपेंच वाली बातों को गांव की जनता नहीं समझेगी। वह यह समझेगी कि कांग्रेस की सरकार ने एक जबरदस्त धोका दिया है और किसी सरकार के प्रति सबसे बड़ी अप्रतिष्ठा यही होती है कि जनता पर से सरकार का विश्वास हट जाय और वह यह समझने लग जाय कि यह सरकार हमको धोका देती जा रही है। सरकार गलतियां कर सकती है, भूलें कर सकती है लेकिन धोका देना अक्षम्य अपराध है और धोकादेही के इस जुर्म से सरकार बच नहीं सकती। इसलिये मंत्री महोदय से मैं बड़े विनय के साथ अपील करूंगा कि वह इस प्रश्न पर जरा गम्भीरतापूर्वक सोचें और उनकी सरकार सोचे। इसमें सौदेबाजी कोई नहीं है, १०, २० लाख रुपये का यह प्रश्न नहीं है, देश के भविष्य का प्रश्न है, देश की शिक्षा के भविष्य का प्रश्न है, कांग्रेस की प्रतिज्ञा का प्रश्न है, आपके उस प्रस्ताव का प्रश्न है जिस संस्था के आप सदस्य हैं, उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न संविधान के सिद्धान्तों का प्रश्न है। आप इन सारे प्रश्नों को एक तरफ रखकर सिर्फ १०, २० लाख रुपयों के लिये इस तरह का गलत कदम न उठाइये।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय शिक्षा मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

बाद में कहूंगा।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विषय में कुछ कहने का साहस कर रहा हूं कि माननीय महादेव प्रसाद जी का भाषण सुनने के बाद मेरे सामने कई प्रश्न उपस्थित हो गये और अब मैं अपने को एक उलझन में पाता हूं। मान्यवर, जहां हिन्दी में श्रद्धा और उससे प्रेम का सम्बन्ध है उसके लिये मुझमें जीवित विश्वास है और मैं अपने को उस दिशा में किसी से पीछे रखने में संतोष नहीं अनुभव कर सकता। हिन्दी के लिये बड़े से बड़ा त्याग भी मैं छोटा ही समझूंगा और अगर इसमें कहीं ठेस पहुंचे तो मैं अपना कर्त्तव्य मानूंगा कि किसी भी कीमत पर उसका विरोध किया जाय। लेकिन मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जो इस समय प्रश्न है उसमें हिन्दी के अस्तित्व, हिन्दी की प्रगति तथा विकास को ठेस लगता है या नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप में हिन्दी यहां की राष्ट्र-भाषा का स्थान रखती है। राष्ट्र पर हिन्दी को पढ़ाने का दायित्व है। जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा यथाशक्ति संविधान के अनुसार हिन्दी में दी जाना राज्य का दायित्व है।

अब प्रश्न यह है कि अगर हिन्दी के अलावा किसी और भाषा में शिक्षा देने की आवश्यकता भी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो जिससे बच्चे का जीवन स्तर कुछ उठ सकता हो, कुछ लाभ हो सकता हो तो उसे वह स्थान मिले या कुछ भिन्न स्थान हो इस विषय में मैं सहमत हूं। महादेव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रसाद जी ने राम मनोहर लोहिया जी के कोटेशन को पढ़ा । वे स्वयं उससे अपने को सम्बद्ध नहीं कर सकते । अंग्रेजो को चोरों की भाषा कोई कह सकता है लेकिन जिसने स्वयं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करके ही ज्ञान का उर्पाजन किया हो वह चोरों की भाषा कहे, यह कहां तक ठीक है ? राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े आदमी हैं। मैं इतने बड़े आदमी की बात में पड़ने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि अंग्रेजी और हिन्दी की बराबरी का आज कोई सवाल पैदा नहीं होता । उत्तर प्रदेश में खास तौर से हिन्दी का अपना अलग स्थान है । वह स्थान सुरक्षित रहेगा और जब तक हम जीवित हैं और हमारे रक्त में शक्ति है, हिन्दी के स्थान को ठेस नहीं पहुंच सकती । लेकिन हिन्दी को संरक्षण दे कर अंग्रेजी का तिरस्कार करना या अंग्रेजी को महत्व न देना इसे मैं कदापि नहीं समझ सका ।

आज मैं ऐसा समझता हू कि भारतवर्ष में जो आल इंडिया कम्पीटीशंस हैं, जो वैज्ञानिक भाषायें हैं उनके द्वार के अन्दर के प्रवेश करना है । तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी का महत्व है इंटरनेशनल जगत में । अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण अगर हम अपने विद्यार्थियों को ज्ञान उपार्जन करा सकें इससे हमको हर्ष ही होनी चाहिये । हिन्दी के प्रेम में और आस्था रखने में अगर हम इतने तल्लीन हो जायंगे कि वास्तविकता से अपनी आंखे मूंद लें और अन्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दें तो हिन्दी की सेवा तो करेंगे ही नहीं अपितु अहित करने के भी अपराधी हो सकते हैं । मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमें हिन्दी में अपने प्रदेश के बच्चों को शिक्षा देना है लेकिन अंग्रेजी में विद्यार्थी शिक्षा पा सकें इससे भी उनको बंचित नहीं रखना चाहिये और मैं उन लोगों में हूं जो निश्चित रूपसे यह समझते हैं कि अंग्रेजी का स्तर आपको रखना है और ३, ४ और ५ कक्षा में आप अंग्रेजी की शिक्षा नहीं देंगे और छठे दर्जे में अंग्रेजी की शिक्षा देंगे तो उस विद्यार्थी का स्तर उसी के समकक्ष होगा जो पहले तीसरी कक्षा के विद्यार्थी का होता था ।

तो अगर इतने नीचे स्तर से आप शुरू करेंगे तो हाई स्कूल का स्तर स्वभावतः बहुत गिर जायगा। मेरा भी दो एक कम्पिटीटिव इम्तहान जहां होते हैं उनमें बैठने का संयोग हुआ और मैने देखा कि जिन विद्यार्थियों का अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा है उनके मुकाबले में जिनका अंग्रेजी का स्तर नीचा है वे केवल उसी कारण से बुद्धि रखते हुये भी कभी कभी बहुत पीछे रह जाते हैं और उनको नुकसान होता है । तो प्रश्न यह है कि हमारे प्रदेश में अगर कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी पड़ना चाहें तो उनको सुविधा मिले या नहीं और अगर सुविधा मिले तो वह स्टेट एक्सचेकर की कास्ट पर मिले या उनकी स्वयं की कास्ट पर । एक माननीय मित्र ने अभी आवाज फिर दी कि सब को वह सुविधायें क्यों न मिलें ? यहां पर यह प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि जब हमारे साधन सीमित हैं—अच्छा हो हम लैटिन, फ्रेंच और दूसरी भाषायें भी पढ़ायें, लेकिन केवल कल्पना से तो हम काम चला नहीं सकते—तो सीमित साधनों के रहते हुये हिन्दी का भार सारे प्रदेश की जनता पर पड़े या अगर कोई और भाषा भी पढ़ाई जाती है तो उसका भी भार स्टेट एक्सचेकर पर पड़े । मेरा ऐसा मत है कि स्टेट एक्सचेकर पर केवल हिन्दी के विद्यार्थियों का ही भार पड़ना चाहिये और अगर विद्यार्थी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में अपने अन्तिम लक्ष्य को सामने रख कर निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो उसका बोझ वह स्वयं वहन करें, अगर कर सकते हैं ।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कहां जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का हर विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़े ? अगर सारे विद्यार्थियों पर अंग्रेजी पढ़ाने में आप धन व्यय करेंगे तो जो मानी हुई नीति इस सदन की है उसके प्रकाश मे उस रुपये का अपव्यय होगा। जो थोड़े से विद्यार्थी अंग्रेजी सीखना चाहें उनके लिये सुविधा हो और स्टेट एक्सचेकर अगर उस भार को बहन नहीं कर सकता है तो उसका कुछ बोझ विद्यार्थी भी उठायें । १९६१–६२ का जो सप्लीमेन्टरी बजट था उस समय सब से पहले यह प्रश्न इस सदन के सामने आया था । उस वक्त ५ लाख रुपया हमने स्वीकृत किया था तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं के लिये । उसके बाद १९६२–६३ में कोई २–३ लाख रुपया दिया और इस साल ५–६ लाख की धनराशि स्वीकृत

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

की गयी । वह धन केवल शिक्षण में खर्च होगा और जो १० रुपये का एलाउन्स दिया जाय वह २५-५० और ७५ पैसे से दिया जायगा । तो प्रश्न अब केवल इतना रह जाता है कि यह बोझ स्टेट एक्सचेकर पर क्यों पड़े ? इससे तो यह अच्छा हो कि हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सातवीं, आठवीं और नवीं कक्षा में निःशुल्क शिक्षा हो और जो हमारा १४ वर्ष का लक्ष्य है उसकी पूर्ति में अग्रसर हों । अगर उसकी पूर्ति में अग्रसर होना है तो हमें इसे स्टेट एक्सचेकर से बचाना चाहिये । इसी कारण से मैं इस नीति का समर्थन करता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने श्री जगदीशशरण अग्रवाल की संशोधनवादी प्रकृति को हिन्दी की वकालत और अंग्रेजी चलती रहे, इन दोनों बातों को सुना । सब से पहले मैं आदरणीय डाक्टर साहब की बात कहूं जो इस सदन में कही गयी । आदरणीय डाक्टर साहब ने अंग्रेजी को चोरों की भाषा नहीं कहा, बल्कि गुलामों की भाषा कहा।

फीस बढ़ाने की बात का जहां तक प्रश्न है यह बिलकुल एक ऐसी बात है कि जहर की पुड़िया जिसके खाने से इन्सान मरेगा वह भी लखनऊ के बाजार में रुपये से बिकने लग जाय तो इससे ज्यादा कौन सी शरारत की बात हो सकती है ? मैं अंग्रेजी को इस प्रदेश में चलते देखना बिल्कुल जहर की पुड़िया रुपये से बिकते हुये समझता हूं । पैसे की बात छोड़िये ।

अब अंग्रेजी की वकालत कौन करता है ? हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में वे लोग अंग्रेजी की वकालत करते हैं जो लोग या तो लंगड़ी अंग्रेजी समझते हैं या उन्होंने अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है। अधकचरे लोग ही अंग्रेजी की वकालत करते हैं । मैं आप से कहूं, अमरीका, इंगलैन्ड और रूस हर जगह पर उनको लताड़ा गया । अभी लक्ष्मी मैनन जो रूस गई थी। जब वे रूस में अंग्रेजी में बोल रही थीं तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम्हारे देश से कब अंग्रेजी जायगी ? इस से पहले इंगलैन्ड और अमेरिका में भी ऐसी बात हुई है । सारे लोग जो देश प्रेम की भावना रखने वाले हैं वे लोग चाहते हैं हर जगह अपने अपने देश की भाषा चले ।

हां, इस बात को हम मान सकते हैं कि हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी सहायक भाषा हो । इस बात के लिये कौन मना करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में लोग न जायं ? परन्तु प्रथम भाषा हिन्दी पढ़ें और जितनी अन्य भाषायें बोली जाती हैं वे भी पढ़ें और इसके साथ साथ अंग्रेजी भी सहायक भाषा के रूप में पढ़े तो बात ठीक हो सकती है । फीस के संबंध मे यह है कि जिला परिषदों ने प्रस्ताव पास कर के मंत्री जी के पास भेजे हैं । मेरा खयाल यह है अनुमानतः ८० प्रतिशत जिला परिषदों ने प्रस्ताव पास किये कि फीस न बढ़े । लेकिन सरकार से मैं क्या कहूं । प्रदेश की सरकार के हाथ में क्या है ? मैं विरोधी दल के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में क्रिप्स आइजनहावर और चर्चिल जैसे दिमाग के लोग अंग्रेजी की बात करते रहेंगे तब तक उसको सारे प्रदेश की सरकारों को मानना पड़ेगा । जब तक इन लोगों के दिमाग नहीं बदलेगें तब तक ठीक नहीं हो सकता है । मैं आदरणीय डाक्टर साहब की बात में ही कहता हूं कि अब हम एक महायज्ञ करें और उसमें अंग्रेजी, गरीबी और बेकारी को होम कर दें । जब जाकर श्रीमन्, अंग्रेजी का प्रचलन समाप्त हो सकता है इस महायज्ञ में कांग्रेसी सरकार को बदला जाय और हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग को बदला जाय, तब जाकर हिन्दी का चलन हो सकता है ।

क्या बात कहें और कितना विरोध करें ? यह सभी लोग मानते हैं कि दर्जा ३,४ ५ में अंग्रेजी पढ़ने से नीचे के परिवार के बच्चे अंग्रेजी खिलौनों से नहीं खेल सकते हैं और ममी डैडी नहीं कह सकते हैं। उनके लिये अंग्रेजी पढ़ना निरर्थक है । किसी पहलू को लेकर देख लीजिये । आर्थिक तथा राजनीतिक पहलू को लेकर देख लीजिये, अंग्रेजी सब जगह फेल हुई है । पढ़े-लिखे लोगों के लड़के भी अंग्रेजी मे ही फेल होते हैं । इसकी जिम्मेदारी हमारी

सरकार पर है। हम इसलिये हिन्दी की वकालत करते हैं कि हम में देश प्रेम है। मैं आप से कहूं कि हमारे यहां विदेशी पर्यटक आये हुये थे। हमारे यहां अमरीका का एक विद्यार्थी है उसने कहा कि आपके यहां लोग अनिवार्य रूप से अंग्रेजी पढ़ते हैं तो मेरा सर शर्म से झुक गया। रूस, अमरीका और इंगलैंड जहां जनतांत्रिक परम्परा प्रचलित हो गई है या होती चली जा रही है वह अपने देश की भाषा की वकालत करते है। यही एक अभागा देश है जिसके अन्दर मातृभाषा को और राष्ट्र भाषा को ताक में रख कर विदेशी भाषा का इस लिए मुंह ताकते है कि अंतराष्ट्रीय जगत में बात कैसे करेंगे। जो लोग ऐसी बात करते हैं वह या तो जानबूझ कर गलत बात करते हैं या वह समझते नहीं इसलिये ऐसी बात करते हैं। दरजा तीन, चार, पांच में देश की भाषा को पढ़ाइये और दरजा दस में जा कर अंग्रेजी को सहायक भाषा कर दीजिये, पढ़ने वाले लोग उसको बी० ए०, एम ० ए० तक पढ़ेगें। आपको बात तो सिर्फ अन्तरर्राष्ट्रीय जगत में करनी है। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ? और अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो उसको कौन मना करता है ? परन्तु जहां मातृभाषा के हनन का सवाल है यह तर्क देकर कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बात कैसे होगी, मातृभाषा का हनन करते हैं। वह तो वैसा ही तर्क है जैसा कि अंग्रेज दिया करता था कि हिन्दुस्तानी राज्य करने योग्य नहीं हैं, इसलिये हमारा उन पर राज्य करना आवश्यक है। इसलिये उनको स्वराज्य नहीं दिया जा सकता।

हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन फिर भी विदेशी भाषा हम पर लदी रहे, इससे ज्यादा और क्या लज्जा की बात हो सकती है ? अंग्रेजी रहेगी और उसको पढ़ने के लिये फीस देनी पड़ेगी। यह तो ऐसी बात है कि "बीमारी और दाम से बिके।" यह सरकार तो दिल्ली की सरकार से गाइड होती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुमायूं कबीर साहब ने भाषण दिया। पता नहीं इंगलैन्ड का कोई आदमी बोल रहा था या ऐसा आदमी बोल रहा था जो हिन्दुस्तान की भाषाओं को नहीं समझता या राष्ट्रीयता के बिलकुल परे है। इस तरह की वकालत लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने की है। फिर भी यह सरकार दिल्ली की सरकार से गाइड हो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। हम बिलकुल हिन्दी और हिन्दुस्तान में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके पक्ष में हैं। अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में चले जिससे जो विदेशों की बात कही जाती है उसके विकास में बाधा न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं और भाषा की फीस की बात को छोड़ कर सिर्फ भाषा के पढ़ाने का घनघोर विरोध करता हूं। सूबे की सरकार को केंन्द्र सरकार से संघर्ष करना चाहिये, कम से कम प्रार्थना करनी चाहिये कि कम से कम इस हिन्दी भाषी प्रान्त में केन्द्रीय सरकार और जोर जबरदस्ती का वातावरण न बनाये में समझता हूं कि सरकार और माननीय जगदीशशरण अग्रवाल की समझ में आ गया होगा। उन्होंने हिन्दी की वकालत की परन्तु इस ढंग से की जो संशोधनवादी और प्रतिक्रियावादी ढंग था जिसमें अंग्रेजी भी साथ साथ में अनिवार्य रूप से चलती रही। यही मुझे कहना था।

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा की ३, ४ और ५ कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाने के लिये शुल्क का आदेश दिया गया है, मैं समझता हूं कि वह किसी दशा में उचित नहीं है।

आप जानते हैं कि हमारे संविधान में इस बात का निर्देश है कि ६ वर्ष से १४ वर्ष तक बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाय। यदि हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के अन्दर सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य देनी है तो कक्षा ३,४ और ५ में विद्यार्थियों के ऊपर किसी प्रकार का भार डालना उचित नहीं है और संविधान के निर्देशों के प्रतिकूल है। रहा यह, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है और अंग्रेजी शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है और उस स्तर को ऊंचा होना चाहिए। परन्तु मैं यह समझता हूं कि उसका यह तरीका नहीं है जो तरीका कि सरकार ने अपनाया है, क्योंकि अगर स्तर को ऊंचा करना है तो कक्षा ६ से लेकर कक्षा १० तक जो तरीका इस वक्त अंग्रेजी का है उसके अन्दर कुछ परिवर्तन करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्र जी, आपका मंशा यह है कि जैसे पहले मिडिल स्कूल की पढ़ाई होती थी, वही आप चाहते हैं क्या ?

श्री राजाराम—

वह तो है ही और अगर उसमें कुछ कमी हो तो अध्यापकों की तनख्वाह ज्यादा दी जाय और उनको शिक्षित किया जाय, यह सब काम किये जायं। इस तरह विद्यार्थियों का जो स्तर है उसको ऊंचा करने की कोशिश की जाय। लेकिन प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों पर किसी प्रकार का भार डालना न्याययुक्त नहीं होगा और ऐसी हालत में जब कि कक्षा तीन के अन्दर लड़के बहुत छोटी उम्र के होते हैं, उसी उम्र में उन विद्यार्थियों के अन्दर भेदभाव पैदा करना कि हम ऊंचे वर्ग के हैं, हम नीचे वर्ग के हैं, यह उनके अन्दर विषमता की भावना पैदा करना है। हम बात तो यहां सोशलिज्म की करते हैं और बराबरी की करते हैं तो उस समानता के लाने के भी यह प्रतिकूल पड़ेगा। इसलिये यह जो नया प्रतिबन्ध लगाया गया है और इस प्रतिबन्ध को लगाने के लिए जो सरकार का आदेश हुआ है, सरकार को उसे हटा लेना चाहिये।

रहा यह कि यदि सरकार यह समझती है कि उसके पास पैसा नहीं है तो बहुत सी गुंजाइश हुआ करती हैं। हमारे प्रदेश में जबकि १०२ करोड़ रुपये का बजट है तो दो चार लाख रुपया कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए हम बच्चों में शुरू से ऐसे भेदभाव की भावना पैदा कर दें कि हम गरीब हैं। इसलिये हम उस को नहीं वहन कर सकते और खासकर जब हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज को वजीफे दिये जाते हैं, और हरिजनों को तो बी० ए०, एम० ए० तक फीस माफी दी जाती है तो कक्षा तीन, चार और पांच से ही उन पर यह भार डालना किसी प्रकार से न्याययुक्त नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी नीति पर विचार करना चाहिए और उसमें संशोधन करना चाहिए ताकि देश के अन्दर जो सरकार के प्रति एक खराब धारणा पैदा होने वाली है वह भावना दूर हो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है इसमें शिक्षा मंत्री जी ने अपना बयान देते हुए यह कहा कि जो लड़का अंग्रेजी पढ़ना चाहता है वही पढ़ सकता है और उसके लिये शुल्क भी दे सकता है। कोई प्रतिबन्ध ऐसा नहीं है कि हर लड़के को अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ेगी और उसको शुल्क देना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यही सरकार की बुद्धि का दिवालियापन जाहिर करता है। यह सरकार की बुद्धि का दिवालियापन ही है कि जो वह इस प्रकार की राजाज्ञा निकालती है कि जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को शुल्क देना पड़ेगा, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको नहीं देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यहीं पर सब से बड़ा भटकाव है। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप अब दो वर्ग छोटे बच्चों में भी पैदा करना चाहते हैं जब कि संविधान कहता है कि १४ वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाय। इसके मानी हो गए कि शिक्षा आठवें क्लास तक आप को मुफ्त देनी है। १६–१७ वर्ष हो गए संविधान की कसम आपने खायी और १६–१७ वर्ष के बाद जब आप ने किसी तरह से छठवें दर्जे तक फीस माफ की तो अब आप उसमें भी एक अड़ंगा और लगा रहे हैं, और यह कहते हैं कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं यह कहता हूं कि सरकार सब जगह तो संविधान की मान्यताओं को तोड़ती ही है, लेकिन शिक्षा के मामले में भी सरकार संविधान की मान्यताओं को तोड़ रही है। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि सरकार छोटे बच्चों में भी दो वर्ग पैदा करना चाहती है।

माननीय जगदीश शरण जी ने एक दलील दी कि जब अंग्रेजी में कम्पीटीशन होता है तो हमारे यहां के बच्चे उसमें नहीं आ पाते हैं। मैं इनकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो लोग पैसा दे सकते हैं वही अंग्रेजी पढ़ें। मैं उस सकारी आज्ञा से सहमत नहीं हूं। यही सब से बड़ी गलती है। माननीय जगदीश शरण जी ने कहा कि

राज्य के ऊपर ही इसका भार क्यों डाला जाय, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी का स्टैंडर्ड ऊंचा हो चाहे हिन्दी से आपका मोह हो या नहीं, इसमें हिन्दी का सवाल भी नहीं है, तो आप अंग्रेजी को फ्री पढ़ाइये। अगर आप यह चाहते हैं कि कम्पटीशन में आपके लड़के आयें और अंग्रेजी का स्टैंडर्ड ऊंचा हो तो मैं आप से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी की शिक्षा दें। आप शिक्षा दीजिये, लेकिन इस भेद-भाव को मत पैदा कीजिये।

एक तरफ तो आप समाजवाद का नारा लगाते हैं और फिर आप यह कहते हैं कि छोटे बच्चे जो फीस दे सकते हैं वही अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल समाजवाद के विरुद्ध है। इससे मालूम होता है कि यह सरकार समाजवाद का नारा केवल शब्दों तक ही रखना चाहती है। मैं इस बात को जानता हूं लेकिन फिर भी मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि चाहे आपके प्रस्ताव में समाजवाद की बात आई हो, चाहे आप इसको मानते हों, कुछ भी हो, मेरा दिमाग तो साफ है कि आप समाजवादी नहीं हैं। पर फिर भी मैं कहूंगा कि आप कृपा करके इस राज्य आज्ञा को हटा दें और छोटे बच्चों में भेद भाव पैदा करने की कोशिश न करें। यह आपके समाजवाद के बिलकुल प्रतिकूल है। इसको समाजवाद के अनुकूल बनाइये। आपके लिये १०-२० लाख का कोई सवाल नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपका अंग्रेजी के प्रति बहुत मोह है, जैसा जगदीश शरण जी ने कहा है, तो वह बिल्कुल गलत बात है। इससे भेद भाव पैदा हो रहा है जो बहुत ही सिद्धान्त के खिलाफ पड़ता है।

विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी में देने की बात कही गई। जगदीश शरण जी को मालूम होना चाहिये कि रूस में सारी वैज्ञानिक शिक्षा उनकी मातृ भाषा में ही दी जाती है। यहां पर वह अंग्रेजी में विज्ञान के विषय को पढ़ाने की बात करते हैं। जितने भी और मुल्क हैं उन सब में विज्ञान की शिक्षा उनकी अपनी भाषा में ही दी जाती है। जब आप अपनी भाषा में विज्ञान की पढ़ाई यहां पर करेंगे तब आपके दिमाग का दिवालियापन दूर होगा। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वह विज्ञान की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। अगर आप अपनी नीति इस के लिये साफ करें तो शिक्षा के सम्बन्ध में एक ठोस नीति बनेगी। आप कहते हैं कि विज्ञान की पुस्तकें हिन्दी में नहीं हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी बतलाया कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वह उन किताबों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं और फिर अपनी मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा अपने लड़कों को देते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं कि जहां पर उनकी अपनी भाषा में विज्ञान की पुस्तकें नहीं थीं लेकिन उन्होंने दूसरी भाषा में उसको पढ़ा और फिर अपने यहां देश में लड़कों को अपनी भाषा में शिक्षा दी। जो प्रोफेसर पढ़ाते थे वह अपनी भाषा में उनको पढ़ाते थे। इसी तरह से चीन में हुआ है और इसी तरह से रूस में भी हुआ है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के लिये अजीब बात है कि यहां का बाबू और यहां का अफसर अंग्रेजी में बात करना अपनी शान समझता है। हिन्दी की जो दुर्दशा है वह सब जानते हैं। अगर आप प्रशासनिक मामलों के खयाल से अंग्रेजी चलाना चाहते हैं तो उसके विचार से भी पढ़ाई का पैसा लेना उचित नहीं है।

मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसको गम्भीरतापूर्वक सोचें और इस भेदभाव को समाप्त करें। अंग्रेजी के प्रति जो आपका प्रेम है मैं उसके बहस में नहीं पड़ता लेकिन इस भेदवभाव को समाप्त कीजिये। जैसे आप हरिजनों के लिये खजाने से पैसा देते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने के लिये भी पैसा दीजिये। अगर सरकार अपने खर्चे से अंग्रेजी शिक्षा देना चाहे तो दे मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो भेदभाव की नीति है कि जो पैसा दे वह पढ़ सकता है यह ठीक नहीं है। बहुत से गरीब विद्यार्थी वैसे ही नहीं पढ़ पाते अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब के लिये कम्पलसरी कर दी जाय और सरकार के खर्च से सब को पढ़ाया जाय तभी शिक्षा का स्टैंडर्ड कायम रह सकता है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर) —

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री अधिष्ठाता —

चूंकि कोरम पूरा नहीं हो रहा है, अत: अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ।
२३ दिसम्बर, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६६ पर]

तालिका

कारागारों के नाम जहां कैदी चक्की नहीं चलाते हैं—

१—केन्द्रीय कारागार, आगरा
२—केन्द्रीय कारागार, नैनी
३—केन्द्रीय कारागार, बरेली
४—आदर्श कारागार, लखनऊ
५—जिला कारागारा, अलीगढ़
६—जिला कारागार, बलिया
७—जिला कारागार, फैजाबाद
८—जिला कारागार, अल्मोड़ा
९—जिला कारागार, मेरठ
१०—जिला कारागार, उन्नाव
११—जिला कारागार, हल्द्वानी,
१२—सब-जेल, रुड़की
१३—सदर लाक अप, गोरखपुर
१४—रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ,
१५—सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज
१६—किशोर सदन, बरेली
१७—सम्पूर्णानन्द शिविर, घुरमा, मिर्जापुर।

नत्थी 'ख'

[देखिये ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर]

वाराणसी जिले के अन्तर्गत सब-डिवीजन वाराणसी (दक्षिणी) के परगनाधीश द्वारा पिछले ४ महीने में जिन-जिन व्यक्तियों को २५ बोरे से अधिक सीमेंट के परमिट दिये गये तथा जिस कार्य के लिये दिये गये उसकी सूचना निम्नलिखित है—

क्रम-संख्या	नाम व पते	बोरी	निमित्त
१	श्रीमती अमृत कौर, रामनगर ..	३०	मकान बनाने के लिये
२	श्री राय बहादुर लाल, रामनगर ..	५०	,,
३	श्री अमर सिंह, रामनगर ..	५०	,,
४	श्री राधे श्याम गुप्ता, रामनगर ..	३०	मरम्मत के लिये
५	श्री हरीशंकर पाठक, असवारी ..	४०	मकान बनवाने के लिये
६	श्री सिद्धेश्वरी नरायन सिंह, महेशपुर ..	५०	,,
७	श्री सर्वस नरायन सिंह, महेशपुर ..	५०	पलस्तर के लिये
८	श्री अमरसिंह, रामनगर ..	५०	मकान बनवाने के लिये।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

नगरपालिका सिकन्दराबाद द्वारा सन् १९६२-६३ में बनाई गई सड़कों की तालिका—

१—दुराहा रोड का सेकन्ड कोट, (२) कायस्थ वाड़ा की (बीज गोदाम से कन्हैया लाल की दुकान) सड़क, (३) सीमेंट रोड खत्री वाड़ा, (४) रामपुरे की सीमेंट सड़क, (५) काजीवाड़े की सीमेंट सड़क, (६) हरीशाह की सीमेन्ट सड़क, (७) कूचाराजा जी की सीमेंट सड़क, (८) केसरी वाड़ा की सीमेंट सड़क, (९) कायस्थवाड़ा (जनाना अस्पताल) की सीमेंट सड़क।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ट ४८० पर)

सूची (क)

उन २० ग्रामों के नाम जिनमें से २,८१४ एकड़ भूमि अब तक अर्जित की गई है।

१—जगौला
२—दरगल
३—करहेड़ा
४—घूकना
५—सिहानी
६—सद्दीकनगर
७—अर्थला
८—साहिबाबाद
९—शाहपुर बमैटा
१०—डून्डाहेड़ा
११—महरौली
१२—महमासराय
१३—रजापुर
१४—जटवाड़ा कलां
१५—नासरपुर
१६—पसौन्डा
१७—भौजा
१८—कड़कड़मान्डन
१९—चिकम्बरपुर
२०—कैला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

सूची (ख)

मुआवजे की दरें

ग्रामों के नाम	सड़क से १०० गज की दूरी तक की भूमि के मुआवजे की दर प्रति गज	सड़क से १०० गज दूरी के बाद अन्य १०० गज की दूरी तक की भूमि के मुआवजे की दर प्रति गज	सड़क से २०० गज की दूरी के बाद वाली भूमि के मुआवजे की दर प्रति गज
	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१—साहिबाबाद	२ ४८	१ २४	० ६२
२—दरगल	० ६६	० ३३	० १७
३—खगोला	१ ६८	१ ८४	० ४२
४—घूकना	१ ७६	० ८८	० ४४
५—अर्थला	२ ०८	१ ०४	० ५२
६—सद्दीकनगर	१ ०४	० ७०	० ३५
७—सिहानी	२ ००	१ ००	० ५०
८—करहेड़ा	१ ६८	० ८४	० ४२

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८१ पर)

तालिका

१९६०

१—केन्द्र कारागार, नैनी
२—जिला कारागार, अलीगढ़
३—जिला कारागार, गोरखपुर
४—जिला कारागार, उन्नाव
५—केन्द्रीय कारागार, बरेली
६—किशोर सदन, बरेली ।

१९६१

१—जिला कारागार, उन्नाव
२—केन्द्रीय कारागार, आगरा
३—जिला कारागार, आगरा
४—जिला कारागार, मथुरा
५—केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़
६—जिला कारागार, फतेहपुर
७—जिला कारागार, देहरादून
८—जिला कारागार, सहारनपुर
९—जिला कारागार, मिर्जापुर
१०—आदर्श कारागार, लखनऊ
११—रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ
१२—जिला कारागार, लखनऊ ।

१९६२

१—केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
२—जिला कारागार, बरेली
३—केन्द्रीय कारागार, नैनी
४—जिला कारागार, उन्नाव
५—केन्द्रीय कारागार, आगरा
६—जिला कारागार, मथुरा
७—जिला कारागार, आगरा
८—केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
९—जिला कारागार, वाराणसी
१०—जिला कारागार, मिर्जापुर
११—जिला कारागार, गोरखपुर
१२—जिला कारागार, मेरठ ।

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

कानपुर की तहसील घाटमपुर के उन फुटकर दूकानदारों की सूची जिनके निरस्त करने हेतु तहसील परामर्शदात्री समिति ने सिफारिश की और जिसे मंजूर किया गया

क्र० सं०	नाम अदालती पंचायत	दूकानदार का नाम और पता
१	घाटमपुर	सर्वश्री बंशी लाल, प्रकाश चन्द्र आदे चन्द्र, सुन्दर लाल, राम चन्द्र, बद्री प्रसाद, पुत्तन लाल, बुलाकी राम
२	बारीपाल	राम स्वरूप
३	गुजेला	बिन्दा सिंह, कोहरा
४	सजंती	छेदी लाल, धर्मागादपुर
५	रामपुर	अनुसैयाचरन, बान्ध
६	पारस	हरिहर नाथ, हरबंसपुर
७	रार	मदन चन्द, भदवारा
८	पदरीलालपुर	ठाकुर प्रसाद
९	इटारी	इकबाल बहादुर, गौड़ाथा
१०	गढ़	नवाब सिंह, गढ़
११	अरनझामी	सहकारी संघ, बराईगढ़
१२	बेहटागाहिनपुर	सहकारी समिति तिलियावर
१३	हथेथी	सहकारी समिति, दरौली
१४	पतारा	चंद्रिका प्रसाद, शिवशंकर लाल, सूर्यबिल शीतल प्रसाद, जहांगीराबाद ।
१५	बिन्दा	प्रहलाद सिंह तुलसी दास (मवेरी)
१६	घुघुवा	बालमुकुन्द, दौलतपुर
१७	मदवारा	राम किशोर वर्मा, असधना ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

पुराने दुकानदारों के स्थान पर नियक्ति किये गये शक्कर के फुटकर विक्रेताओं की सूची

क्रम-सं०	नाम न्याय पंचायत	पुराने फुटकर विक्रेता का नाम व पता	उसकी दुकान निरस्त करने का कारण	नये दुकानदार का नाम व पता
१	२	३	४	५
१	इटरी	श्री इकबाल बहादुर, निवासी गड़ाथा ।	भ्रष्टाचार	श्री कल्लूराम, निवासी, इटरी ।
२	साध	श्री नवाब सिंह, निवासी बरई गढ़	भ्रष्टाचार/शक्कर का व्यापार पहले नहीं करते थे । दूसरे न्याय पंचायत के निवासी ।	श्री विद्याधर, निवासी साध ।
३	पतारा	सर्वश्री शंकर लाल, सूरज बली, चन्द्रीका प्रसाद, शीतल प्रसाद ।	कुख्याति एवं शिकायतें । पहले शक्कर का व्यापार नहीं करते थे ।	साधन सहकारी समिति, पतारा ।
४	हथेई	कोआपरेटिव सोसाइटी दरौली ।	जन असन्तोष	श्री गुलाब सिंह, निवासी हथेई
५	बेन्दा	श्री प्रहलाद सिंह, तुलसीदास सिंह	कुख्याति, शक्कर के पहले व्यापारी नहीं	श्री बाबूलाल, निवासी बेन्दा ।
६	पारस	श्री हरिहर नाथ, निवासी हरबासपुर	,,	श्री रामसनेही, निवासी पार
७	घुघुवा	श्री बाल मुकुन्द	,,	श्री धानीराम निवासी पार
८	भदवारा	श्री राम किशोर वर्मा, निवासी असधान	१—चीनी के पुराने विक्रेता नहीं हैं । २—दूसरे गांव के निवासी हैं । ३—विधान सभा के सदस्य की हैसियत से इन्हें शक्कर का फुटकर विक्रेता नियुक्त नहीं किया जा सकता । ४—उनका एक मनोनीत, श्री आशादीन, असधना में चीनी विक्रेता है ।	श्री बदलू राम, निवासी नवरंगा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६-१७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८९ पर)

राजाज्ञा सं० २०५२/११-ख-३२६२/५७, दिनांक १६ नवम्बर, १९६२ के जारी होने के पूर्व आराजी छावनी गोरखपुर की नजूल भूमि के निस्तारण सम्बन्धी तालिका

क्रम-संख्या	पट्टेदार का नाम	बंगला नम्बर	किसके कब्जे में है
१	२	३	४
१	श्री श्यामा चरण ..	१	सहायक अभियन्ता, नगर मंडल
२	श्री श्यामा चरण	२	म्युनिसिपल स्वास्थ्य अधिकारी
३	श्री नजीर अहमद अब्बासी ..	२ ए	पट्टेदार
४	श्री घंश्याम दास ..	२ बी	पट्टेदार
		२ सी	पट्टेदार
५	श्री अब्दुल हमीद खां ..	३	सरकारी अधिकारियों के लिये ।
६	श्रीमती ई० बी० स्मार्ट ..	४	पट्टेदार
७	श्री जाहिद अली ..	४ ए	जाहिद अली
८	श्रीमती दौलत कुंवरी ..	५	अधीक्षक, आबकारी का निवास-गृह ।
९	श्री बरमेश्वरी दयाल ..	५ ए	विक्रय अधिकारी
१०	श्री गिरधर दास ..	६	१—असिस्टेन्ट कमांडेंट, २—मुंसिफ
११	श्रीमती बाजिरा बीबी ..	७	डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद
१२	श्री मदन लाल ठेकेरीवाल ..	७ ए	सरकारी कार्यालय
१३	श्री पुरुषोत्तमदास ..	८	सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस
१४	श्रीमती लीलावती नारंगव लाला कैसर राम	९	स्कूल तथा कालेज
		९ ए	एम० पी० इंजीनियरिंग कालेज ।
१५	श्री अमर सिंह ..	९ बी	श्री अमर सिंह
१६	श्रीमती लीलावती व कैसर राम नारंग	९ सी	सरकारी कार्यालय
१७	श्री एस० एन० एम० त्रिपाठी ..	९ डी	श्री एस० एन० एम० त्रिपाठी
१८	श्रीमती लीलावती व श्री कैसर राम नारंग	९ ई	ए० डी० एम० फ्लार्निंग
१९	,,	९ एफ	ट्रेजरी आफिसर
	,,	९ जी	एच० पी० साही
२०	राजा साहब तमखोह ..	१०	ए० डी० एम० व कलेक्टर निवास गृह

क्रम-संख्या	पट्टेदार का नाम	बंगला नम्बर	किसके कब्जे में है
१	२	३	४
२१	राजा साहब, तमखोह , ,	१० ए	एस० डी० ओ०, महराज गंज
२२	श्री माहबीर प्रसाद ..	११ ए	एस० डी० ओ०, बांस गांव
२३	श्री महाबीर प्रसाद ..	११ बी	सिटी मजिस्ट्रेट
२४	एम० पी० कालेज ..	१२	एम० पी० कालेज
२५	स्वर्गीय श्री कीरतचन्द ..	१३	एम० पी० कालेज
२६	श्रीमती आई० एम० परेरा ..	१३ ए	सरकारी कार्यालय तथा सर-
२७		१३ बी	कारी अधिकारियों का
२८		१३ सी	निवास गृह ।
२९	श्री कौशला नन्दन ..	१३ डी	सरकारी कार्यालय
३०	,, ,,	१३ ई	डा० के० एन० श्रीवास्तव
३१	श्री अब्दुल मोईद ..	गैरेज	अब्दुल मोईद
३२	रोमन कैथोलिक चर्च ..	१४ चर्च	रोमन कैथोलिक चर्च
३३	मिसेज एफ० बी० याक्ची ..	१५	गोरखपुर युनिवर्सिटी
३४	हुरमोस जी ..	१६	पट्टेदार
३५	श्री हरी राम खेतन ..	१७	लेबर आफिस
३६	,,	१८	जिला वन कार्यालय और
३७	,,	१९	जिला वन अधिकारी निवास गृह ।
३८	,,	२०	सेन्ट मैरी कान्वेन्ट
३९	गोरखपुर क्लब ..	२१	क्लब
४०	श्री राम हरख चन्द ..	२२	ट्रान्सपोर्ट कार्यालय तथा आर० टी० ओ० निवास स्थान
४१	श्रीमती जोखना कुंवारी ..	२३	रोडवेज कार्यालय तथा अन्य
४२	,,	२३ ए	सरकारी अधिकारी के लिये
४३	,,	२३ बी	अधिकारी के निवास गृह के लिये ।
४४	श्री अब्दुल हमी खां ..	२४	आयुक्त
४५	श्रीमती आई० एम० परेरा ..	२५	सरकारी अधिकारियों के
४६	,,	२६	निवास के लिये ।
४७	जी० ए० कैम्पियर ..	५२	गोरखपुर यूनिवर्सिटी
४८	,,	५२ ए	
४९	श्री जे० ए० शाह ..	५३	इन्कम टैक्स कार्यालय
५०	,,	५५	सार्वजनिक निर्माण विभाग
५१	श्री पुरुषोत्तम दास ..	५५ ए	कृषि अधिकारी
५२	रिकुरुटिन आफिस ..	५७	एम० ई० एस०
५३	श्री जे० ए० शाह ..	—	जी० आर० पी० आफिस
५४	पुलिस अस्पताल ..	—	पुलिस अस्पताल
५५	काजी ए० डी० कंपनी ..	—	कस्टोडियन, एवेकाई प्रापरटी

क्रम-संख्या	पट्टेदार का नाम	बंगला नम्बर	किसके कब्जे में है
१	२	३	४
५६	श्री मुर्तजा हुसैन ..	—	सरकारी कार्यालय
५७	श्री काजिम अली सब्जपोश ..	—	१—सत्या चरन २—आर० एफ० सी० अधि-
५८	जनाना मिशन ..	—	कारी जनाना मिशन
५९	नेपल लाज ..	—	नेपल लाज
६०	थियासाफिकल लाज ..	—	थियासाफिकल लाज
६१	इम्पलाइमेंट आफिस ..	—	इम्पलाइमेंट आफिस
६२	डिस्ट्रिक्ट सेलर सोल्जर बोर्ड ..	—	डिस्ट्रिक्ट सेलर सोलजर बोर्ड
६३	रोडवेज स्टेशन ..	—	रोडवेज स्टेशन
६४	हिन्दुस्तान स्काउट एसोशिएशन ..	—	हिन्दुस्तान स्काउट एसो-सिएशन ।
६५	पी० डब्ल्यू० डी० इन्सपेक्शन हाउस	—	पी० डब्ल्यू० डी० इन्सपेक्शन हाउस ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५०३ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र के ६ठे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री रणबहादुर सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या २४–२६ के उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
संख्या २४—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में बीज की कुल कितने धन की वसूली के लिये कार्यवाही हो रही है ?	संख्या २४—बस्ती जिले में १५ मार्च, १९६३ के पश्चात् बीज तथा खाद की कुल १९,३५,५४७ रुपये की रकम की वसूली की कार्यवाही हो रही है।
संख्या २५—क्या यह सच है कि १९३८ से जो रकम बाकी थी उसकी वसूली का आदेश हुआ है ?	संख्या २५—जी नहीं ? सन् १९३८ का कोई भी बकाया नहीं है। अतः वसूली के आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता है।
संख्या २६—क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में १५ वर्ष के पहले का कितना बीज का बकाया था जो वसूल हो रहा है ?	संख्या २६—३० जून, १९६२ को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १५ वर्ष पहले, अर्थात् सन् १९४६–४७ तक का कुल १,१९,५५५ रुपये २६ नये पैसे के बकाये की वसूली की कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—यू० पी०—१८४ एल० ए०—१९६४—८६०।